

परिचय

युवा रेखा चित्र

भारत में युवावस्था से व्यस्कता की ओर बढ़ रहे लोगों की संख्या सर्वाधिक है। **वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार में युवा आयु-समूह को 15-29 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है;** जहाँ तक विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों का सवाल है, अधिक केंद्रित दृष्टिकोण रखने की दृष्टि से। युवा आबादी सबसे गतिशील और जीवंत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 35 वर्ष से कम आयु की लगभग 65% जनसंख्या के साथ भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। जनसंख्या में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के 27.5% जनसंख्या शामिल है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2020 तक, भारत की जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष होगी। यह 'जनसांख्यिकीय लाभांश' एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय युवा नीति दस्तावेज 2014 के मद्देनजर, 15-29 वर्ष की आयु के युवा नेयुकेस के मुख्य कार्यक्रम, योजनाएं, परियोजनाएं और अन्य गतिविधियों के तहत लाभार्थी होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। हालांकि, फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों की आवश्यकता होती है; इस आयु वर्ग से परे के नागरिक भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भाग ले सकते हैं।

युवा वर्ग सर्वाधिक उत्साही तथा संसाधन सम्पन्न भाग होने के कारण, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के पोषण तथा सुदृढ़ीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौती यह है कि गरीबी से बाहर निकलने, विकास के सृजन तथा जीविका परिणामों की प्राप्ति के लिए उनकी आंतरिक क्षमताओं को उजागर कर विकसित किया जाए, ताकि वे एक स्वस्थ और सार्थक जिंदगी बिता सकें। फिर भी उनके श्रम शक्ति की भागीदारी और उनकी उत्पादकता में वृद्धि से देश के नागरिकों के इस वर्ग का योगदान बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षमता मौजूद है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

देश भर में प्रत्येक जिले के लिए नेहरू युवा केन्द्र की योजना 1972 में प्रारंभ की गई थी। **नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं)** की भारत सरकार के एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी, जो वर्तमान में युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। सन् 1972 से नेहरू युवा केन्द्रों का भारी विस्तार और विकास हुआ है। नेयुकेस की नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से 623 जिलों में कार्यरत हैं। नई दिल्ली में इसके राष्ट्रीय मुख्यालय के अलावा राज्य स्तर पर 29 कार्यालय हैं। आज, यह दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण युवा संगठनों में से एक है। तथा आज नेहरू युवा केन्द्र देश भर में 623 जिलों में कार्यरत हैं।

एनवाईकेएस की गतिविधियाँ प्रत्येक ब्लॉक में 623 जिलों में 2 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों (एनवाईवी) द्वारा प्रत्येक में जिला युवा समन्वयक (जिले में नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी) के माध्यम से जिलों में की जाती हैं। नेयुकेस की मुख्य ताकत भारत में 623 जिलों में ग्रामीण स्तर के युवा मंडलों का नेटवर्क है। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक जिला नेयुके के कार्यालयों और युवा मंडलों के बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करते हैं और जिनकी सहायता और भागीदारी से नेयुकेस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

अभिसरण पहल

नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्कीमों द्वारा युवा विकास के विभिन्न मोर्चों पर कार्य कर रहा है। तथापि, एक अवधि में, ने.यु.के.सं के विशाल नेटवर्क और इसकी फील्ड यूनिटों के उपयोग में अनुकरणीय परिवर्तन प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय और तालमेल से वांछित उद्देश्यों और सकारात्मक छवि की प्राप्ति को अधिकतम किया जा सकता है

अतएव, ने.यु.के.सं ग्रामीण युवाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए, अपने स्वयं के ग्रामीण युवा कोर कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा अन्य अभिकरणों के समन्वय स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आयोजित कर रहा है। यह ने.यु.के.सं की विशाल बाह्य पहुंच के उपयोग हेतु अन्य मंत्रालयों तथा विभागों की सहायता करता रहा है तथा युवाओं को विकास गतिविधियां अधिक प्रभावशाली ढंग से देश भर में निष्पादित करने हेतु अवसर उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार नेहरू युवा केन्द्रों के साथ जुड़े युवा न केवल जागरूक, प्रेरित हैं बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक विकास कार्य की दिशा, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में प्रवृत्त हैं। इस सम्पूर्ण अवधि में, ने.यु.के.सं की गतिविधियां आर्थिक एवं गैर-आर्थिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर केन्द्रित हैं। इसमें फिट इंडिया मूवमेंट, कोविड-19 महामारी से निबटने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपदा मोचन टीमों की स्थापना, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, स्वच्छ भारत मिशन - स्वच्छ भारत समर इंटरनेशिप, गंदगी मुक्त भारत अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा, जल शक्ति अभियान, पोषण माह, पर्यटन पर्व का आयोजन, कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता शिविर, आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नमामि गंगे में युवाओं की सहभागिता कार्यक्रम भारत की स्थापना सहित आर्थिक और गैर-आर्थिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों दोनों पर केंद्रित रहीं। पूर्वोत्तर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम निवेशक शिक्षा में युवा भागीदारी, जागरूकता और संरक्षण , संविधान दिवस का आयोजन और उसके बाद की गतिविधियाँ, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संवर्धन और

संरक्षण, जल संरक्षण, योग, शौचालयों के निर्माण की सुविधा, वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं को लोकप्रिय बनाना ,

पौधारोपण, महिला सशक्तीकरण, प्लास्टिक मुक्त गाँव, रक्तदान, कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ युवाओं को जोड़ना, श्रमदान, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ, एचआईवी / एड्स की रोकथाम, मद्यपान एवं नशे के दुष्परिणाम,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रचार, मतदाता जागरूकता, आदि का युवा मंडलों, युवा स्वयंसेवकों और ग्राम समुदायों की भागीदारी के साथ अन्य मंत्रालयों और प्रशासनों के सहयोग से नेयुकेस द्वारा स्वैच्छिक आधार पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हालाँकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21

उत्पत्ति और अवधारणा

नेयुकेस की वार्षिक कार्य योजना— 2020– 2021 नेयुकेस क्षेत्र के अधिकारियों के विचार-मंथन एवं प्रतिक्रिया और जो माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम एवं मंत्रालय, सचिव (युवा मामले), संयुक्त सचिव(युवा मामले), और महानिदेशक, , नेयुकेस द्वारा दिये गए सुझावों का परिणाम है और इसके साथ साथ भारत सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और फोकस पर आधारित है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर कब्जा करने के लिए, नेयुकेस की वार्षिक कार्य योजना— 2020– 2021 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्रामीण युवाओं को जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण, नेतृत्व, व्यक्तित्व और कौशल विकास के साथ-साथ अन्य अवसर उपलब्ध हो सकें और इसके साथ साथ योजना और सामुदायिक जुड़ाव में भागीदार बन सकें ताकि राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान दिया जा सके।

इसे एक उत्पादक युवा कार्यबल का निर्माण करना है जो भारत के आर्थिक विकास में स्थायी योगदान दे सके, साथ ही साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी विकसित कर सके। यह देश में राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए आवश्यक सामुदायिक सेवाओं के लिए युवाओं के बीच में सामाजिक मूल्यों और स्वयंसेवकवाद की भावना स्थापित करेगा और शासन के सभी स्तरों पर उनके नागरिक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा।

इसके अलावा, एक तरफ समाज के विभिन्न वर्गों से ग्रामीण युवाओं की कवरेज और भागीदारी को बढ़ाने और दूसरी ओर नेयुकेस के कार्यक्रमों और छवि की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

नेयुकेस के कोर कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त हुए युवाओं को सार्थक जीवनयापन के लिए अपने सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के लिए खुद को विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। युवाओं को उनके संबंधित गांवों में कल्याण और विकास गतिविधियों के लिए सामुदायिक नेतृत्व हेतु स्थानीय नेतृत्व संभालने के लिए निर्देशित, प्रेरित और मंच प्रदान किया जाएगा। दृश्यमान परिणामों को प्राप्त करने हेतु उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर विभिन्न विकास विभागों, एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पीआरआई, गाँव के खिलाड़ियों और सेवा प्रदाताओं के साथ कोर कार्यक्रम और समन्वय गतिविधियों के माध्यम से विकसित और प्रेरित युवाओं के कैंडर को प्रोत्साहित किया जाना

चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित क्षेत्रों पर संयुक्त वार्षिक कार्य योजना 2020-21 बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यह एक ओर फ्रेमयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक स्वामित्व और जिम्मेदारियों के आवंटन को बढ़ावा देना है और दूसरी ओर देश भर में गतिविधियों के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए युवाओं के नेतृत्व की योजना को लागू करना है।

623 जिलों में से प्रत्येक पर स्थित ग्राम आधारित कार्य योजनाएँ, जहाँ वर्तमान में नेयुकेस कार्य कर रहा है, को जिला स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय कार्य योजना को उनके सभी 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य की योजनाओं को विकसित करने के लिए संकलित किया जाना चाहिए। इसी तरह, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यवाई योजनाओं को संकलित किया जाएगा, और यह नेयुकेस की राष्ट्रीय वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को तैयार करने में सहायता करेगा।

ग्राम स्तर से ही वार्षिक कार्य योजना में से प्रत्येक को वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले फोकस क्षेत्रों, रणनीतियों, गतिविधियों, सहयोगी एजेंसियों, समय सीमा और औसत दर्जे के परिणाम संकेतकों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। वर्ष भर में वार्षिक कार्य योजना कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को परिभाषित उपकरणों और विधियों के साथ निगरानी की जानी चाहिए, उनके निष्पादन के प्रत्येक स्तर पर सामग्री और जिम्मेदारियों द्वारा विधिवत समर्थित, प्रत्येक फोकस क्षेत्र के लिए ठोस अपेक्षित परिणामों के लिए मार्गदर्शन और अनुवर्ती कार्यवाई की जानी चाहिए। इस अभ्यास को क्रियान्वित वार्षिक कार्य योजना 2020-21 की उपलब्धियों का वैज्ञानिक रूप से प्रलेखन करना चाहिए।

उपरोक्त प्रक्रिया युवाओं को विकसित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए परिस्थितियों और तंत्र को बढ़ावा देगी और अपनी स्वयं की स्थायी आजीविका के लिए क्षमता के साथ-साथ उन्हें अपने गांव के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाएगी, जिसमें स्वयंसेवा की भावना शामिल है। इसके अलावा, यह युवा आंदोलन उत्पन्न करने, प्रतिबद्ध और अधिक जागरूक युवाओं का कैंडर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेगा।

यह न केवल रचनात्मक तरीके से ग्रामीण युवाओं के सार्थक जुड़ाव में मदद करेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी बढ़ावा देगा। इसे साकार करने के

लिए, राष्ट्रीय प्राथमिकता के कार्यक्रमों के अलावा, एनवाईकेएस द्वारा देश भर में कार्यान्वयन के लिए छह फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के साथ ग्रामीण युवाओं की प्रमुख स्वेच्छिक भूमिका और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों, विकास विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय किया गया है।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों की गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण परिणामों के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समस्त नेहरू युवा केन्द्रों को मौसम की भौगोलिक स्थितियों, एन.वाई.वी. की तैनाती और प्रशिक्षण, और इसके साथ-साथ जिला नेहरू युवा केन्द्रों में स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखकर योजना तैयार करनी होगी। इसके अतिरिक्त, योजना में, सभी पणधारियों के साथ तालमेल के लिए गुंजाइश को और अधिक व्यापक कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को संगठित करने के लिए ही नहीं अपितु एक और पारदर्शिता तथा मानिट्रिंग को बनाए रखने के लिए तथा दूसरी ओर सरकार के वरीयता क्षेत्रों में योगदान देने के लिए भी किया गया है।

लक्ष्य- राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण युवाओं का विकास तथा सशक्तिकरण

उद्देश्य:

1. नेतृत्व और समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रेरित एवं संगठित करना और उनका सशक्तिकरण करना।
2. गांव आधारित युवा मंडलों के रूप में लोकतांत्रिक संरचनाओं को विकसित करने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाना
3. युवा आंदोलन, उनकी रुचि के क्षेत्रों पर आधारित युवा समूहों के कैंडर का निर्माण करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।
4. युवाओं को उनकी आवश्यकताओं, मुद्दों और कमजोरियों के साथ-साथ संरचनात्मक और अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने के लिए विकसित और सशक्त बनाना
5. विकसित और सशक्त युवाओं को स्वेच्छिक भावना से सामाजिक एवं विकास मुद्दों को संबोधित करने, सामाजिक कल्याण एवं शांति बनाए रखने में स्थानीय नेतृत्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित और सहायता करना।
6. राष्ट्र निर्माण में अर्थपूर्ण योगदान देने और उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए युवाओं को सुअवसर प्रदान करना।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के घटक

नेयुकेस की संरचना, नेटवर्क, समन्वय, उपलब्ध युवा स्वयंसेवकों और प्रशिक्षित मानव संसाधन के माध्यम से उपरोक्त लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को दो श्रेणियों में रखा गया है –फोकस क्षेत्र और कोर कार्यक्रम।

ए) फोकस क्षेत्र

नेयुकेस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और ग्रामीण समुदायों की साझेदारी के साथ और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों, विकास विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय में देश भर में कार्यान्वयन के लिए छह फोकस क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

- 1- युवा मानचित्रण, कौशल और हैंडहोल्डिंग– आत्मनिर्भर भारत
- 2- कोविड 19 – चल रहे अभियान तथा लॉक डाउन के बाद हस्तक्षेप (intervention)
- 3- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमें स्थापित करना
- 4- युवाओं को स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवनशैली और फिट इंडिया पर प्रशिक्षण
- 5- स्वच्छ ग्राम–हरित ग्राम अभियान
- 6- जल जागरण अभियान

बी) कोर कार्यक्रम

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के ब्लॉक अनुदान से वित्त पोषित किए जाने वाले कोर कार्यक्रमों के 12 सेट हैं। वे युवाओं को जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण, नेतृत्व, व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए अवसर प्रदान करेंगे, जिससे फोकस क्षेत्रों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान दिया जा सके। कोर कार्यक्रम इस प्रकार हैं

1. आत्मनिर्भर भारत - युवा मानचित्रण, कौशल और हैंडहोल्डिंग

- आत्म निर्भर भारत और मुद्रण / डिजिटलाइजेशन की योजनाओं पर पुस्तिका तैयार करना,
- युवाओं का अभिमुखीकरण
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम और सुविधा अभियान

- बुनियादी व्यवसायों में शिक्षा
- डिजिटल सुविधा - बैंक मितत्रों के काडर का निर्माण
- रोज़गार मार्गदर्शन- रोज़गार परामर्श, रोज़गार मेला

- 2 कोविड-19 – हस्तक्षेप
- 3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमें स्थापित करना
- 4 युवाओं को स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवनशैली और फिट इंडिया पर प्रशिक्षण
 - ए ब्लॉक स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता
 - बी जिला स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता
 - सी जिला स्तर पर कला और संस्कृति को प्रोत्साहन
5. स्वच्छ ग्राम-हरित ग्राम पर युवाओं को प्रशिक्षण
6. जल जागरण अभियान पर युवाओं को प्रशिक्षण
7. युवा मण्डल विकास अभियान- कार्य योजना का निर्माण
8. राष्ट्रीय महत्व के दिवसों, राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह का आयोजन
9. जिला युवा सम्मेलन
10. महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती का आयोजन
 - स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान
 - स्वच्छता पखवाड़ा सहित स्वच्छता कार्य योजना
- 11 उत्कृष्ट युवा मंडलों को पुरस्कार
- 12 देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रतियोगिता

उप निदेशक तथा जिला युवा समन्वयक की सहायता और मार्गदर्शन द्वारा राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईवी) स्वयंसेवकों की सेवाओं का रणनीतिक उपयोग

- ✓ ने.यु.के. द्वारा 623 जिलों में 12,000 एनवाईवी स्वयंसेवक तैनात किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ✓ यह योजना इस प्रकार बनाई जाये कि तैनात किए गए स्वयंसेवक बल की सेवाओं का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु उन्हें इस संबंध में चालू ने.यु.के.सं. वार्षिक कार्य योजना तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं की उम्मीदों के अनुसार उपरोक्तानुसार चिन्हित फोकस क्षेत्रों में समन्वय, रिपोर्टिंग, मानीटरिंग तथा पहले से मौजूद प्रशिक्षण के अन्य पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ✓ यह योजना बनाई जाये कि एनवाईवी स्वयंसेवक ने.यु.के.सं. के बुनियादी कार्यक्रमों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों का लक्ष्यकृत समन्वय के लिए ग्राम समूहों के युवा मंडलों की देखभाल करेंगे तथा अपने संबंधित ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों में अनुवर्ती गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेंगे।
- ✓ ने.यु.के. के बुनियादी कार्यक्रमों के तहत शामिल किए जाने वाले युवाओं को अपने संबंधित ग्रामों में समान प्रकार के जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रेरित और सहायता की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, उन्हें चिन्हित मुद्दों पर ने.यु.के.सं. के बुनियादी कार्यक्रमों के अनुभवी पदनामित एनवाईवी.स्वयंसेवक तथा संसाधन व्यक्ति सुलभ कराए जाने चाहिए।
- ✓ समय-समय पर 6 फोकस क्षेत्रों, कोर कार्यक्रमों और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकता गतिविधियों के लिए गुणात्मक परिणाम की मात्रा निर्धारित करने के लिए, प्रत्येक एनवाई वालंटियर को फोकस क्षेत्रों और कोर से कार्यक्रम संबंधित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा मंडलों की संख्या के लिए लक्ष्य सौंपा जाना चाहिए।

समन्वय

ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने के क्रम में, जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अन्य विकास विभागों, एजेंसियों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय और सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले नेयुकेस मुख्यालय से उचित माध्यम द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- ✓ आशान्वित परिणामों के साथ जिला ने.यु.के. के कारगर ढंग से काम करने के लिए समुचित कार्य योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, पारदर्शिता तथा मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) की दो बैठकों का आयोजन 623 जिलों में प्रत्येक में उनके संबंधित जिले के उपायुक्त/कलक्टर की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।

- ✓ उसी तरह, प्रत्येक राज्यों में **युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति** (एसएसीवाईपी) की दो बैठकें माननीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल तथा विकास एजेन्सियों के प्रमुखों और अन्य गैर-अधिकारी सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित की जानी चाहिए।
- ✓ जैसा कि अवगत है कि उपरोक्त समितियाँ माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष ने.यु.के.सं. के अनुमोदन द्वारा उपरोक्त समितियों का पुनःगठन किया गया है, इसलिए इसी आधार पर डीएसीवाईपी तथा एसएसीवाईपी का पुनर्गठन **क्रमशः अनुबंध-3 एवं 4** पर दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

समन्वय गतिविधियाँ जिले में **युवा मंडलों तथा जीवन के सभी भागों से आने वाले युवाओं और एनवाई.वी स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी** के साथ आयोजित की जानी चाहिए। यह 2019-20 के दौरान स्थानीय संसाधन जुटाने तथा अन्य विभागों एवं एजेन्सियों के साथ समन्वय में हासिल किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, उप निदेशक/जिला युवा समन्वयक को मानीटरिंग के अलावा जिले में अन्य विकास विभागों तथा एजेन्सियों के साथ समन्वय में प्रस्तावित गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्ण सहायता, मार्गदर्शन तथा एनवाई.वी स्वयंसेवक तथा प्रशिक्षित युवा मंडल नेता सुलभ कराने चाहिए।

नेयुकेस वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के फोकस क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

वार्षिक कार्य योजना को साकार करने के लिए नेयुके से संबद्ध युवा मंडलों और ग्राम समुदायों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों, विकास विभागों और एजेंसियों के समन्वय से निम्नलिखित क्षेत्रों में छह फोकस क्षेत्रों को स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

नेयुकेस कोर कार्यक्रमों के माध्यम से फोकस क्षेत्रों के कार्यान्वयन की सुविधा और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान करने के लिए युवा नेताओं और स्वयंसेवकों को जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण, नेतृत्व, व्यक्तित्व और कौशल विकास मिलेगा। नेयुकेस के कोर कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त हुए युवाओं को अपने सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए खुद को विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

जिला युवा समन्वयक निम्नलिखित सुनिश्चित करें:

- प्रत्येक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक (NYV) को उनके आवंटित ब्लॉकों में न्यूनतम 25-30 नेयुके से संबद्ध युवा मंडलों को शामिल करने का लक्ष्य दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें ऊपर उल्लिखित बिंदुओं के आधार पर युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर क्षेत्र की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- युवाओं को उनके संबंधित गांवों में फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों में सामुदायिक गतिशीलता और कार्यशीलता के लिए स्थानीय नेतृत्व संभालने हेतु निर्देशित, प्रेरित और मंच प्रदान किया जाना चाहिए। युवा मंडल के प्रत्येक सदस्य को फोकस क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, अपने साथियों और अन्य ग्रामीणों को प्रेरित करने के साथ-साथ पीआरआई, स्थानीय निकाय और ग्राम समुदायों को अपनी कार्य योजना के अनुसार फोकस क्षेत्र गतिविधियों के निष्पादन के लिए सहमत करना चाहिए।

- प्रत्यक्ष परिणामों हेतु उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर विभिन्न विकास विभागों, एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वयसुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- पी आर आई के साथ प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं, ग्राम प्रवक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रत्येक फोकस क्षेत्र के लिए अलग-अलग निर्धारित प्रारूप में फोकस क्षेत्रों पर ग्राम स्तरीय संयुक्त वार्षिक कार्य योजना 2020-21 बनाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। एक ओर यह सामूहिक स्वामित्व और जिम्मेदारियों के आवंटन को बढ़ावा देते हुए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और दूसरी ओर देश भर में गतिविधियों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए युवाओं के नेतृत्व में माहौल बनाया जाना चाहिए।
- 623 जिलों में से प्रत्येक में, जहां नेयुकेस कार्यरत है, वहाँ ग्राम स्तर की कार्य योजनाओं को जिला स्तर पर संकलित किया जाना चाहिए।
- जिला कार्य योजनाओं को उनके सभी 29 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य कार्य योजना बनाने के लिए संकलित किया जाना चाहिए। इसी तरह, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य योजनाओं को संकलित किया जाना चाहिए जिससे नेयुकेस की राष्ट्रीय वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का निर्माण किया जा सकेगा।

A) नेयुकेस वार्षिक कार्य योजना के फोकस क्षेत्र 2021-2020 -

- .1 युवा मान चित्रण , कौशल और हैंडहोल्डिंग – आत्मनिर्भर भारत
- .2 कोविड- : 19 वर्तमान में चल रहे अभियान और लॉकडाउन के बाद हस्तक्षेप
- .3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमें स्थापित करना
- .4 युवा नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान, युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली
- .5 स्वच्छ ग्राम – हरित ग्राम अभियान
- .6 जल जागरण अभियान

बी (छह फोकस क्षेत्रों को साकार करने के लिए रणनीतियाँ :

- ग्रामीण युवाओं को गांव आधारित युवा मंडलों के रूप में सामाजिक रूप से समावेशी लोकतांत्रिक संरचनाओं को विकसित करने के लिए संगठित, प्रेरित और सक्रिय करना।

- युवाओं की क्षमता और कौशल विकसित करना और इस तरह उन्हें स्वयंसेवीवाद की भावना के साथ फोकस क्षेत्र को संबोधित करने में नेतृत्व ग्रहण करने में सक्षम बनाना।
- युवाओं को उनके आर्थिक विकास के लिए सशक्त बनाना, उनकी आवश्यकताओं, मुद्दों और कमजोरियों को संबोधित करना
- युवा नेतृत्व में संयुक्त कार्य योजना के विकास और सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी के साथ फोकस क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए समर्थन और संवेदनशीलता।
- ग्राम कार्य योजना के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन, निगरानी, समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रवार फोकस ग्राम समितियों का गठन।
- प्रत्येक फोकस क्षेत्र के परिणामों को साकार करने के लिए और आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने के लिए अन्य विकास विभागों, हितधारकों, एजेंसियों और संस्थानों के साथ तालमेल के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर युवा मंडलों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के अभिज्ञान के लिए पुरस्कारों को संस्थापित करना

1. फोकस क्षेत्र युवा मान चित्रण -, कौशल और हैंडहोल्डिंग आत्मनिर्भर भारत -

पृष्ठभूमि

कोविड -19 लॉकडाउन के मद्देनजर भारत सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इस आत्म निर्भर भारत अभियान पैकेज में भारत सरकार ने सेक्टर और प्रोत्साहन पैकेज की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कई वित्तीय सहायता योजनाओं की घोषणा की है जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रवासियों और किसानों सहित गरीब और छोटे व्यापारियों, किसानों, सड़क विक्रेताओं, प्रवासियों, निर्माण श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सुधारक शामिल हैं।

माननीय प्रधानमंत्री का विजन

- आत्मनिर्भर भारत अभियान की दरकार (आत्म निर्भर भारत आंदोल)
- आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ - अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग 20 लाख करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज
- कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई), मजदूरों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैकेज।
- पूरे सेक्टर में साहसिक सुधार देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाएगा
- यह स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होने और उन्हें वैश्विक बनाने का समय है।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 20.97 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज (स्टिमुलस पैकेज) की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज (स्टिमुलस पैकेज) एम एस एम ई से लेकर खेती तक के क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है जो नीचे उल्लिखित हैं।

- ✓ एम एस एम ई ऋण
- ✓ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण
- ✓ मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण
- ✓ प्रधान मंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (PMAY-CLSS)
- ✓ स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता में संशोधन
- ✓ फुटपाथ विक्रेता ऋण
- ✓ कृषि क्षेत्र के लिए अतिरिक्त घोषणा
- ✓ मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त घोषणा

उद्देश्य:

- छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांकितों को सरकारी योजनाओं के लाभों का उपयोग कराना
- रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म (चैंपियंस वेबसाइट - एमएसएमई) के साथ युवाओं को जोड़ना
- युवाओं को एक सार्थक जीवन जीने के लिए अपने आर्थिक और व्यक्तिगत कल्याण के अवसरों का लाभ उठाने के लिए जागरूक और प्रेरित करना
- जीविका परामर्श, मार्गदर्शन, और सहयोग का एक इको-सिस्टम बनाकर कुशल और अकुशल युवाओं के लिए विकास को बढ़ावा देना

- युवाओं को संभालना और विकास एजेंसियों, उद्योगों, सेवा प्रदाताओं के साथ कौशल विकास और प्लेसमेंट के लिए समन्वय स्थापित करना

रणनीतियाँ

- डेटा संग्रह और प्रलेखन
- परामर्श, मार्गदर्शन, सरलीकरण
- रोजगार / नौकरी के लिए लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, उद्योगों और अन्य के साथ संबंध स्थापित करना
- बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करना
- कौशल प्रशिक्षण के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना
- प्रशिक्षकों, परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों के समूह की पहचान करना
- विशेषज्ञों और प्रेरकों द्वारा जागरूकता वार्ता और संवेदीकरण
- ई-लर्निंग / डिजिटल लर्निंग - बैंक मित्र बनाना: ऑनलाइन फॉर्म भरना

सुझाव कार्य

- कौशल मानचित्रण अभ्यास
- छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांतों के लिए योजनाओं की किट तैयार करें
- जरूरतमंदों का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को तैयार करना और शिक्षित करना
- जरूरतमंदों तक पहुंचें और उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक करें
- लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाएं
- सुविधा शिविरों का आयोजन
- व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम अभियान
- डिजिटल फॉर्म भरने में सुविधा
- एम एस एम एस) एम एस एम एस) की चैंपियंस वेबसाइट पर युवाओं के मैप किए गए डाटा के साथ उपलब्ध कौशल को जोड़ना
- रोजगार मेला, रोजगार परामर्श और मार्गदर्शन

- नौकरियों के लिए लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), और अन्य संभावित उद्योगों की सूची तैयार करना
- विकास एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय
- युवाओं को बुनियादी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से गुजरने के लिए प्रेरित करना
- जरूरत के अनुसार कौशल उन्नयन, कौशल निर्माण, प्रशिक्षण
- रोजगार / स्व-रोजगार के लिए हैंडहोल्डिंग और अनुवर्ती कार्यवाई

सहयोगी एजेंसियां

- जिला स्तर पर विकास विभाग और एजेंसियां
- लघु और मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई)
- एम एस डी और ई - जिला और ब्लॉक स्तर पर एन एस डी सी प्रशिक्षण प्रदाता – पीएमकेके, जेएसएस
- बैंक-वित्तीय संस्थान
- शिक्षा, आईटीआई, प्रबंधन संस्थान
- कौशल विकास प्रशिक्षण एजेंसियां
- प्लेसमेंट एजेंसियां
- उद्यम
- कोचिंग सेंटर
- सामान्य सेवा केंद्र

अपेक्षित परिणाम - निगरानी और सफलता संकेतक

- छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांतों के लाभ के लिए योजनाओं की तैयार की गई किट की संख्या
- जरूरतमंदों का मार्गदर्शन करने और सहयोग करने के लिए तैयार किए गए युवा स्वयंसेवकों की संख्या
- छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांतों के साथ साझा की गई किटों की संख्या
- छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांतों की संख्या जिनसे संपर्क किया गया और उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक और लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया
- आयोजित किए गए सुविधा शिविरों की संख्या

- डिजिटल फॉर्म भरने में सुविधा प्रदान किए गए छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांतों की संख्या
- छोटे व्यापारियों, किसानों और सीमांतों की संख्या जिनको लाभ मिला
- चैंपियंस पोर्टल पर एम एस एम ई के साथ साझा किए गए 7डाटा में कुशल युवाओं की संख्या
- रोजगार परामर्श और मार्गदर्शन कार्यक्रमों में भागीदार युवाओं की संख्या
- कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित और परामर्श प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या
- आयोजित ई बी वी कार्यक्रमों की संख्या
- आयोजित रोजगार मेलों की संख्या
- रोजगार मेलों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या
- प्रशिक्षण और कौशल निर्माण में लगे युवाओं की संख्या
- सुविधा प्राप्त करने वाले और हैंडहेल्ड युवाओं की संख्या
- एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या
- कौशल प्रशिक्षण के बाद युवाओं रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या
- स्वरोजगार उपक्रमों में लगे युवाओं की संख्या

फोकस क्षेत्र युवा मान चित्रण , कौशल और हैंडहोल्डिंग के उद्देश्यों को साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए – *आत्मनिर्भर भारत में स्वयंसेवकवाद* के उद्देश्यों को साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए **कोर कार्यक्रम -आत्म निर्भर भारत और मुद्रण / डिजिटलाइजेशन की योजनाओं पर पुस्तिका तैयार करना, युवाओं का उन्मुखीकरण, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम और सुविधा अभियान, बुनियादी व्यवसायों में शिक्षा, डिजिटल उत्थान - बैंक मित्र के काडर का निर्माण, रोजगार मार्गदर्शन- रोजगार परामर्श, रोजगार मेला** प्रदान किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का **एस ओ पी** अध्याय 4- में दिया गया है। ये कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता, जागरूकता के स्तर, समझ, नेतृत्व, प्रेरणा और कौशल को बढ़ाएंगे और इस तरह उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ अपनेअपने गांवों में फोकस क्षेत्रों - कीगतिविधियों को लागू करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

जिला युवा समन्वयकों को एनवाईवी को 25-30 युवा मण्डलों या जरूरत के अनुसार समूह बनाने का लक्ष्य देना चाहिए। एनवाईवी को **फोकस क्षेत्र - युवा मान चित्रण , कौशल और हैंडहोल्डिंग** के लिए आवंटित

गांवों के युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना को अनुलग्नक- 6, 6 ए और 6 बी में दिए गए प्रपत्र में अंतिम रूप देने के लिए मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए। एनवाईवी को समन्वय की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और नियमित रूप से आवंटित युवा मंडलों के संपर्क में रहना चाहिए और युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने संबंधित गांवों में स्वैच्छिक आधार पर उपर्युक्त फोकस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

2. फोकस क्षेत्र अभियान और :19-कोविड -लॉकडाउन के बाद हस्तक्षेप

जब 31 दिसंबर 2019 को चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति का पहला मामला सामने आया, तो किसी ने अपनी बेतहाशा कल्पना में भी कल्पना नहीं की थी कि एक साधारण सी दिखने वाली घटना विशाल संकट के रूप में विस्फोट कर सकती है और पूरी दुनिया को उसमें समाहित कर सकती है। दुनिया भर में लोगों ने इसे लापरवाही के दृष्टिकोण और शालीनता के साथ लिया और इसी लापरवाही वाली प्रवृत्ति ने महामारी को एक असहनीय पैमाने तक संक्रमित करने में मुख्य भूमिका निभाई।

जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चीन के हुबेई प्रांत में एक नए कोरोना वायरस रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया भर के 115 से अधिक देशों को प्रभावित करने वाली महामारी घोषित कर दिया है। भारत ने 30 जनवरी 2020 को केरल में अपने पहले कोविड-19 मामले को देखा, यह एक तरह से आने वाले संकट के लिए एक खतरे की घंटी के समान था। विश्व के अन्य हिस्सों की तरह, हम भी शुरू में अपनी प्रतिक्रियाओं में सीमित थे।

हमेशा की तरह बड़ी लापरवाही थी। लोग इस तथ्य को स्वीकार करने से कतरा रहे थे कि महामारी हमारे क्षेत्रों में भी आ सकती है। गैर-गंभीरता बहुत डरावनी लग रही थी। बहरहाल, नेयुकेस ने जागरूकता और निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करके महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से काम करना शुरू कर दिया। रोकथाम के विभिन्न तरीकों के लिए प्राप्त महामारी और ज्ञान की उन्नति के साथ सामाजिक दूरी, हाथ धोने और स्व-अलगाव को भी बढ़ावा दिया गया था।

उद्देश्य

- ✓ बुजुर्गों के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए परिवारों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना
- ✓ बड़े पैमाने पर फेस मास्क के उत्पादन और उनके वितरण को बढ़ावा देना
- ✓ कोविड -19 से न डरने के लिए अभियान; मिथकों को तोड़ना, नकली खबरें, अफवाहों, सामाजिक कलंक और भेदभाव को रोकने और प्रभावित परिवारों का समर्थन करना ।
- ✓ कोविड-19 और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाना

- ✓ जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित क्षेत्रों में रोकथाम, राहत और समर्थन गतिविधियों का संचालन करना

सुझाव कार्य

- ✓ फेस मास्क के उत्पादन और वितरण अभियान को बढ़ावा देना
- ✓ बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए परिवारों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना
- ✓ आई जी ओ टी पोर्टल में स्वयंसेवकों की शिक्षा
- ✓ आरोग्य सेतु ऐप - डाउनलोडिंग
- ✓ स्टाफ और युवा स्वयंसेवकों की तैनाती करके जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करें
- ✓ दीवार लेखन, सोशल मीडिया अभियान, जागरूकता पैदा करने, मिथकों, फर्जी समाचारों और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए ई-पोस्टर अभियान,
- ✓ कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोविड वारियर्स के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को रोकना
- ✓ समर्थन और राहत गतिविधियों का संचालन

सहयोगी एजेंसियां

- ✓ नेयुकेस से संबद्ध युवा मण्डल, युवा नेता, कोविड 19-स्वयंसेवक, ग्राम पंचायत और जनमत नेता
- ✓ जिला प्रशासन और नामित एजेंसियां
- ✓ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता
- ✓ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, iGOT
- ✓ गैर सरकारी संगठन

अपेक्षित परिणाम - निगरानी और सफलता संकेतक

- ✓ उत्पादित और वितरित किए गए फेस मास्क की संख्या
- ✓ बुजुर्गों की देखभाल के लिए उन्मुख और संवेदनशील परिवारों की संख्या
- ✓ समर्थन प्राप्त कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों के परिवारों की संख्या
- ✓ iGOT पोर्टल पर शिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या
- ✓ आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने वाले नागरिकों की संख्या
- ✓ जिला प्रशासन को सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या
- ✓ कोविड-19 को संबोधित करने के लिए गतिविधियों के प्रकार व संख्या
- ✓ दीवार लेखन, सोशल मीडिया अभियानों, ई-पोस्टर अभियानों की संख्या
- ✓ शैक्षिक और प्रेरक वीडियो, पोस्टर, ऑडियो प्राप्त करने वाले युवाओं और नागरिकों की संख्या

फोकस क्षेत्र अभियान और :19-कोविड -लॉकडाउन के बाद हस्तक्षेप के उद्देश्यों को स्वयंसेवा की भावना के साथ साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए **कोर कार्यक्रम - हस्तक्षेप के प्रकार, प्रशिक्षण, आई ई सी सामग्री की तैयारी, जागरूकता अभियान, पर्यावरण निर्माण, प्रचार, वेबिनार आयोजित करना, संसाधन व्यक्तियों के लिए मानदेय और अन्य विविध खर्चों को पूरा करने के लिए** प्रदान किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का **एस ओ पी** अध्याय 4- में दिया गया है। ये कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता, जागरूकता के स्तर, समझ, नेतृत्व, प्रेरणा और कौशल को बढ़ाएंगे और इस तरह उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ अपनेअपने गांवों में फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों को लागू करने में सुविधा प्रदान - करेंगे।

जिला युवा समन्वयकों को एनवाईवी को 25-30 युवा मण्डलों या जरूरत के अनुसार समूह बनाने का लक्ष्य देना चाहिए। एनवाईवी को **फोकस क्षेत्र - कोविड-19: अभियान और पोस्ट लॉकडाउन इंटरवेंशन** के लिए आवंटित गांवों के युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना को अनुलग्नक- 6, 6 ए और 6 बी में दिए गए प्रोफार्मा में अंतिम रूप देने के लिए मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए। एनवाईवी को समन्वय की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और नियमित रूप से आवंटित युवा मंडलों के संपर्क में रहना चाहिए और युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने संबंधित गांवों में स्वैच्छिक आधार पर उपर्युक्त फोकस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

3. फोकस क्षेत्र - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमें स्थापित करना

आपदा और जलवायु परिवर्तन वैश्विक विकास कार्यसूची के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सतत विकास कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है, जिसे केवल सुदृढ़ समुदायों के विकास पर निर्भर हो कर प्राप्त किया जा सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015 - 2030 राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कानून, राष्ट्रीय अभ्यास और शैक्षिक पाठ्यक्रम के अनुसार स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। विशेष रूप से, युवा स्वयंसेवक अपने विकास की योजनाओं में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर जोखिमपूर्ण समुदायों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

किसी भी आपदा में जान बचाने के लिए, क्षति को नियंत्रित करने और किसी भी माध्यमिक आपदा को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। प्रभावित समुदाय हमेशा "प्रथम उत्तरदाता" होता है। ज्यादातर मामलों में, यह किसी भी व्यवस्थित स्थापना के बाहर, स्वाभाविक रूप से होता है। समुदाय के स्वयंसेवक किसी भी आपदा की तत्काल प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय आपदा

प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस, अग्निशमन सेवाओं सहित अन्य संगठित सेवाओं को आपदा स्थलों तक पहुंचने में कुछ समय लगता है।

इस दौरान, स्वयंसेवक समूह न केवल प्रारंभिक बचाव और राहत सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि प्रभावित समुदाय और घटनास्थल पर पहुंचने वाले संस्थानों के बीच कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं, इस प्रकार सरकारी कर्ताओं द्वारा प्रतिक्रिया को मजबूत करते हैं। स्वयंसेवक "बल गुणक" के रूप में भी काम करते हैं, खासकर जब आपातकालीन सेवाओं को दूरस्थ प्रभावित समुदाय तक पहुंचाना होता है।

आपदा प्रबंधन पर हाई पावर कमेटी (HPC) की रिपोर्ट में स्वयंसेवी कार्रवाई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और आदिवर्णिक शब्द **VASUDEVA- सतत सार्वभौमिक विकास और आपातकालीन स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए स्वैच्छिक एजेंसियां** के साथ गैर सरकारी संगठनों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के आयोजन का सुझाव दिया गया इस आशय के साथ कि गैर सरकारी संगठनों और सरकारी क्षेत्र और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के बीच एक संबंध बन सके।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 (NDMP 2016) भी प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों के तहत स्वयंसेवकों की भूमिका पर जोर देती है जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) द्वारा समन्वित किया जाएगा।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रथम उत्तरदाता के रूप में नेयुकेस की संगठित और संरचित नियुक्ति के लिए स्वयंसेवकों के आपदा प्रतिक्रिया दलों (डीआरटी) की स्थापना करके संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाये . यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के सहयोग से भारत में ऐसे जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने का प्रस्ताव है।

उद्देश्य :

- ब्लॉक और जिला स्तर पर आपदा तत्परता और आपदा के बाद की प्रतिक्रिया और राहत के लिए नेयुकेस की संगठित और संरचित नियुक्ति के लिए स्वयंसेवकों के आपदा प्रतिक्रिया दलों (डीआरटी) की स्थापना करके संस्थागत तंत्र स्थापित करना
- आपदा के प्रथम उत्तरदाता के रूप में कार्य करने के लिए चयनित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टीम बनाना
- सामुदायिक जागरूकता और तैयारियों के लिए सामान्य समय के दौरान प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संचालन करना
- नेयुकेस पोर्टल पर प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों पर व्यापक डेटाबेस बनाए रखना

सुझाव

- देश भर से युवाओं का चयन
- एस डी एम ए एस एन / डी आर एफ बटालियन में प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षण युवाओं के बैच बनाएं।
- एस डी एम एसएनडीआरएफ बटालियन में सहमत पाठ्यक्रम पर अनुकूलित व्य / ावसायिक प्रशिक्षण का संचालन करें।
- नेयुकेस वेबसाइट पर डी आर टी स्वयंसेवकों का डाटा बेस स्थापित करें।
- सामान्य समय के दौरान प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने के लिए एसओपी तैयार करें
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी) डी एम एके साथ संबंध स्थापित करना (
- डीडीएमए के साथ प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के डाटाबेस को साझा करना

सहयोगी एजेंसियां

- युवा मण्डल और युवा नेता और स्वयंसेवक
- एन डी एम ए और एस डी एम ए
- राष्ट्रीय स्तर पर एन डी आर एफ
- भारत में एन डी आर एफ (NDRF) बटालियन
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला प्रशासन
- ग्राम पंचायत और जनमत नेता
- शैक्षिक संस्थान

अपेक्षित परिणाम नियंत्रण और सफलता संकेतक -

- नामांकित और प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों की सूची और प्रोफाइल देखने के लिए नेयुकेस वेबसाइट पर विकसित पोर्टल
- कवर किए गए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों /, जिलों और ब्लॉकों की संख्या
- आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या
- एस डी एम ए अथवा एनडीआरएफ द्वारा पेशेवर ढंग से प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों की संख्या
- सामान्य समय के दौरान प्रशिक्षित युवाओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से संचालित जागरूकता गतिविधियों की संख्या
- आपदा प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए जुटाए गए युवाओं की संख्या

फोकस क्षेत्र - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमों स्थापित करना के उद्देश्यों को स्वयंसेवा की भावना के साथ साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए **कोर कार्यक्रम** और इन कार्यक्रमों का **एस ओ पी** अध्याय 4- में दिया गया है। ये कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता, जागरूकता के स्तर, समझ, नेतृत्व, प्रेरणा और कौशल को बढ़ाएंगे और इस तरह उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ अपने-अपने गांवों में फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों को लागू करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

जिला युवा समन्वयकों को एनवाईवी को 25-30 युवा मण्डलों या जरूरत के अनुसार क्लस्टर बनाने का लक्ष्य देना चाहिए। एनवाईवी को **फोकस क्षेत्र - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमों स्थापित करने** के लिए आवंटित गांवों के युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना को अनुलग्नक- 6, 6 ए और 6 बी

में दिए गए प्रोफार्मा में अंतिम रूप देने के लिए मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए। एनवाईवी को समन्वय की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और नियमित रूप से आवंटित युवा मंडलों के संपर्क में रहना चाहिए और युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने संबंधित गांवों में स्वैच्छिक आधार पर उपर्युक्त फोकस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

4. फोकस क्षेत्र : स्वच्छ ग्राम – हरित ग्राम अभियान

“स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता मेरी जीवनशैली का एक अभिन्न हिस्सा है। मेरा सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता है और ” मैं अपने दिमाग से किसी को भी अपने गंदे पैरों से नहीं चलने दूंगा ” महात्मा गांधी।

भारत में सतत विकास के लिए स्वच्छ भारत और हरित भारत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वच्छ भारत अभियान हमारे राष्ट्रपिता का सपना था। महात्मा गांधी उस समय भारतीय ग्रामीण लोगों की खराब स्थिति के प्रति सचेत थे और उन्होंने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जहाँ उन्होंने जीवित रहने के लिए स्वच्छता पर जोर दिया। देश भर में स्वास्थ्य विज्ञान , कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान" भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है, जो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि है।

प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण में प्लास्टिक की वस्तुओं और कणों का संचय है जो मनुष्यों और जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्लास्टिक सस्ती और टिकाऊ हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों द्वारा प्लास्टिक का उत्पादन बहुत उच्च स्तर पर है। प्लास्टिक प्रदूषण से भूमि, जलमार्ग और महासागर सभी प्रभावित हो सकते हैं। जीवों, विशेष रूप से जानवरों, को या तो यांत्रिक प्रभावों से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुओं में उलझना, प्लास्टिक कचरे के अंतर्ग्रहण से संबंधित समस्याएं या रसायनों के संपर्क में आना। मनुष्यों पर प्रभाव में विभिन्न शारीरिक और हार्मोनल तंत्रों का विघटन शामिल है।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के आठ लक्ष्यों के तहत हरित भारत अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है, जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन देश के प्राकृतिक जैविक संसाधनों के वितरण, प्रकार और गुणवत्ता को और लोगों की संबद्ध आजीविका को गंभीरता से प्रभावित और बदल देगा। इसलिए, सतत विकास का आनंद लेने के लिए, हरित और स्वच्छ भारत के लिए अभियान में भाग लेने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

- ✓ लोगों को जागरूक करने और स्वच्छता, हरियाली और प्लास्टिक सामग्री के गैर-उपयोग की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए प्रेरित करना
- ✓ गाँवों को स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त और हरा-भरा बनाने के लिए चुनौतियों और बाधाओं को दूर करना
- ✓ युवाओं को अपने गांवों को संवारने के लिए शामिल करना
- ✓ आसपास के स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करना
- ✓ गाँवों को गंदगी और प्लास्टिक मुक्त और हरा-भरा बनाना
- ✓ स्वैच्छिक श्रम की आवश्यकता और महत्व और सामाजिक सुसंगतता और श्रम की गरिमा की भावना के प्रति इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना

सुझाव

- ✓ सेवा भाव और सकारात्मक मानसिकता के साथ पूरे गाँव में सफाई अभियान
- ✓ आसपास के स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सफाई
- ✓ गांव के सभी हिस्सों से प्लास्टिक सामग्री का संग्रह जब तक वह प्लास्टिक मुक्त नहीं हो जाता
- ✓ प्रमुख स्थानों, घरों, स्कूलों, दुकानों आदि में प्लास्टिक का उपयोग न होना
- ✓ कपड़े के थैलों और कूड़ेदान का वितरण
- ✓ घर घर प्लास्टिक एकत्र करना "निष्काम कर्म "
- ✓ कचरे और प्लास्टिक सामग्री के पुनर्चक्रण के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाना
- ✓ ग्राम सौंदर्यीकरण गतिविधियाँ सड़कें - सामाजिक आस्तियों को अपनाना), पंचायत घर, सामुदायिक स्थल, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पीएचसी, आदि
- ✓ औषधीय और स्थानीय प्रजातियाँ पौधारोपण
- ✓ युवाओं और ग्रामीणों द्वारा स्वच्छता अभियान और श्रमदान

सहयोगी एजेंसियां

- ✓ ग्राम पंचायत और जनमत नेता
- ✓ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
- ✓ वन, फूलों की खेती और बागवानी विभाग
- ✓ सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग
- ✓ प्रदूषण नियंत्रण विभाग
- ✓ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, उद्योग
- ✓ स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थान
- ✓ ग्रामीण विकास विभाग
- ✓ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

अपेक्षित परिणाम निगरानी और सफलता संकेतक -

- ✓ प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं की संख्या
- ✓ स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम अभियान में भाग लेने वाले लोगों की संख्या
- ✓ गतिविधियों की संख्या
- ✓ किचन गार्डन विकसित करने और तुलसी, आदि जैसे पौधे लगाने वाले घरों की संख्या
- ✓ औषधीय और स्थानीय प्रजातियों के लगाए गए पौधों की संख्या
- ✓ पंचायत घर, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों आदि जैसे सामुदायिक स्थानों को साफ करने के लिए आयोजित सफाई ड्राइव की संख्या
- ✓ आसपास के स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की संख्या
- ✓ एकत्र किए गए गांव के सभी हिस्सों से प्लास्टिक सामग्री की संख्या
- ✓ प्रमुख स्थानों, घरों, स्कूलों, दुकानों आदि पर प्रदर्शित "नो प्लास्टिक यूज प्रचार सामग्री की संख्या "
- ✓ वितरित किए गए कपड़े के बैग और कूड़ेदानों की संख्या
- ✓ आयोजित किए गए डोर टू डोर प्लास्टिक संग्रह अभियान की संख्या
- ✓ अपशिष्ट और प्लास्टिक सामग्री के पुनर्चक्रण की प्रौद्योगिकी के लिए परिवारों की संख्या

- ✓ ग्राम सौंदर्यीकरण गतिविधियाँ सड़कें - सामाजिक आस्तियों को अपनाना), पंचायत घर, सामुदायिक स्थल, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पीएचसी, आदि।

फोकस क्षेत्र : स्वच्छ ग्राम – हरित ग्राम अभियान के उद्देश्यों को स्वयंसेवा की भावना के साथ साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए **कोर कार्यक्रम - स्वच्छ ग्राम पर युवाओं का प्रशिक्षण - महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का उत्सव, स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान और स्वच्छता पखवाड़ा सहित स्वच्छता कार्य योजना** प्रदान किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का **एस ओ पी** अध्याय 4- में दिया गया है। ये कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता, जागरूकता के स्तर, समझ, नेतृत्व, प्रेरणा और कौशल को बढ़ाएंगे और इस तरह उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ अपने-अपने गांवों में फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों को लागू करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

जिला युवा समन्वयकों को एनवाईवी को 25-30 युवा मण्डलों या जरूरत के अनुसार समूह बनाने का लक्ष्य देना चाहिए। एनवाईवी को **फोकस क्षेत्र : स्वच्छ ग्राम – हरित ग्राम अभियान** के लिए आवंटित गांवों के युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना को अनुलग्नक- 6, 6 ए और 6 बी में दिए गए प्रोफार्मा में अंतिम रूप देने के लिए मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए। एनवाईवी को समन्वय की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और नियमित रूप से आवंटित युवा मंडलों के संपर्क में रहना चाहिए और युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने संबंधित गांवों में स्वैच्छिक आधार पर उपर्युक्त फोकस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

5. फोकस क्षेत्र – जल जागरण अभियान

‘यदि हम पानी को एक मुफ्त या सस्ते संसाधन के रूप में प्रयोग करना जारी रखते हैं तो यह बर्बाद हो सकता है। सबसे अच्छी नीतियां और प्रौद्योगिकियां भी मदद नहीं कर सकती हैं।

प्रधान मंत्री

राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) अभियान "कैच द रेन" टैगलाइन के साथ "बारिश को पकड़ो, जहां वह गिरे, जब वह गिरे" राज्य और हितधारक मानसून से पहले जलवायु की स्थिति और उप-मिट्टी की परत तैयार करने के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं तैयार करें।

इस अभियान के तहत, बांधों, वाटर हार्वेस्टिंग पिट जैसे छत आदि की जांच करने, अतिक्रमण हटाने और टैंक की डेसिल्टिंग को बढ़ाने के लिए उनकी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ड्राइव-; चैनलों में अवरोधों को हटाना जो जलग्रहण क्षेत्रों आदि से उनके लिए पानी लाते हैं; कुओं की मरम्मत और जलभराव वाले कुओं और अनुपयोगी कुओं का उपयोग करने के लिए एक्काफर्स इत्यादि में पानी डालकर लोगों की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी भवनों में छत पर आर डब्ल्यू एच एस होना चाहिए और किसी भी परिसर में गिरने वाले वर्षा जल की अधिकतम मात्रा परिसर के भीतर ही होनी चाहिए। मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि बिलकुल भी नहीं या केवल सीमित पानी ही परिसर से बाहर निकले। इससे मिट्टी की नमी में सुधार और भूजल तालिका बढ़ाने में मदद मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में यह सड़कों पर पानी के जमाव के कारण होने वाले नुकसान को कम करेगा और शहरी बाढ़ को रोकेगा।

उद्देश्य:

- जल संरक्षण की आवश्यकता और महत्व के बारे में ग्राम समुदाय को जागरूक और संवेदनशील बनाना
- जल पुनर्चक्रण, कटाई, संरक्षण और कायाकल्प गतिविधियां आयोजित करना
- अपव्यय से बचने के लिए लोगों को जल बजट अवधारणा का अभ्यास करने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना
- किसानों को सिंचाई के लिए नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना
- जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकना

सुझाव

- जल स्रोतों और पारंपरिक जल निकायों की गाद निकालना
- कुओं, तालाब, छोटे जल चैनल : खुदाई, रखरखाव और मरम्मत
- गाँव के तालाबों और कुओं का गहरीकरण
- पानी की टंकियों का निर्माण
- पीने के पानी के कुओं का कीटाणु शोधन
- जल बजट (क्या करें क्या न करें)
- हैंड पंपों की मरम्मत और इसके आसपास के क्षेत्र का रखरखाव
- पीने के पानी के लिए नालों का निर्माण करना
- वर्षा जल संचयन: घरों की छतों पर वर्षा जल का संग्रहण और भूमिगत टैंक में एकत्र होना
- पानी का पुनः उपयोग : पुनः उपयोग के लिए उपयोग किए गए पानी का संग्रह
- जल संरक्षण और कटाई

सहयोगी एजेंसियां

- जनस्वास्थ्य विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- सिंचाई विभाग
- पेयजल और स्वच्छता विभाग

- वन मंडल
- गैर सरकारी संगठन
- ग्राम पंचायत और जनमत नेता

अपेक्षित परिणाम - निगरानी और सफलता संकेतक

- प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं की संख्या
- जल साक्षरता और संरक्षण अभियान में भाग लेने वालों की संख्या
- आयोजित गतिविधियों की संख्या
- जल बजट का अभ्यास करने वाले परिवारों की संख्या
- पानी का पुनः उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या
- बनाए गए जल स्रोतों की संख्या
- पानी की टंकियों, लघु सिंचाई चैनल आदि के निर्माण की संख्या
- सफाई की गयी जल स्रोतों की संख्या
- जीर्णोद्धार किए पारंपरिक जल स्रोतों की संख्या
- वर्षा जल संचयन परियोजनाओं की संख्या
- आधुनिक सिंचाई विधियों का उपयोग करने वाले किसानों की संख्या

फोकस क्षेत्र - जल जागरण अभियान के उद्देश्यों को स्वयंसेवा की भावना के साथ साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए **कोर कार्यक्रम - जल जागरण अभियान पर युवाओं का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का अवलोकन** प्रदान किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का **एस ओ पी** अध्याय 4- में दिया गया है। ये कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता, जागरूकता के स्तर, समझ, नेतृत्व, प्रेरणा और कौशल को बढ़ाएंगे और इस तरह उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ अपने-अपने गांवों में फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों को लागू करने में सुविधा प्रदान करेंगे। जिला युवा समन्वयकों को एनवाईवी को 25-30 युवा मण्डलों या जरूरत के अनुसार समूह बनाने का लक्ष्य देना चाहिए। एनवाईवी को **फोकस क्षेत्र - जल जागरण अभियान** के लिए आवंटित गांवों के युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना को अनुलग्नक- 6, 6 ए और 6 बी में दिए गए प्रोफार्मा में अंतिम रूप देने के लिए मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए। एनवाईवी को समन्वय की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और नियमित रूप से आवंटित युवा मंडलों के संपर्क में रहना चाहिए और युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने संबंधित गांवों में स्वेच्छिक आधार पर उपर्युक्त फोकस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

6. फोकस क्षेत्र - युवा नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान, युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली

फिट इंडिया अभियान एक युवा नेतृत्व वाला आंदोलन है जो देश को स्वास्थ्य और कल्याण के रास्ते पर ले जा सकता है। यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करता है। आंदोलन के भागीदार के रूप में, नेयुके ने युवा मंडलों, उनके सदस्यों, व्यक्तियों और सभी आयु वर्ग के ग्रामीणों को स्वयं के

स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और साथ ही साथ सभी भारतीयों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा सकते हैं।

उद्देश्य

- ✓ ग्रामीण युवाओं के बीच स्वास्थ्य संस्कृति और साहस की भावना को बढ़ावा देने और इसे जीवन के तरीके के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- ✓ ऐसी स्वास्थ्य गतिविधियों को लोकप्रिय बनाना जिसके लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे, उपकरणों और वित्त की आवश्यकता होती है
- ✓ युवाओं के बीच स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के संदेश का प्रचार करना
- ✓ युवाओं में उनके प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शैली से बीमारियों के बारे में समझ विकसित करना
- ✓ एचआईवी-एड्स, एस टी आई, कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के तरीकों पर युवाओं को जागरूक और शिक्षित करना
- ✓ युवाओं को नशे के दुष्परिणाम से बचने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता के प्रति शिक्षित करना
- ✓ युवाओं को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने और भारतीय होने पर गर्व करने के लिए जागरूक और प्रेरित करना
- ✓ भारतीय युवाओं को स्वस्थ और उत्पादक मानव संसाधन के रूप में बदलना

सुझाव

- ✓ फिट इंडिया युवा मण्डल के रूप में पंजीकरण करने के लिए युवा मंडलों का संवेदीकरण
- ✓ फिट इंडिया फ्रीडम दौड़
- ✓ घर पर फिटनेस, परिवार के साथ फिटनेस
- ✓ गांवों में लोकप्रिय पारंपरिक खेल और क्रीडा
- ✓ खेल गतिविधियाँ और साहसिक कार्यक्रम
- ✓ योग और शारीरिक व्यायाम, टहलना और दौड़ना
- ✓ चलना, प्रभात फेरी, तैराकी,
- ✓ जिम, सामूहिक व्यायाम, नृत्य, स्किपिंग, साइकिलिंग
- ✓ जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम
- ✓ ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ✓ वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग
- ✓ विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, वार्ता और चर्चा
- ✓ युवा स्वास्थ्य की जाँच का शिविर
- ✓ युवा महिलाओं सहित सभी काटीकाकरण
- ✓ रक्तदान की गतिविधियाँ
- ✓ प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर बनाना, चित्रकारी, नारा लेखन
- ✓ मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए ग्राम आधारित गतिविधियाँ

रणनीतियाँ

- ✓ ऑपरेशनल हब के रूप में गाँव आधारित युवा मण्डल
- ✓ स्वास्थ्य के लिए परिवारों को अपनाना
- ✓ युवा नेताओं की कल्याण और सकारात्मक जीवन शिक्षकों और प्रेरकों के रूप में पहचान
- ✓ पर्यावरण निर्माण
- ✓ प्रशिक्षकों के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता, शिक्षा, प्रेरणा और प्रशिक्षण
- ✓ सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय
- ✓ शिविर
- ✓ सेवाओं तक पहुंच
- ✓ अनुवर्ती अभियान

सहयोगी एजेंसियां

- ✓ भारतीय खेल प्राधिकरण - फिट इंडिया मिशन
- ✓ खेल विभाग
- ✓ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- ✓ समाज कल्याण विभाग
- ✓ रेड क्रॉस सोसाइटी
- ✓ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
- ✓ ग्राम पंचायत और गाँव के प्रवक्ता
- ✓ ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति
- ✓ आशा कार्यकर्ता
- ✓ विचारवान नेता
- ✓ विषय विशेषज्ञ, संसाधन व्यक्ति, परामर्शदाता और जीवन कोच

अपेक्षित परिणाम - निगरानी और सफलता संकेतक

- ✓ पंजीकृत फिट इंडिया युवा मंडलों की संख्या
- ✓ आयोजित किलोमीटर दौड़ों की संख्या
- ✓ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अपनाए गए परिवारों की संख्या
- ✓ खेलों और क्रीड़ाओं की संख्या और भागीदारी की सीमा
- ✓ आयोजित अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों की संख्या
- ✓ भाग लेने वाले लोगों की संख्या
- ✓ नियमित रूप से फिटनेस गतिविधियां कर रहे युवाओं, किशोरों और बच्चों की संख्या
- ✓ वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने फिटनेस को दैनिक दिनचर्या बनाया
- ✓ फिटनेस के लिए कुछ समय निकालने वाली महिलाओं की संख्या

- ✓ युवा मण्डल के सदस्यों की प्रेरणा से अपने दैनिक जीवन में 60 मिनट की शारीरिक गतिविधि को शामिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या
- ✓ क्या फिटनेस ग्रामीणों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है
- ✓ प्रशिक्षित युवा नेताओं की संख्या
- ✓ आयोजित किए गए विषय आधारित कार्यक्रमों की संख्या
- ✓ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या
- ✓ आयोजित अनुवर्ती गतिविधियों की संख्या
- ✓ ड्रग्स को छोड़ देने वाले युवाओं की संख्या
- ✓ शिविरों के दौरान चिकित्सकीय रूप से जांच किए गए और रेफरल सेवाओं तक पहुंचने वाले युवाओं की संख्या
- ✓ बच्चों और महिलाओं की संख्या जिनका टीकाकरण किया गया
- ✓ रक्तदान करने वाले युवाओं की संख्या
- ✓ किशोर लड़कियों और लड़कों की संख्या जिनको आयरन फोलिक एसिड गोलियाँ प्रदान की गयी

फोकस क्षेत्र - युवा नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट, युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली के उद्देश्यों को स्वयंसेवा की भावना के साथ साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए **कोर कार्यक्रम - युवाओं को स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवनशैली और फिट इंडिया पर प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर खेल-कूद सम्मिलन, जिला स्तर खेल-कूद सम्मिलन और कला और संस्कृति का जिला स्तरीय संवर्धन** प्रदान किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का **एस ओ पी** अध्याय 4- में दिया गया है। ये कोर कार्यक्रम युवाओं की क्षमता, जागरूकता के स्तर, समझ, नेतृत्व, प्रेरणा और कौशल को बढ़ाएंगे और इस तरह उन्हें अपेक्षित परिणामों के साथ अपने-अपने गांवों में फोकस क्षेत्रों की गतिविधियों को लागू करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

जिला युवा समन्वयकों को एनवाईवी को 25-30 युवा मंडलों या जरूरत के अनुसार समूह बनाने का लक्ष्य देना चाहिए। एनवाईवी को **फोकस क्षेत्र - युवा नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट, युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली** के लिए आवंटित गांवों के युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना को अनुलग्नक- 6, 6 ए और 6 बी में दिए गए प्रोफार्मा में अंतिम रूप देने के लिए मार्गदर्शन और मदद करनी चाहिए। एनवाईवी को समन्वय की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और नियमित रूप से आवंटित युवा मंडलों के संपर्क में रहना चाहिए और युवा मंडलों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य लोगों को अपने संबंधित गांवों में स्वेच्छिक आधार पर उपर्युक्त फोकस क्षेत्र की गतिविधियों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

अन्य केंद्र बिंदु क्षेत्र

- i. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** की मुख्य विशेषताओं पर जागरूकता
- ii. **डॉ बी आर अम्बेडकर के संविधान दिवस, जीवन और कार्यों का आयोजन और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता**
- iii. **मतदाता जागरूकता** — सभी एनवाईवी और नेहरु युवा केन्द्रों के सदस्य, युवा मंडलों के सदस्यों कोविड 19 के स्वयंसेवकों को अपना मतदाता पहचान पत्र बनाना चाहिए

- iv. संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में योगदान।
- v. राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) पर समस्त युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़ी किसी विशेष गतिविधि के लिए एकत्रित किया जायेगा जोकि युवाओं के महत्व को बता सकें और उन्हें स्वाभिमान की भावना दे सके और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधि में शामिल कर सके और यह उनकी मुख्य यादों का हिस्सा बन जाये। इस कार्य के लिए एक छोटी टीम का गठन किया जाना है।
- vi. सौर ऊर्जा के उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण प्रचलनों के बारे में जागरूकता लाना और इसे जन अभियान का रूप देना।
- vii. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, किशोर लड़कियों को आयरन फोलिक गोलियों का वितरण, स्वास्थ्य जांच, बच्चों और गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए शिविरों का आयोजन, संस्थागत प्रसव की सुविधा, लड़कियों और उनके अभिभावकों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक विवाह न करने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। युवाओं को टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जायेगा क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षित जीवन के सुख की प्राप्ति होगी।
- viii. नशा एवं शराबखोरी समाप्त करना: शराब और नशे के उपयोग को ना करना।
- ix. रक्तदान कार्यक्रम, रक्त दानकर्त्ताओं और उनके ब्लड ग्रुप का नामांकन।
- x. प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों का स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता, स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की रोकने के लिए प्रयास करना।
- xi. आर्गेनिक कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और आर्गेनिक उत्पादों का प्रयोग करना।
- xii. सामाजिक मीडिया प्रशिक्षण और ई-सेवाओंको बढ़ावा देना

उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित जिला नेहरु युवा केन्द्र निम्नलिखित कार्यवाही करें :

- ✓ जिला नेहरु युवा केन्द्र युवा मंडल का उनके पंचायत के गांवों में गठन करेंगे जहाँ पर की वे अस्तित्व में नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है तो उन्हें पुनः जीवित करेंगे और उन्हें प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका के लिए सशक्त करेंगे।
- ✓ इन गांवों के युवा मंडल के सदस्यों की सहभागिता/भागीदारी कोर कार्यक्रमों, समन्वय गतिविधियों, एन.पी.वाई.ए.डी. कार्यक्रमों (राष्ट्रीय एकता शिविरों, साहसिक शिविरों और जीवन कौशल शिक्षा) तथा किशोर स्वास्थ्य, विकास परियोजना के दौरान सुनिश्चित करेंगे।

- ✓ कुछ आधारभूत कार्यक्रम, समन्वय गतिविधियाँ एन.पी.वाई.ए.डी. कार्यक्रम तथा अन्य विशेष कार्यक्रम इन चयनित गांवों में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के साथ आयोजित की जायेगी।
- ✓ उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर जारी किए गए पत्रों का भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भ लें।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के तहत

कोर कार्यक्रम

आयोजित करते समय अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

- नेयुकेस की कार्य योजना 2020-21 के कोर कार्यक्रम एवं गतिविधियों पर संक्षिप्त विवरण और **अनुलग्नक -1** पर देखा जा सकता है।
- इसके अलावा, किसी दिए गए जिले में ब्लॉक की संख्या के आधार पर कोर कार्यक्रम आवंटित करने की योजना बनाई गई है। जिला में नेयुके के कोर कार्यक्रमों के वितरण को जिले के ब्लॉक की संख्या के आधार पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ब्लॉक अनुदान से **अनुलग्नक- 2** में देखा जा सकता है।
- कोर कार्यक्रम में क्रम संख्या, 1बी से डी एवं 4, 4ए, 5, 6 और 7 कोर कार्यक्रमों की संख्या उस जिले में ब्लॉकों की संख्या पर निर्भर करेगी। तदनुसार 623 जिलों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है जैसाकि **अनुबंध-2** में दी गई तालिका में दिया गया है।
- ने.यु.के.सं के 12 बुनियादी कार्यक्रमों से संबंधित **वार्षिक कार्य योजना 2019-20** का संक्षिप्त रूप निम्नानुसार है। तथापि, विस्तृत विवरण के लिए **अनुलग्नक-1** देखें।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोर कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
- यह योजना आरंभ में ग्रामीण युवा मंडल और उनके युवा सदस्यों, जीवन के समस्त क्षेत्रों के युवा और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों पर **केन्द्रित** होगी।

भौगोलिक व्याप्ति

- चालू वर्ष के दौरान यह प्रस्तावित किया गया है कि उपरोक्त बुनियादी कार्यक्रमों के जरिये भारत में समस्त राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 623 जिलों में युवा मंडलों को शामिल किया जाएगा तथा इन युवा मंडलों के युवा सदस्यों और जीवन के हर क्षेत्र से आये युवाओं तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी।
- आगे, समन्वय कार्यक्रम के माध्यम से विद्यमान प्रत्येक युवा मंडल और उनके सदस्यों तक और जीवन के हर क्षेत्र से आये युवाओं की जिला स्तर तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी तथा उनके प्रोफाइल को ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा।
- युवा मण्डलों और जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को अन्य विभागों, एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं, इसमें रोजगारपरक कौशल को बढ़ाना और उनका अजीविका अर्जन का विकल्प शामिल है, के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा।

ए. – नेयुकेसं के कोर कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और समन्वय गतिविधियों के संचालन के दौरान विशेष सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए।

- पारदर्शिता को बनाए रखने, व्यय और समय प्रबंधन के सही और अर्थपूर्ण पर्याय को बनाए रखने के लिए कड़ा पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी और उत्तरदायित्व की भावना के साथ-साथ विफलताओं और सफलताओं के परीक्षण का आयोजन भी होगा।
- सूचना एवं विज्ञापन के प्रचार के लिए प्रत्येक बैनर और आईईसी सामग्री की समुचित डिजाइनिंग नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा की जायेगी।
- सत्र के निम्नलिखित घटक नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाले प्रत्येक गतिविधि का एक अभिन्न भाग होगा।
 - ✓ राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रीय गान गाना तथा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करना,

:

बी) नेहरू युवा केन्द्र संगठन कोर कार्यक्रमों की रणनीति और कार्यान्वयन रूपरेखा : इन कार्यक्रमों को लागू करते समय निम्नलिखित संस्थागत तंत्र का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए :-

(ए). युवा मंडल –

- ✓ नए युवा मंडलों की स्थापना होगी और उन्हें गतिविधियां आरंभ करने और उनमें भाग लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- ✓ वर्तमान मंडलों का पुनरोद्धार और उनका सुदृढीकरण
- ✓ मौजूदा युवा मंडलों की सदस्यता बढ़ाना
- ✓ युवा मंडलों का ऑन लाइन नवीकरण और ऑनलाइन नवीन संबद्धता
- ✓ युवा मंडलों, नेहरू युवा केन्द्रों, जिला युवा समन्वयकों और युवाओं के लिए सरल दिशानिर्देश दर्शाने वाला एक पेज/साइट अलग से विकसित हो कि किस प्रकार सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं और ने.यु.के. से किस प्रकार संबद्धता प्राप्त की जाए।
- ✓ युवा मंडलों को पुनरुज्जीवित करने के लिए, प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति सत्यापन करेंगे और युवा मंडल का प्रोफाइल, सदस्यता विवरण को एक पृष्ठ के संशोधित निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-5) में अद्यतन करेंगे। महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगों सहित समाज के सभी वर्गों के सम्यक प्रतिनिधित्व के साथ नए सदस्यों का नामांकन भी करेंगे। **युवा मंडल विकास अभियान – कार्य योजना के तैयार** होने के पश्चात यह निरंतर प्रक्रिया होगी। युवा मंडल की अद्यतन की गई प्रोफाइल ने.यु.के.सं वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के जरिये ऑनलाइन अपलोड की जाएगी तथा संशोधन ने.यु.के.सं वेबसाइट पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

बी) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सभी जिला और राज्य कार्यालयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि :

1. जिला एवं राज्य नेयुकेसं, एनएसएस, एनसीसी, बीएसजी, एचएसजी, ईको क्लब, रेडक्रास सोसायटी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यकलापों और अन्य प्रचालन क्षेत्रों में प्रभावी अभिसारण, स्फूर्ति स्थापित करेगी। इस संबंध में कार्य योजना में नेयुकेसं एवं उपरोक्त युवा संगठनों के बीच प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अभिसारण/तालमेल का निर्धारण किया गया है। नेयुकेसं के कोर कार्यक्रमों और समन्वय गतिविधियों में सहभागिता के स्तर को मासिक प्रगति रिपोर्ट में समन्वय एजेंसी के कॉलम में दर्शाया जायेगा।

- 2- परिपत्रों के माध्यम से नेयुकेस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन हेतु . संसाधनों के एकत्रीकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर विकासात्मक मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के बीच संबंध स्थापित किए जा सकते हैं
3. उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जिन युवा मंडल को विगत दो वर्षों में पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
4. जिला नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध युवा मंडल ही उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदक युवा मंडल की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
5. जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडल का चयन और पुरस्कृत करने के लिए **समय सीमा का पालन सख्ती के साथ किया** जाना चाहिए। राज्य निदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन केवल नामित चयन समिति द्वारा ही किया जाता है।
6. जिला नेहरू युवा केन्द्रों को वार्षिक कार्य योजना की प्रतियां ने.यु.के.सं., मुख्यालय प्रेषित नहीं करनी चाहिए। राज्य निदेशक द्वारा राज्य स्तर पर वार्षिक कार्य योजना राज्यवार संकलित कर ने.यु.के.सं., मुख्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
7. राज्य निदेशकों द्वारा वार्षिक कार्य योजना के निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी।
8. राज्य निदेशकों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए कि :
 - कुल आवंटित बजट की 90 प्रतिशत राशि और संगत कार्यक्रम 31 दिसम्बर, 2020 तक पूरे किए जाने चाहिए। तथापि, यह प्रत्येक राज्य /केन्द्र को जारी बजट की मात्रा पर निर्भर करेगा और तदनु रूप त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए तथा संबंधित जिला/राज्य निदेशक द्वारा हासिल किए जाने चाहिए।
 - केवल अपवाद स्थितियों में ही अंतिम तिमाही में 10 प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया जा सकता है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य अथवा ने.यु.के.सं. मुख्यालय द्वारा आवंटित बजट जारी करने में विलम्ब के कारण हो सकता है।
9. दिशानिर्देशों के अनुसार, महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती का आयोजन किया जाना चाहिए। पूरे वर्ष में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश और समय सीमा के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा और कार्य शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।
10. आगे, यह नोट करें कि **जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है**, कुल जारी कार्यक्रम बजट में :
 - ✓ प्रत्येक कार्यक्रम के तहत, कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का 30 प्रतिशत **महिलाएं समाज के** होनी चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि 30 प्रतिशत बजट युवा महिलाओं पर खर्च किया गया है।

- ✓ इसी प्रकार कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का 20 प्रतिशत एससी/एसटी होने चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि 20 प्रतिशत बजट एससी/एसटी युवाओं पर खर्च किया गया है।
 - ✓ उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि कार्यक्रम बजट के प्रतिभागियों/लाभार्थियों का शेष 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक, ओबीसी तथा सामान्य पर खर्च किया गया है।
 - ✓ उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
 - ✓ जिला स्तर के कार्यक्रमों में सभी ब्लॉकों से विभिन्न वर्गों के युवाओं को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- 11 बुनियादी कार्यक्रम और उसकी निधि को किसी अन्य गतिविधि या कार्यक्रम की ओर नहीं मोड़ा जाना चाहिए, चूंकि वे प्रतिबद्ध कार्यक्रम घटक होते हैं।
 - 12 कार्यक्रम जिला नेहरू युवा केंद्रों द्वारा संचालित किए जाए और किसी अन्य एजेंसी को नहीं दिये जा सकते।
 - 13 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जाएंगे।
 - 14 उप निदेशक और युवा समन्वयक ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों का चयन इस प्रकार करें कि जिले में युवा मंडलों के बीच कार्यक्रमों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ये पिछले वर्ष में चुने गए जैसे हो या नहीं हो सकते हैं।
 - 15 विषय की दृष्टि से, वर्ष के सभी कार्यक्रम और गतिविधियां एक नेमी कवायद की बजाय एक मिशन होनी चाहिए।
 - 16 कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाने चाहिए कि उनमें अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडल भाग ले सकें।
 - 17 कार्यक्रमों में युवा मंडलों से एक ही युवा एवं युवा मंडलों को बार-बार भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उस कार्यक्रम विशिष्ट में रूप से युवा मंडल के अध्यक्ष/सचिव या अन्य पदाधिकारी की अपेक्षा नहीं करता है।
 - 18 उपलब्धियां मासिक प्रगति रिपोर्ट और विशिष्ट रूप से तैयार की गई संचयी प्रगति रिपोर्ट में, निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर, दर्शाई जानी चाहिए आयोजित गतिविधियों की कुल संख्या/आज की तिथि तक उपलब्धियां अर्थात पिछले महीनों तथा चालू माह की गतिविधियों का योग। उन्हें निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

- | | |
|---|----------------------------|
| ✓ जिला ने.यु.के. से मंडल कार्यालय | — प्रत्येक माह की 26 तारीख |
| ✓ राज्य कार्यालय से ने.यु.के.सं. मुख्यालय | — प्रत्येक माह की 27 तारीख |

19 जिला युवा समन्वयक/उप निदेशक तथा राज्य निदेशक बुनियादी कार्यक्रम तथा समन्वयक गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह निम्न प्रारूपों में भेजेंगे :

कोर कार्यक्रमों की गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट

स्तर	बुनियादी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-8
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -8ए
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9ए

केंद्र बिन्दु क्षेत्रों की गतिविधि रिपोर्ट

स्तर	समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक
एनवाईवी स्वयंसेवक	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-10
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -10-ए ✓
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -10-बी ✓
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -10-सी ✓
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -10-डी ✓

✓ राज्य निदेशक को जिला ने.यु.के. से प्राप्त भौतिक लक्ष्य की मिलान जांच वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उस राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों के साथ करनी चाहिए।

20. राज्य कार्यालयों को संकलित एमपीआर (मासिक एवं संचयी/प्रगतिशील प्रगति रिपोर्ट) निर्धारित प्रारूपों में मुख्यालय को श्री एम.पी. शर्मा, उप निदेशक (कार्यक्रम) के नाम में, डाक तथा ई-मेल regularprogramme@gmail.com अथवा mpsharmanyks@yahoo.co.in पर दोनों प्रकार से प्रेषित करनी चाहिए।
21. राज्य निदेशक नेयुकेस मुख्यालय को ऐसे जिला नेयुके की सूची भी प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने एम पी आर को राज्य स्तर के एम पी आर के साथ प्रेषित नहीं किया है और महानिदेशक को सूचना देते हुए

डिफाल्टर केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। जिला नेयुके को सीधे मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजनी चाहिए।

22. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सांसद, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति के सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, पार्षद और इसके साथ साथ नेयुकेस के शासी बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं सदस्य, विकास विभागों तथा एजेसियों के प्रमुख को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।
23. कार्यक्रमों का नियमित अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (मात्रात्मक तथा गुणात्मक) तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही सहित किया जाना चाहिए।

24. अन्य एजेन्सियों से जुटाई गई निधियां समन्वय कार्यक्रम के तहत एमपीआर'स में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

25. सभी युवा मंडलों को अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें उन कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, जो अपने स्वयं के संसाधनों से आयोजित किए जा सकते हैं। युवा मंडल को अपने क्षेत्रों में युवा ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों के हितार्थ कार्यक्रमों के नियमित आधार पर आयोजन का जिम्मा लेना चाहिए। इस कार्य को एनवाईवी स्वयंसेवकों की सहायता से पूरा किया जाना चाहिए।

26. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए :

ए. — समाज के सामाजिक रूप से वंचित और उपेक्षित युवा वर्गों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए युवा मंडलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बी. —समाज के सभी सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, शारीरिक दिव्यांगता इत्यादि) की सदस्यता हेतु विशेष अभियान एक मिशन के तौर पर चलाया जाना चाहिए।

सी.— नए युवा मंडलों का गठन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जिला ने.यु.के. के साथ नई संबद्धता के लिए, आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के.सं वेबसाइट पर वर्णित ऑनलाइन संबद्धता प्रक्रिया का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

डी.— यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ऑफलाइन संबद्ध युवा मंडल/महिला मंडलों का विवरण और प्रोफाइल संशोधित प्रोफार्मा भरवाकर अद्यतन की जानी चाहिए। यह अनुलग्नक-6 में दिया गया है। उसकी एक प्रति जिला ने.यु.के. कार्यालय अभिलेख में रखी जानी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त संशोधित युवा मंडल/महिला मंडल प्रोफाइल तथा विवरण ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।

ई.— युवा मंडलों एवं महिला मंडलों तथा उनके सदस्यों की प्रोफाइल समय समय पर ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।

एफ.— युवा मंडलों एवं महिला मंडलों के सदस्यों को ग्राम और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय कार्यक्रमों द्वारा समुदाय प्रासंगिक संदेश फैलाने एवं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों के आयोजन हेतु सुसाध्यकारकों और समकक्ष शिक्षकों के रूप में निखारा जाना चाहिए।

जी.— राज्य निदेशकों तथा जिला युवा समन्वयकों को पंचायत भवन एवं समुदाय भवनों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभागों अथवा संस्थानों के प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के पास जाना चाहिए तथा पंचायत विकास कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में ने.यु. के. के संबद्ध युवा मंडलों एवं महिला मंडलों का सक्रिय सहयोग मांगना चाहिए।

एच. शिक्षा विभाग के प्रमुखों तथा स्थानीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी स्कूल भवन में पढ़ाई के समय के बाद, अवकाश के दिनों में और छुट्टियों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

आई.— स्वास्थ्य तथा आईसीडीएस विभागों के प्रमुखों, आशा, आंगनवाड़ी तथा एएनएम कार्यकर्ताओं को ने.यु.के. ग्राम युवा मंडलों एवं महिला मंडलों तथा परामर्शदाता युवा मंडल/महिला मंडलों के साथ समन्वय में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल देखभाल, पोषण तथा संतुलित आहार किशोर लड़कियों के लिए फोलिक एसिड उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

27. प्रत्येक बुनियादी कार्यक्रम पूरा करने के बाद, केन्द्र उस कार्यक्रम का अभिलेख उस हेतु खोली गई संचिका में अनुरक्षित करना सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए, "जिला युवा सम्मेलन की संचिका में उस वर्ष जिले में संचालित जिला युवा सम्मेलन में अभिलेख रखा जाएगा। अभिलेख के अनुरक्षण में निम्नलिखित शामिल होगा :

(i) युवा मंडल (जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है) की बैठक का संक्षिप्त विवरण, जिसमें जिला युवा समन्वयक ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु उप समितियों का गठन किया।

(ii) युवा मंडलों को प्रेषित परिपत्र/पत्र की प्रति जिसमें सदस्यों को कार्यक्रम के आयोजन तथा उसमें भाग लेने की सूचना दी गई है।

(iii) कार्यक्रम की अनुसूची जिसमें सत्र/स्थान तथा संभार व्यवस्थाएं दर्शाई गई हैं।

(iv) प्रतिदर्श मुद्रित कार्यक्रम परिपत्र की प्रति।

(v) प्रतिभागियों की सूची, पता, फोन नम्बर, ई-मेल, मोबाईल नं., ब्लड ग्रुप इत्यादि सहित, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(vi) प्रतिभागियों की उपस्थिति, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित।

(vii) कार्यक्रम की विस्तृत वर्णनात्मक रिपोर्ट तथा वास्तविक तिथि जब आयोजित किया गया। परिवर्तन, यदि कोई हो, के कारण भी दर्ज किए जाने चाहिए।

(viii) कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट।

(ix) कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज, कतरनें तथा फोटोग्राफ्स।

(x) केन्द्र और ने.यु.के.सं के उच्चतर अधिकारियों, जिला प्रशासन, अन्य सरकारी/गैर-सरकारी विभागों, एजेन्सियों, युवा मंडलों इत्यादि के बीच पत्राचार/पत्र/परिपत्रों की प्रतियां।

(xi) आमंत्रित प्रतिष्ठित व्यक्तियों (माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सांसद, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति के सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, पार्षद और विकास विभागों तथा एजेसियों के प्रमुख के बीच पत्राचार/पत्रों की प्रतियां।

28. राज्य निदेशक को हर बार दौरे पर इन संचिकाओं की जांच/निरीक्षण करना चाहिए तथा अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए। लक्ष्यातीत उपलब्धियों/कमियों की ओर संकेत किया जाना चाहिए तथा अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए।

वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के तहत

कोर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

1. युवा मान चित्रण, स्किलिंग और हैंडहोल्डिंग – आत्म निर्भर भारत

I. आत्म निर्भर भारत और मुद्रण की योजनाओं पर पुस्तिका तैयार करना

उद्देश्य

- आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम से लाभ पाने के लिए युवाओं और लोगों में जागरूकता पैदा करना, प्रचार करना, लोकप्रिय बनाना और सुविधा प्रदान करना।
- आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम की प्रासंगिक योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने में लाभार्थियों की सहायता करना।

आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम से लाभ पाने के लिए युवाओं और लोगों में लोकप्रिय बनाना और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक पुस्तिका तैयार कर अनुबंध- 12 और 13 में दी गई है।

पुस्तिका उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरल भाषा में है। इस पुस्तिका में; एमएसएमई ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा ऋण, स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण, स्ट्रीट विक्रेताओं के लिए वित्तीय लाभ, पीएम आवास योजना, कृषि और मनरेगा जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण और वित्तीय लाभ निम्नलिखित विवरणों को कवर करते हुए निम्नलिखित को कवर किया गया है।

1. ऋण / योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?
2. व्यवसाय / स्टार्ट-अप / गतिविधियों के कौन से भाग / प्रकार हैं जो ऋण / योजना को कवर करेंगे?
3. फंडिंग एजेंसियां कौन हैं और लोन / स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसे संपर्क करना चाहिए?
4. ब्याज दर क्या है और ब्याज अधीनता / छूट का लाभ उठाने के लिए क्या प्रावधान हैं?
5. लाभ प्राप्त करने के लिए ऋण सीमा और संपार्श्विक क्या आवश्यक हैं?
6. ऋण अवधि / अधिस्थगन / ऋण चुकौती अवधि क्या है?
7. ऋण / योजना) ऑनलाइन और ऑफलाइन (के लिए आवेदन कैसे करें?
8. योजना की अंतिम तिथि / अवधि क्या है?
9. अन्य महत्वपूर्ण विवरण क्या हैं, जो एक ऋणदाता को ऋण प्राप्त करने से पहले पता होना चाहिए?

बजट

रुपये 48,000 / - प्रति जिला एनवाईके। इस समय, चूंकि सरकार ने किसी भी प्रकार की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए सभी जिला नेयुके को सभी नेयुकेस संबद्ध युवा मंडलों और अन्य हितधारकों के बीच बुकलेट को डिजिटल फॉर्म (ई-बुकलेट) में ई-मेल, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और अन्य मोड के माध्यम से प्रसारित करना चाहिए। हालाँकि, जरूरतमंद लाभार्थियों को आवेदन प्रपत्रों की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए नाममात्र राशि ली जा सकती है।

ii युवाओं का अभिमुखीकरण

उद्देश्य:

- युवा स्वयंसेवकों में जागरूकता पैदा करने, प्रचारित करने, लोकप्रिय बनाने और युवा स्वयंसेवकों और लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए युवा नेताओं को उन्मुख करना।
- कार्यक्रम की प्रासंगिक योजना से लाभ पाने के लिए आवश्यक कागजी औपचारिकताओं के प्रकार आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु आत्म निर्भर भारत के संबंध में चयनित युवा नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना

कार्यक्रम की अवधि : एक दिन

स्तर : ब्लॉक

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 80 (पुरुष और महिला)

समय रेखा : सितंबर - अक्टूबर

कार्यान्वयन रणनीति

- जिला युवा समन्वयकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ "आत्मनिर्भर भारत पर युवाओं का अभिमुखीकरण " का सफल आयोजन किया जा सके। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहाँ चर्चा, व्याख्यान, शिक्षण सहायता और उपकरणों के लिए जगह, बिजली के साथ बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- युवा मंडल, प्रशिक्षित पदाधिकारी और नामित एनवाईसी स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।
- जिला युवा समन्वयकों को उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों की पहचान करनी चाहिए। तदनुसार, विकास विभागों और एजेंसियों के संबंधित प्रमुखों को उनके विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा जो व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम और सीमित चर्चा के तहत कवर किए जाने वाले चयनित विषयों और विषयों पर आईईसी सामग्री प्रदान कर सकते हैं।
- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें और कार्यक्रम के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करें।
- प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों को – विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम " की तारीखों, स्थानों और अन्य विवरणों को अच्छी तरह से सूचित करना होगा ताकि वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकें।
- शिक्षित युवा अपने सहकर्मी और ग्राम समुदायों को अपने संबंधित युवा मंडल गांवों में उनकी रुचि के कम से कम दो चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
- जिला नेहरु युवा केन्द्र कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अनुसूची, कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों, वक्ताओं, कार्यक्रमों के स्थल आदि को अंतिम रूप देगा।
- कार्यक्रमों में शामिल विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी।
- पूरी योजना पर विकास विभागों/एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी के साथ-साथ विकास विभागों के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी और परस्पर संवादात्मक प्रकृति का होगा।

समन्वय और समर्थन जुटाना

- उपर्युक्त विकास और कल्याण क्षेत्रों में काम कर रहे सभी विभागों के विकास प्रमुखों और अन्य एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को अपने अधिकारियों और विशेषज्ञों हों संदर्भ व्यक्तियों के रूप में नामित करने और उनकी योजनाओं की प्रतियां, आईईसी सामग्री और कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी द्वारा एक पत्र को भेजा जाना चाहिए।
- विकास विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को कार्यक्रम के दौरान सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, जो ग्रामीण स्तर की गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक, सूत्रधार, संदर्भ व्यक्ति और सहायता प्रदाता हैं।
- कार्यक्रम जिला प्रशासन के साथ निकट सहयोग से आयोजित किए जाने चाहिए। इस मामले पर युवा कार्यक्रमों पर जिला स्तरीय सलाहकार समितियों में चर्चा की जानी चाहिए।

संदर्भ व्यक्ति और आई.ई.सी.

- कार्यक्रम अनुसूची और संदर्भ सामग्री जिला नेयुके द्वारा संदर्भ व्यक्तियों के परामर्श से विकसित की जाएगी। इनके संदर्भ के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों और निर्वाचित सदस्यों, राय के नेताओं और युवा मंडल के पदाधिकारियों को भी उसी की एक प्रति प्रदान की जा सकती है।
- पहचान किए गए विषयों पर परियोजना और आई.ई.सी.सामग्री के रूप में सभी प्रासंगिक मुद्रित संदर्भ सामग्री प्रतिभागियों को पंजीकरण के समय प्रदान की जानी चाहिए।
- पहले से, पहचाने गए अधिकारियों, संदर्भ व्यक्तियों और विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम के उद्देश्यों, अपेक्षाओं और इसके परिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संदर्भ व्यक्तियों के पास / उसके लिए आवंटित विषय में गहन जानकारी और ज्ञान होना चाहिए और इसे युवा मंडल की भूमिकाओं के साथ जोड़ सकते हैं जो युवा और ग्राम समुदायों के विकास और सशक्तिकरण को दर्शाता है। ।

बजट प्रति कार्यक्रम और उपयोग पैटर्न

शीर्ष	बजट (रुपये में)
प्रतिभागियों को चाय, नाश्ता / दोपहर का भोजन	8,000
संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय और प्रतिभागियों को संदर्भ सामग्री	2,000
प्रतिभागियों को स्टेशनरी (पेन, पैड, आदि)	4,000
संगठनात्मक और अन्य विविध खर्च (बैनर, फोटो, आदि)	1,000
कुल	15,000

नोट: असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक / राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है।

जिले में कार्यक्रमों की संख्या : निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	रु.21,000/- दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रु. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @ 80 प्रति कार्यक्रम
जिला जिसमें 0-3 ब्लॉक हैं।	2	30,000	160
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	3	45,000	240
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	4	60,000	320
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	5	75,000	400

जिला जिसमें 16 एवं अधिक ब्लॉक हैं।	7	1,05,000	560
------------------------------------	---	----------	-----

ii। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम और सुविधा अभियान

उद्देश्य :

- आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम से लाभ पाने के लिए युवाओं और लोगों में जागरूकता पैदा करना, प्रचार करना, लोकप्रिय बनाना और सुविधा प्रदान करना।
- आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम की प्रासंगिक योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने में लाभार्थियों की सहायता करना।

अभियान की अवधि : 05 दिन

स्तर : गांव और ब्लॉक

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 10 एन वाई वी/युवा नेता प्रति कार्यक्रम

कवर किए जाने वाले लाभार्थियों

की संख्या : प्रति अभियान न्यूनतम 2500

समय सीमा : अक्टूबर से नवंबर

कार्यान्वयन रणनीति

- भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अत्मा निर्भर भारत के लिए की गई रुपये 20.97 लाख करोड़ के पैकेज को साझा करना और चर्चा करना और इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए को प्रचारित कारण। बुकलेट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ई-मेल, सोशल मीडिया और संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से लोगों के साथ साझा की जाएंगी।
- युवाओं को गांव आधारित युवा मंडलों के नेटवर्क के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्हें इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और अनुकूलन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और दूसरों को इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

- दस सदस्यों को 5 टीमों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य शामिल होंगे और 5 दिनों तक प्रचार करेंगे
- टीम के सदस्य गांवों में युवा नेताओं, ग्राम पंचायत प्रधानों और सदस्यों और अन्य राय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बातचीत करेंगे। वे आत्म निर्भर भारत और उसकी योजनाओं, उनके विकास के अवसरों के बारे में भी जानकारी का प्रसार करेंगे।
- प्रत्येक टीम नेयुके के युवा मण्डल के गांवों में प्रति दिन न्यूनतम दो गांवों को कवर करेगी, और उन गांवों को कवर करेगी जहां वे पात्र लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए अलगअलग योजनाओं- के तहत लाभ पाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। संबंधित योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इन लाभार्थियों की सहायता की जाएगी
- एक या एक से अधिक ब्लॉक में कम से कम 50 गांवों को 5 दिनों में पांच टीमों द्वारा कवर किया जाएगा।
- अभियान के दौरान, युवा मंडलों के समूहों और व्यक्तिगत बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- बैठकों का उद्देश्य युवा मंडलों को प्रासंगिक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया को समझाने में मदद करना है।
- अभियान ब्लॉक और आसपास के ब्लॉक के एन वाई वी को भी अभियान में भाग लेना चाहिए।
- अधिक जानकारी और समर्थन के लिए, जिले की विभिन्न एजेंसियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- बैठक के दौरान, आत्म निर्भर भारत पर आईईसी सामग्री युवा मंडलों और लाभार्थियों के प्रतिनिधियों को प्रदान की जानी चाहिए

Budget Per Programme and Utilization Pattern

शीर्ष	दर (रुपये में)	बजट (रुपये में)
डीए और यात्रा व्यय सहित टीम के सदस्यों को मानदेय	250/-प्रतिदिन प्रति व्यक्ति (250x10x5)	12,500
आईईसी सामग्री, कागज, फोटोकॉपी, आदि	--	500
अन्य व्यय और लाभार्थियों के साथ सुविधा बैठक	--	2,000
कुल		15,000

जिले में कार्यक्रमों की संख्या: निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	प्रति जिले के कार्यक्रमों की संख्या @ रु 15,000 / - प्रति अभियान	राशि (रु. में)	प्रति अभियान 10 @ कवर किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या	कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या
जिला जिसमें 0-3 ब्लॉक हैं।	3	45,000	30	7,500
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	4	60,000	40	10,000
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	6	90,000	60	15,000
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	8	1,20,000	80	20,000
जिला जिसमें 16 एवं	10	1,50,000	100	25,000

4. बेसिक वोकेशंस में शिक्षा

पृष्ठभूमि

बेसिक वोकेशंस में शिक्षा का लक्ष्य ग्रामीण युवा महिलाओं और पुरुषों में बेसिक वोकेशंस विकसित करने की शिक्षा देना है और समाज में अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य एजेंसियों से कौशल विकास प्रशिक्षण लेने के लिए मार्गदर्शन करना

कार्यक्रम के तहत विचार की गई गतिविधियों का अनुक्रम युवाओं को समूहों में संगठित करना, उनके कौशल में सुधार करना, समर्थन सेवाओं की व्यवस्था करना, नेयुकेस की वार्षिक कार्य योजना के दिशानिर्देशों में पहले उल्लेख किए गए प्रमुख केन्द्र बिन्दू क्षेत्रों पर जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना है।

इसमें युवा महिलाओं एवं पुरुषों को अन्य एजेंसियों से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जागरूक करने पर अत्यधिक जोर दिया जाना चाहिए। ताकि वे धीरे-धीरे अपनी आजीविका के लिए आय उत्पन्न करने वाली इकाइयों को स्थापित करके अर्थपूर्ण रूप से व्यवसायी या स्वव्यवसायी हो जाएं।

लक्ष्य

- ग्रामीण युवाओं के व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन तथा समाज में उनके आत्म सम्मान को बढ़ाना।
- युवाओं को उनके दैनिक जीवन के मुद्दों तथा समस्याओं का सामना करने हेतु सशक्त बनाना।
- युवाओं को अपने स्वयं के रोजगार या आय उत्पादन कार्यक्रमों को लेने के लिए प्रेरित करें।
- उन्हें नए कौशल के बारे में जागरूक करना जिसके लिए बाजार में बढ़ती मांग है?
- मौजूदा योजनाओं के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच के लिए जागरूकता लाना।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या : जिले में ब्लॉकों की उपलब्धता के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार।

श्रेणी	रु.21,000/- प्रति सेन्टर की दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रु. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @ 25 प्रति कार्यक्रम
--------	--	----------------	---

जिला जिसमें 1-3 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000 / -	150
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000 / -	150
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000 / -	150
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	8	1,68,000 / -	200
जिला जिसमें 16 एवं अधिक ब्लॉक हैं।	9	1,89,000 / -	225

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या

- एक प्रशिक्षण समूह में प्रतिभागियों की संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए। (80 प्रतिशत महिलाएँ और 20 प्रतिशत पुरुष)
- जिले की प्रेरित, जरूरतमंद, बेरोजगार ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी युवाओं का चयन किया जाना चाहिए।
- युवा मंडल सदस्य, पूर्व-एनएसवी/एनवाईवी तथा ने.यु.के. कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को वरीयता दी जानी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी तथा निर्धन/बेघर वर्ग की महिलाओं का चयन के समय ध्यान रखा जाना चाहिए।
- चुने गए प्रतिभागी कम से कम समझने, पढ़ने तथा लिखने की स्थिति में होने चाहिए।

अवधि :

- व्यवसाय की अवधि तकनीकी विशेषज्ञ, संस्था या अनुदेशक की सलाह से निर्धारित की जायेगी तथापि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अधिकतम अवधि 03 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि चुने गए ट्रेड और व्यवसाय पर निर्भर होगी।
- इसलिए युवा समन्वयक को चुने गए ट्रेड और व्यवसाय हेतु अवधियां संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों अथवा संस्थाओं के साथ परामर्श से तय करनी चाहिए।
- व्यवसाय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार चलाया जाये कि यह इबीवी बजट सीमा के अंदर ही रहे लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आवंटित प्रतिभागी उतने ही रहें।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या: जिले में ब्लॉकों की उपलब्धता के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार।

श्रेणी	रू.21,000/- प्रति सेन्टर की दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रू. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @ 25 प्रति
--------	--	----------------	---

			कार्यक्रम
जिला जिसमें 1-3 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000 / -	150
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000 / -	150
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000 / -	150
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	8	1,68,000 / -	200
जिला जिसमें 16 एवं अधिक ब्लॉक हैं।	9	1,89,000 / -	225

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या

- एक प्रशिक्षण समूह में प्रतिभागियों की संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए। (80 प्रतिशत महिलाएँ और 20 प्रतिशत पुरुष)
- जिले की प्रेरित, जरूरतमंद, बेरोजगार ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी युवाओं का चयन किया जाना चाहिए।
- युवा मंडल सदस्य, पूर्व-एनएसवी/एनवाईवी तथा ने.यु.के. कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को वरीयता दी जानी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी तथा निर्धन/बेघर वर्ग की महिलाओं का चयन के समय ध्यान रखा जाना चाहिए।
- चुने गए प्रतिभागी कम से कम समझने, पढ़ने तथा लिखने की स्थिति में होने चाहिए।

अवधि :

- व्यवसाय की अवधि तकनीकी विशेषज्ञ, संस्था या अनुदेशक की सलाह से निर्धारित की जायेगी तथापि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अधिकतम अवधि 03 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि चुने गए ट्रेड और व्यवसाय पर निर्भर होगी।
 - इसलिए युवा समन्वयक को चुने गए ट्रेड और व्यवसाय हेतु अवधियां संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों अथवा संस्थाओं के साथ परामर्श से तय करनी चाहिए।
 - व्यवसाय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार चलाया जाये कि यह इबीवी बजट सीमा के अंदर ही रहे लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आवंटित प्रतिभागी उतने ही रहें।
- इबीवी के संचालन हेतु रणनीति**

- युवा समन्वयक ट्रेड्स तथा व्यवसायों की पहचान एक ओर ग्रामीण महिलाओं की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर और दूसरी तरफ बजार में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर करेगा।
- ने.यु.के. जिले के भीतर बेसिक वोकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम केवीके', कृषि विश्वविद्यालयों, विकास अभिकरणों, एनजीओ तथा संस्थानों के प्रशिक्षकों की सहायता से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। प्रशिक्षकों को भी नेहरू युवा. केन्द्रों में मानक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बुलाया जा सकता है।
- यदि अपेक्षित है, युवा समन्वयक को युवाओं को जिले से बाहर स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने की आजादी होगी, यदि किसी विशेष ट्रेड या व्यवसाय में जिले में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, ने.यु.के. द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा तथा यह निर्धारित बजट के भीतर तथा कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। इस हेतु आवश्यकतानुसार स्थानीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। बहरसूरत ऐसे व्यवस्थित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को ने.यु.के.सं द्वारा चिन्हित मुद्दों एवं मुख्य फोकस क्षेत्रों की तथा पिछले पृष्ठों पर दिए दिशानिर्देशों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- प्रशिक्षक अधिमानतः कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों, विभागों तथा एनजीओ से लिए जाने चाहिए। तदपि प्रशिक्षक युवा मंडलों से भी लिए जा सकते हैं।
- बेसिक वोकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों तथा मास्टर प्रशिक्षकों के साथ परामर्श से कार्यक्रम प्रारंभ होने से पर्याप्त पूर्व तैयार किया जाना चाहिए।

बेसिक वोकेशन एवं साफ्ट स्किल में शिक्षा हेतु सेक्टर, ट्रेड तथा व्यवसाय

निम्नलिखित सेक्टर, ट्रेड तथा व्यवसायों (सूची केवल संकेतात्मक है) पर बल दिया जा सकता है।

क्र. सं.	सेक्टर	प्रस्तावित व्यवसाय
1	कृषि	मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों की खेती, बागबानी, पुष्पकृषि, वर्मीकल्चर, बैकयार्ड सब्जी कृषि, ट्रैक्टर मरम्मत।
2	डेरी कार्य	छोटे दुधारू/डेरी पशु (भैंस, गाय) प्रजनन इकाइयां, दुग्ध एकत्रीकरण एवं विक्रय, दुग्ध प्रसंस्करण (घी, पनीर, खोया)
3	पशुपालन	ऊन/मीट के लिए बकरी/भेड़ प्रजनन, बैकयार्ड पोल्ट्री एवं देसी पक्षी (बत्तख, कोयल), सूअर पालन, खरगोश प्रजनन इत्यादि।

4	मत्स्य पालन	मत्स्य प्रजनन/छोटे तालाबों में बीज उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण (शुष्कन, मत्स्य अचार), मछली पकड़ने के जाल बनाना तथा मरम्मत, मत्स्य चारा उत्पादन, छोटी उत्पत्तिशालाएं।
5	हथकरघा	बुनाई, प्रसंस्करण (रंगाई, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग), पैकेजिंग।
6	हस्तशिल्प	हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना, प्रसंस्करण गतिविधियां (पालिश करना, रंग करना)
7	रेशम उत्पादन	शहतूत की खेती, कोकून प्रजनन।
8	सामाजिक वानिकी तथा वन आधारित गतिविधियां	पौधशालाएं तैयार करना, वन भूमि/परती भूमि पर वन प्रजातियों की खेती, गौण वनोपज एकत्र करना (गोंद, बेरी, औषधीय/हर्बल उत्पाद, मधु)
9	खाद्य प्रसंस्करण	जैम, जेली, मुरब्बा, पेठा, चिप्स/वेफर्स, नूडल्स, पापड़, अचार, बेकरी उत्पाद बनाने के लिए फल और सब्जी प्रसंस्करण
10	स्थानीय रूप से उपयुक्त अन्य कोई व्यवसाय	बुनाई, कशीदाकारी, जरदोजी कार्य, फिनिशिंग, कटिंग और टेलरिंग, सॉफ्ट टॉयज, बांस/जूट कार्य : हैंड बैग, टोकरी, सजावटी पीस, फाइल कवर, ब्यूटी कल्चर, मोमबत्ती निर्माण, गृहोपयोगी वस्तुओं की पैकेजिंग तथा पेंटिंग, कम्प्यूटर और मोबाइल मरम्मत इत्यादि।

सहयोगी अभिकरण

- संस्थान जैसेकि लघु उद्योग, एनसीवीटी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण प्रदाता, टेलरिंग संस्थान, केवीके, केवीआईसी, डीआईसी, समुदाय पोलिटेक्नीक, जेएसएस, आईटीआई, डब्ल्यूसीडी तथा कृषि विश्वविद्यालय विस्तार सेवाएं और जिला स्तर पर अन्य अनेक को संबद्ध कर प्रशिक्षण को कारगर तथा लाभप्रद बनाया जा सकता है।
- युवा समन्वयक को प्रशिक्षुओं के स्वरोजगार के लिए जिला प्रशासन, बैंकों, उद्योगों, नाबार्ड, औद्योगिक और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

बजट प्रति कार्यक्रम

तीन माह की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु बजट :

विवरण	ब्यौरा	राशि (रु. में)
प्रशिक्षकों को मानदेय	रु. 5000 प्रति माह के	15,000

	लिए	
कच्चा माल तथा अनुरक्षण	रु. 1500 प्रति माह के लिए	4500
संगठनात्मक खर्चे		1,500
योग		21,000

इबीवी केन्द्रों का निरीक्षण

राज्य निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा इन केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। जिला युवा समन्वयक को कार्यक्रम के दौरान कम से कम एक या दो बार दौरा करना चाहिए।

परिमाण योग्य गतिविधियों पर कार्यक्रम का प्रभाव

- ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों में आत्म विश्वास एवं सम्मान में वृद्धि।
- सामाजिक व्यवहारों की पारंपरिक प्रणाली में धीरे धीरे तथा आमूल-चूल परिवर्तन (पारिवारिक प्रतिबंध घर के अंदर रहें)।
- राष्ट्र निर्माण में प्रतिभागिता और आय सृजन हेतु जिम्मेदारी की भावना।
- जागरूकता, शिक्षा और केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सुविधा और सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य विभागीय संस्थाओं के कार्यक्रमों तक पहुंच को बढ़ाना।
- गांव, जिला, कमिश्नरी, राज्य तथा देश के किसी अन्य भाग में भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आत्म प्रेरण तथा सक्रियता।

v डिजिटल सुविधा - बैंक मित्रों का कैडर तैयार करना है - जो की तैयार किया जा रहा है

डिजिटल साक्षरता द्वारा लोगो को डिजिटल प्रौद्योगिकी (ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण) के उपयोग में दक्ष करना है।

उद्देश्य:

- ✓ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में डिजिटल फॉर्म भरने के लिए सीखने की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना

- ✓ युवाओं को शिक्षित करने के लिए और स्वयं को और दूसरों को बैंक मित्र के रूप में शामिल करने के लिए प्रेरित करना
- ✓ लोगों को डिजिटल फॉर्म भरने में सुविधा प्रदान करना ताकि प्रधान मंत्री वित्तीय और सामाजिक समावेशन योजनाओं और आत्म निर्भर भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकें।

अवधि (समय सीमा) - सितंबर, 2020 से जनवरी, 2021 तक

प्रतिभागियों की संख्या. - प्रति कार्यक्रम न्यूनतम 100 युवा

कार्यक्रमों की संख्या - प्रति जिले में न्यूनतम 10 कार्यक्रम

कार्यक्रम के तहत फोकस क्षेत्र:

- ✓ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को डिजिटल रूप से भरने और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जमा करने की सुविधा के लिए बैंक मित्र का केंद्र स्थापित करना। का और इसका लाभ प्राप्त करना मिलता है
- ✓ ग्रामीण भारत में डिजिटल बैंकिंग और लेनदेन का उपयोग बढ़ाना।
- ✓ भारत सरकार की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन फ्लैगशिप योजनाओं के तहत परिणाम को बढ़ावा देना।

सुझाव देने वाली गतिविधियाँ:

- ✓ जागरूकता और संवेदीकरण
- ✓ विषय विशेषज्ञों / प्रेरकों द्वारा वार्ता
- ✓ जो बैंक मित्र बनेंगे उन युवाओं को शिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण कि कैसे फॉर्म को डिजिटल रूप से भरना है, योजनाओं की ब्राउज़िंग और एक्सेस करना, भरे हुए फॉर्म डाउनलोड करना, सहेजना, प्रिंट करना, सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म जमा करना, आदि।
- ✓ प्रदर्शन
- ✓ आई ई सी सामग्री को साझा करना

- ✓ फ्लैगशिप योजनाओं से लाभ पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए शिविरों का आयोजन

बैंक मित्र का लक्ष्य और प्रदर्शन की समीक्षा:

- प्रत्येक जिले को प्रति ब्लॉक 50 बैंक मित्र तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- प्रत्येक बैंक मित्र डिजिटल रूप से फॉर्म भरने में मदद करेगा ताकि लोगों को विभिन्न योजनाओं जैसे आत्म निर्भर भारत योजना" और प्रधान मंत्री वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। "
- गाँव या पंचायत स्तर पर गाँव या समूह के निर्दिष्ट स्थान पर साप्ताहिक शिविरों का आयोजन, जिसके दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र डिजिटल रूप से भरे जाएं और सेवा प्रदाताओं को प्रस्तुत किए जाएं
- प्रत्येक बैंक मित्र को एनवाईवी द्वारा नियमित रूप से देखा जाना चाहिए और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के रूपों को डिजिटल रूप से भरने में बैंक मित्र द्वारा मदद किए गए लोगों की संख्या पर डेटा एकत्र करने के लिए जिला युवा समन्वयकों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए।
- यह एनवाईवी और जिला युवा समन्वयक का कर्तव्य है कि वे सभी बैंक मित्र का डेटा रखें और प्रगति के साथ-साथ बैंक मित्र के प्रदर्शन की निगरानी करें।

कार्यान्वयन रणनीति:

ए) प्रशिक्षण कार्यक्रम

- ✓ एनवाईवी, युवा मंडलों के सदस्यों और अन्य लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कोविड 19 की स्थिति के आधार पर वेबिनार या सामान्य बैठक जिला युवा समन्वयक द्वारा आयोजित की जानी चाहिए।
- ✓ जिला युवा समन्वयकों को उपर्युक्त क्षेत्रों में से कवर किए विषयों की पहचान करनी चाहिए। तदनुसार, संबंधित विभागों और एजेंसियों को अपने विशेषज्ञों और संदर्भ व्यक्तियों के साथ अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जो व्याख्यान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को बैंक मित्र के रूप में कार्य करने और आईईसी सामग्री प्रदान करने की क्षमता विकसित करते हैं।

✓ जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें और शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का मार्गदर्शन करें।

✓ प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों को तिथियों, स्थानों और अन्य विवरणों (लिंक, वेबिनार के समय आदि) के बारे में पहले से अच्छी तरह से बता देना चाहिए ताकि वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में भाग ले सकें।

बजट

Rs.10,000 / - प्रति जिला नेयुके बजट का उपयोग युवाओं को शिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए किया जाना चाहिए कि कैसे फॉर्म को डिजिटल रूप से भरना है, योजनाओं की वेबसाइटों को ब्राउज़ करना और एक्सेस करना, डाउनलोड करना, सहेजना, भरे हुए फॉर्म को प्रिंट करना, फोटोकॉपी करना, सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म जमा करना, आदि साथ साथ आईईसी सामग्री के बंटवारे पर, संसाधन व्यक्तियों और संगठनात्मक खर्चों के लिए मानदेय आदि

सहयोगात्मक एजेंसियां: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, डिजिटल प्रक्रिया शिक्षण एजेंसी, सेवा प्रदाता

परिणाम:

- ✓ डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या
- ✓ आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या
- ✓ युवाओं की संख्या जो बैंक मित्र के रूप में काम करने लगी
- ✓ डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन
- ✓ डिजिटल साक्षरता शिविरों में लाभ मिलने प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या

कैरियर मार्गदर्शन, कैरियर परामर्श और कैरियर मेला

पृष्ठभूमि

आज के वैश्वीकरण और उदारीकरण के आर्थिक परिवेश में, युवा लोगों के लिए केंद्रित कैरियर मार्गदर्शन समय की आवश्यकता है। ग्रामीण और साथ ही शहरी पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए कैरियर गाइडेंस की एक

व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक है यदि रोजगार के अवसरों और कौशल विकास के बीच असंतुलन हो जाता है तो उसे सामान्य करना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। देश में युवाओं की बढ़ती संख्या के लिए रोजगार पैदा करने और अभूतपूर्व वृद्धि के लिए उद्योगों को जनशक्ति की कमी की की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मूल मुद्दा उद्योग की आवश्यकताओं और उपलब्ध जनशक्ति के कौशल-सेट के बीच समंजस्य का न होना है।

कैरियर योजना एक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, जिस पर कोई जोर नहीं दिया जाना चाहिए। यह कम से कम दो कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, चाहे कोई भी नौकरी के लिए एक कैरियर का चयन करता है या किसी एक के लिए पसंद करता है, यह मानना चाहिए कि काम की दुनिया में जगह पाने के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा है।

व्यक्ति को विभिन्न विकल्पों के पेशवरों और विपक्षों को तौलने के बाद एक उपयुक्त विकल्प बनाना है। पसंद को केवल दोस्तों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। विकल्पों को बनाने के लिए उनके पास उचित कारण हो सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपके अपने निर्णय पर आधारित होना चाहिए। और निर्णय, बदले में विशिष्ट करियर में प्रवेश के लिए आवश्यक शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी पर आधारित होना चाहिए। शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसरों के बारे में जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच कैरियर की पसंद के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त में से एक है

उद्देश्य

□ युवाओं को विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी और ज्ञान प्रदान करना

□ उन्हें वर्तमान नौकरी क्षेत्र में नवीनतम और अधिक शानदार कैरियर के अवसरों के बारे में बताना

□ उन्हें सही कैरियर की योजना बनाने में गड़बड़ी और अनिश्चितता से छुटकारा पाने में मदद करना

□ उन्हें अपनी स्वयं की शैक्षणिक क्षमताओं, विशेषताओं, प्रतिभाओं, रुचियों, व्यक्तित्व, मूल्यों, अपेक्षाओं और संसाधनों को समझना

□ युवाओं को नौकरी के बाजारों, उनके अभिरुचियों और रुचियों के आधार पर कैरियर की योजना बनाने और सही कैरियर विकल्प बनाने के लिए तैयार करना।

कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर परामर्श के लिए दृष्टिकोण

नेयुकेस सभी सामाजिक-आर्थिक तबके के युवाओं के साथ काम करता है, जिससे उन्हें खुद को समझने में मदद मिलती है। इस पहल के माध्यम से नेयुकेस युवाओं को उनके

लिए उपलब्ध कैरियर विकल्पों और अवसरों से निपटने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता है। युवाओं के भविष्य के बारे में बात करते समय, निम्नलिखित में से कुछ को ध्यान में रखना चाहिए:

- कैरियर योजना और प्रबंधन
- युवाओं की चिंताएं
- आंतरिक कारक
- बाहरी कारक
- कैरियर रुझान
- शिक्षा / व्यावसायिक स्ट्रीम और अवसर
- आज की वास्तविकता और कल की उम्मीदें

कैरियर परामर्श, मार्गदर्शन और मेलों का संचालन करने के लिए रणनीतियाँ और गतिविधियाँ

वे दिन गए जब हमारे युवाओं के लिए केवल कुछ कैरियर विकल्प उपलब्ध थे। बहुत बार युवाओं को पैतृक व्यवसायों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो मूल रूप से उनके पिता और दादा द्वारा किए जाते हैं और समर्पित होते भारतीय स्थिति में करियर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हैं अन्य महत्वपूर्ण लोगों का प्रभाव पर्याप्त पड़ता है। माता-पिता की शिक्षा और रोजगार की स्थिति को लेकर कैरियर के चयनकर्ता बीच में फंस जाते हैं। कभी-कभी संघर्ष परंपरा और समकालीन जरूरतों के बीच भी होते हैं।

अधिक शहरीकरण के आगमन के साथ, ज्ञान के मोर्चे का विस्तार पहले की तरह नहीं हुआ है। युवाओं में आज उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं जो वे पूरा करने की उम्मीद करते हैं। और सरकारी कार्यालयों या बड़े संगठनों में काम करने की उच्च इच्छा रखते हैं। आर्थिक उदारीकरण युवा पीढ़ी के लिए अपने नए और उज्ज्वल अवसरों को भी लाया है। सक्रिय आर्थिक विकास के परिणामों में से एक नौकरियों का चलन है। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है - नेयुकेस ने कैरियर चुनने के लिए कैरियर काउंसलिंग, मार्गदर्शन और मेलों के संचालन का निर्णय लिया है।

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श

कैरियर काउंसलिंग एक काउंसलर और डिज़ाइन किए गए युवाओं के बीच गतिविधियों और वार्तालापों के चल रहे सेट को संदर्भित करता है। इस प्रकार, कैरियर काउंसलर विभिन्न कैरियर चुनौतियों का सामना करने वाले युवाओं की एक विस्तृत विविधता के साथ काम करते हैं। विशिष्ट फॉर्म कैरियर काउंसलिंग काउंसलर और युवाओं द्वारा स्थापित लक्ष्यों के आधार पर भिन्न होता है।

नौकरी खोजने के लिए परामर्श युवाओं को नौकरी खोजने के लिए अपने कैरियर के फैसले को लेने में मदद करने पर केंद्रित है। इस प्रकार की काउंसलिंग की मांग करने वाले युवक अक्सर या तो कार्यबल में प्रवेश करते हैं या नई नौकरियों की तलाश करते हैं। काउंसलिंग के दौरान, इन युवाओं को पूरी तरह से नौकरी की तलाश में प्रयास और तीव्रता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नौकरी की खोज का प्रयास और तीव्रता व्यक्तित्व, आत्म-प्रभावकारिता, सामाजिक समर्थन और कथित बाधाओं जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। नौकरी की खोज के लिए बहुत प्रयास और तीव्रता के साथ काम करने वाले युवाओं को सफलता मिलती है। कैरियर काउंसलर युवाओं को प्रभावी जीवन वृत्त, जैसे साक्षात्कार कौशल, कौशल और नेटवर्किंग जैसे जॉब घटकों की जानकारी सहित प्रयासों को प्रोत्साहित करने और संसाधनों की एक व्यापक सरणी के साथ सहायता करके पूरी तरह से नौकरी की खोज करने में मदद करते हैं।

कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श में लंबी अवधि के लिए स्व-मूल्यांकन और निष्पक्ष विशेषज्ञ सहायता शामिल है। यह आत्म-अन्वेषण, शैक्षिक और व्यावसायिक विकल्पों की खोज के साथ-साथ अपने करियर के बारे में निर्णय लेने में एक व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। मार्गदर्शन युवाओं को विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है जो स्व-दिशा और समायोजन लाने के उद्देश्य से होते हैं। यह युवाओं को पर्यावरण के लिए सार्थक रूप से समायोजित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जीवन में कैरियर के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता विकसित करता है।

कैरियर परामर्श सत्र में, परामर्शदाता किसी व्यक्ति को कौशल और ताकत का पता लगाने में मदद करेगा, शिक्षा के स्तर पर विचार करेगा और सतत शिक्षा के बारे में सलाह देगा, और

बाजार की मांग और स्थिरता के लिए कैरियर के अवसरों के लिए हितों और व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण करेगा।

इस प्रक्रिया में कैरियर काउंसलर युवाओं को उनके हितों, कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन करने में मदद करता है ताकि उन्हें यथार्थवादी लक्ष्य और कैरियर विकसित करने में मदद मिल सके। यह युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करने, विकल्पों का पता लगाने और कैरियर विकल्पों के लिए आगे बढ़ने में भी मदद करता है।

परामर्श सत्रों को करने के लिए चुने गए परामर्शदाता को धैर्यवान, अच्छे श्रोता, पर्यवेक्षक, ज्ञानवान, युवाओं के साथ सहानुभूति रखने वाले गुणों को संसाधित करना चाहिए, ताकि अनुभवी युवाओं को यह तय करने में मदद मिल सके कि कौन से अग्रिम कौशल प्रशिक्षण लेने, शिक्षा जारी रखने, कैरियर बनाने के लिए , एक नौकरी खोज को पूरा करें, या कार्य संतुष्टि और उपलब्धि की भावना का निर्माण करें।

कैरियर मेला

एक सफल कैरियर मेला के आयोजन के लिए विस्तार, रचनात्मकता और रणनीतिक योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कैरियर मेला भावी नियोक्ताओं के लिए एक सक्षम कार्यबल खोजने का एक अवसर है। इसी समय, नौकरी चाहने वाले अधिकारियों को काम पर रखने के साथ नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम हैं। चूंकि कैरियर मेला विभिन्न प्रकार के गतिशील भागों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए सहायता प्रदान करने के लिए एक मजबूत नियोजन समूह होना जरूरी है। आपको सेटअप, पंजीकरण और प्रत्यक्ष प्रतिभागियों के साथ सहायता के लिए कार्यक्रम के दिन के लिए युवा स्वयंसेवकों की भी आवश्यकता होगी। यदि आपके पास सहायता के लिए एक समर्पित टीम है, तो आप कम समय के भीतर एक सफल कैरियर मेला आयोजित कर सकते हैं। अग्रिम योजना में, समन्वय, बजट, संसाधन जुटाना, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों के साथ सूचना साझा करना, टीमों का गठन और अन्य अपेक्षित जानकारी/सूचना रखनी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

रणनीतियाँ और गतिविधियाँ

एक सफल कैरियर मेला के आयोजन में पहला कदम एक तिथि और स्थान का चयन करना है। एक समय में मेले की योजना बनाना सुनिश्चित करें जो अन्य घटनाओं और छुट्टियों के साथ न टकराए। नियोक्ताओं के लिए दिन का समय सबसे अच्छा है, लेकिन सुनिश्चित करें कि नौकरी चाहने वाले - आपके इच्छित दर्शक - भी भाग लेने में सक्षम हों। अपने कैरियर मेले के लिए एक जगह खोजें और स्थान आरक्षित करें। स्थान का एक विस्तृत आरेख लेआउट बनाएं और कंपनी के बूथ, पंजीकरण तालिकाओं, रियायतों और इसके बाद के क्षेत्रों के लिए ब्लॉक करें। एक ऐसा स्थान आरक्षित करना सुनिश्चित करें जो आपके अनुमानित दर्शकों को समायोजित कर सके। नियोक्ताओं, आतिथ्य कमरे और पंजीकरण के लिए टेबल और कुर्सियां आरक्षित करें।

कैरियर मेले के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं में योजनाओं के प्रभारी व्यक्तियों की एक समिति या समूह बनाना। आपके जॉब फेयर के आकार के आधार पर, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक, एंप्लॉयर कॉन्टैक्ट, हस्ताक्षर और ग्राफिक्स, सेक्रेटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इयूटी जैसे क्षेत्रों में एक या एक से अधिक लोगों का फोकस होना जरूरी है। कुल मिलाकर कैरियर मेला समन्वयकों में एक या दो लोगों का होना मददगार हो सकता है।

एक विस्तृत बजट तैयार करें जिसमें स्थान और विज्ञापन के लिए पैसा शामिल हो। नौकरी मेले के बजट में टेबल और कुर्सी किराया, टेबलक्लॉथ, ऑडियो-विजुअल उपकरण, विज्ञापन, कार्यक्रम के बाद सफाई, मुद्रण लागत, बैनर, जलपान और पेपर आपूर्ति शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर बूथ स्थापित करें। अन्य बूथों से दूर एक साक्षात्कार स्थान होने पर विचार करें जो नियोक्ता ऑन-द-स्पॉट साक्षात्कार के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैरियर मेला स्थल के प्रवेश द्वार पर और प्रमुख क्षेत्रों में, जहाँ कंपनी के बूथ स्थित हैं, के नक्शे के साथ-साथ मुख्य स्थानों से आमंत्रित कंपनियों को स्थान दिया जाए। नौकरी चाहने वालों को समय-समय पर मार्गदर्शन करने के लिए और नियोक्ता प्रतिनिधियों से पूछें कि क्या उन्हें कुछ भी चाहिए, इसके लिए पूरे मेले में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वयंसेवकों को तैनात करें

संभावित नियोक्ताओं की एक सूची बनाएं और उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए नियोक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करें। नौकरी मेले में भाग लेने के लिए कंपनियों को आमंत्रित

करें। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से कंपनियों को मिला आमंत्रित करें, जिनके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए आप नौकरी चाहने वालों के एक व्यापक क्षेत्र को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपको पुष्टिकरण मिलता है तो पूछें कि क्या किसी कंपनी को के लिए कोई विशेष उपकरण चाहिए। इसके अलावा, आंतरिक और बाहरी दिशात्मक साइनेज बनाएं और लटकाएं और नियोक्ता आतिथ्य के लिए रिक्रेशमेंट ऑर्डर करना सुनिश्चित करें।

नियोक्ताओं के अलावा, एक सफल कैरियर मेला में नौकरी चाहने वालों की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास एक अंतर्निहित ऑडियंस है जैसे युवा क्लब के सदस्य, नेयुकेस से जुड़े युवा स्वयंसेवक, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, आदि की भर्ती फलदायी होगी। सोशल मीडिया, ईमेल सूची, व्हाट्सएप समूह, सभी प्रभावी विपणन विकल्प हैं। कैरियर की तैयारी और फिर से लिखना शुरू करने की पेशकश पर विचार करें, जो कैरियर मेला प्रक्रिया के लिए नौकरी चाहने वालों को तैयार करते हैं। उस घटना पर वीडियो और चित्र लें जिसे आप प्रचार सामग्री में अगले वर्ष उपयोग कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट और सामुदायिक मीडिया आउटलेट पर सफलता की कहानियों को साझा करें।

नोट :कैरियर मेला का आयोजन जिला प्रशासन, कॉर्पोरेट घरानों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सहयोग से किया जाना चाहिए

सुझाव देने वाली गतिविधियाँ

- कार्यशालाएं
- परामर्श और मार्गदर्शन सत्र
- मेले
- प्रदर्शनियां

सहयोगी एजेंसियां

- ☐ जिला प्रशासन
- ☐ पेशेवर एजेंसियां
- ☐ कॉर्पोरेट घराने
- ☐ शैक्षिक संस्थान

□ मीडिया

बजट

रुपये। 10,000 / - प्रति जिला नेयुके। बजट का उपयोग सहयोग सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय, संगठनात्मक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए।

अनुमानित परिणाम

□ जिले के युवा अपनी शैक्षणिक क्षमताओं, विशेषताओं, प्रतिभाओं, रुचियों, व्यक्तित्व, मूल्यों, अपेक्षाओं और संसाधनों का एहसास करेंगे।

□ युवाओं को वर्तमान नौकरी के क्षेत्र में उपलब्ध नवीनतम और अधिक शानदार कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी मिलेगी और नौकरी बाजारों, उनके अभिरुचियों और हितों के आधार पर कैरियर की योजना बनाना और सही कैरियर विकल्प बनाना सीखेंगे।

2. कोविड -19: चल रहे अभियान और लॉक डाउन के उपरांत हस्तक्षेप (इंटरवेंशन)

i) कोविड -19 महामारी के उभरते परिदृश्य

जब 31 दिसंबर 2019 को चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति का पहला मामला सामने आया, तो किसी ने अपनी बेतहाशा कल्पना में भी कल्पना नहीं की थी कि एक साधारण सी दिखने वाली घटना विशाल संकट के रूप में विस्फोट कर सकती है और पूरी दुनिया को उसमें समाहित कर सकती है। दुनिया भर में लोगों ने इसे लापरवाही के दृष्टिकोण और शालीनता के साथ लिया और इसी लापरवाही वाली प्रवृत्ति ने महामारी को एक असहनीय पैमाने तक संक्रमित करने में मुख्य भूमिका निभाई।

जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चीन के हुबेई प्रांत में एक नए कोरोना वायरस रोग के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया भर के 115 से अधिक देशों को प्रभावित करने वाली महामारी घोषित कर दिया है। भारत ने 30 जनवरी 2020 को केरल में अपने पहले कोविड-19 मामले को देखा, यह एक तरह से आने वाले संकट के लिए एक खतरे की घंटी के समान था। विश्व के अन्य हिस्सों की तरह, हम भी शुरू में

अपनी प्रतिक्रियाओं में सीमित थे। हमेशा की तरह बड़ी लापरवाही थी। लोग इस तथ्य को स्वीकार करने से कतरा रहे थे कि महामारी हमारे क्षेत्रों में भी आ सकती है। गैर-गंभीरता बहुत डरावनी लग रही थी। बहरहाल, नेयुकेस ने जागरूकता और निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करके महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से काम करना शुरू कर दिया। रोकथाम के विभिन्न तरीकों के लिए प्राप्त महामारी और ज्ञान की उन्नति के साथ सामाजिक दूरी, हाथ धोने और स्व-अलगाव को भी बढ़ावा दिया गया था।

लगातार बढ़ रहे मामलों के साथ, हमारे समाज के सभी वर्गों और हितधारकों ने पूरे देश में ग्रामीण और शहरी समुदायों तक पहुंच बनाकर इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। भारत में कोविड -19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट देश के सभी हिस्सों को प्रभावित कर रहा है और अपने नागरिकों के जीवन और आजीविका को बदल रहा है।

i) नेयुकेस की प्रारंभिक तत्काल प्रतिक्रिया, युवा कार्यक्रम विभाग

प्रारंभिक त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, 13 मार्च 2020 को, युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा इसके युवा संगठनों नेयुकेस और एनएसएस के लिए निर्देश जारी किए गए थे कि अगले आदेश तक जन भागीदारी की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया जाए। यह संभवतः उभरते संकट की व्यापकता के बारे में संकेत देता है। इस समय के दौरान सार्वजनिक और बड़ी प्रतिक्रियाएँ, सावधानी के साथ अधिक फुसफुसाहट के रूप में थीं क्योंकि अभी भी इस मोड़ पर कोविड -19 की घटना को महसूस नहीं किया गया था। इस बीच, नेयुकेस ने सम्पूर्ण भारत में अपनी ग्राम स्तर तक उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, पूर्व-में उपाय के रूप में, युवा स्वयंसेवकों और युवा नेताओं के अपने बृहत नेटवर्क के साथ कोविड -19 महामारी का मुकाबला करने के लिए कई भूमिकाएं निभाने के लिए कमर कस ली। वास्तव में, नेयुकेस ने दुनिया के कोविड -19 से प्रभावित अन्य हिस्सों से सबक सीखते हुए देश भर के, राज्य और जिलों के युवा स्वयंसेवकों का दस्तावेजीकरण और उन्हें सूचीबद्ध करना शुरू किया ताकि समय की जरूरत के अनुसार उन्हें जागरूक, प्रशिक्षित और अपनी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ।

iii) राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगे की राह दिखाई

- स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान सावधानी के प्रति संवेदनशीलता -

भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कोविड 19 पर सतर्कता और तत्परता के साथ नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। यह स्पष्ट रूप से संकेत था कि भारत सरकार संकट पर विचार कर रही थी और आह्वान के माध्यम से लोगों को गंभीरता को समझने और तदनुसार तैयारी के लिए प्रेरित किया गया था।

जनता कर्फ्यू के अनुभव ने भारत के लोगों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए आगे बढ़ने में मदद की। जवाब में, युवा कार्यक्रम विभाग, युवा स्वयंसेवकों, उनके परिवारों और आम लोगों के बीच जतना कर्फ्यू को लागू करने के लिए भारत भर में नेयुकेस और एनएसएस की फील्ड इकाइयों को निर्देश जारी किए गए। परिणामस्वरूप 24.17 लाख स्वयंसेवकों और उनके परिवारों की भागीदारी को सक्षम किया और 2.58 करोड़ नागरिकों तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचा।

- लॉकडाउन की घोषणा – बचाव की तैयारी

भारत में कोविड -19 महामारी के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में, 24 मार्च 2020 को, भारत सरकार द्वारा 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया गया। यह 22 मार्च को स्वैच्छिक सार्वजनिक कर्फ्यू के बाद देश के कोविड 19 प्रभावित क्षेत्रों में नियमों की एक श्रृंखला के लागू के बाद आदेश दिया गया था। देश के लोगों को घरों में रहने और बाहर न जाने के लिए संवेदनशील और प्रेरित किया गया था - कोरोना - कोई रोड पार ना निकले।

- ए) नेयुकेस भूमिका – कोविड -19 संक्रमण से बचाव और सहयोगी सेवाएं

कई संकेत हैं कि कोविड -19 महामारी का युवाओं सहित पूरे समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती संख्या में, युवा स्वयंसेवक लगातार वायरस के प्रसार का सामना कर रहे हैं और महामारी के प्रभावों को कम करने और निबटने के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, युवा स्वयंसेवक पहले से ही जोखिम संचार की पहल में सबसे आगे हैं - अर्थात् संकट से संबंधित गलत सूचना, भेदभाव और स्टिग्मा का मुकाबला करने के साथ-साथ सामाजिक दूरी और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपायों के महत्व के बारे में प्रचार करना। उदाहरण के लिए, स्थानीय युवा स्वयंसेवक स्थानीय भाषाओं में वायरस के बारे में जानकारी का प्रसार कर रहे हैं; युवा भोजन और दवा जैसे आपूर्ति की पहुंच के लिए बुजुर्ग लोगों और अन्य जोखिम वाले समूहों को सुरक्षित रूप से मदद करने के लिए स्वयं सेवा कर रहे हैं। वे

पूरी तरह से हाथ धोने पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं ताकि वायरस के प्रसार को कम करने के साथ-साथ जिला प्रशासन को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान कर रहे हैं।

i. जागरूकता और शिक्षा

कोविड -19 महामारी की रोकथाम पर जागरूकता और शिक्षा के लिए नेयकेस के युवा स्वयंसेवकों को शिक्षित किया जाना चाहिए। ये स्वयंसेवक हाथ धोना, फेस मास्क पहनना और सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के सुरक्षित सामाजिक संतुलन, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सत्यापित जानकारी और संदेश साझा कर सकते हैं। क्या करें क्या न करें पर आईईसी सामग्री का उपयोग लोगों को महामारी और एहतियात के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि वे संक्रमण के जोखिम को कम कर सकें। व्याख्यात्मक वीडियो और सोशल मीडिया निवारक तरीके जागरूकता और शिक्षा का हिस्सा हो सकता है।

ii. होम मेड फेस मास्क और उनको पहनने का लोकप्रियकरण

होममेड मास्क बनाने की लोकप्रियता कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। होममेड मास्क बनाना लागत प्रभावी, सुलभ और घर पर बनाने में आसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी दूरदराज के इलाके में निवास करता है, जहां मास्क की उपलब्धता मुश्किल है और महंगी है। विश्व स्तर पर, फेस मास्क का उपयोग कोविड-19 के प्रसार को रोकने और कम करने में अपनी उपयोगिता स्थापित करने में सक्षम रहा है। वास्तव में, वर्तमान परिदृश्य में, फेस मास्क हर किसी के लिए आवश्यक हो गए हैं। नेयुकेस ने स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके घर से फेस मास्क बनाने के लिए उपयुक्त तकनीकों के प्रचार और लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसे जारी रखा जाना चाहिए। पहल करने के लिए, युवा स्वयंसेवकों और युवा मंडलों के सदस्यों को होममेड मास्क बनाने पर ऑडियो-विजुअल मॉड्यूल / वीडियो का उपयोग करके और व्हाट्सएप समूहों, फेसबुक और यूट्यूब चैनलों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित युवाओं को परिवारों को और प्रेरित करना चाहिए और

उन्हें अपने घरों पर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक उपाय के रूप में मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

iii. हस्त प्रक्षालन और स्वच्छता:

कोविड-19 के प्रकोप के दौरान, संक्रमण को रोकने में हस्त प्रक्षालन और सेनिटाइजेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाथों की स्वच्छता किसी के हाथों की सफाई का एक तरीका है जो हाथों पर संभावित रोगजनकों (हानिकारक कीटाणुओं) को काफी हद तक कम करता है। हाथों की स्वच्छता प्रक्रियाओं में कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या 70% अल्कोहल-आधारित सेनिटाइजर को हाथ पर लगाना शामिल है।

नेयुकेस स्वयंसेवकों को शैक्षिक और व्यवहारिक साधनों और युक्तियों के माध्यम से लोगों को हस्त प्रक्षालन और स्वच्छता के लाभों को समझने में मदद करनी चाहिए। जैसा कि अब हम कोविड-19 के साथ नई, अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्षेत्र में स्वयंसेवकों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 की प्रतिक्रिया का समर्थन करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक दर्शकों को लक्षित करने के लिए स्वच्छता प्रचार को जल्दी से पूरा करके, ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अभियान चलाया जा सके।

iv. सामाजिक दूरी :

श्वसन स्वच्छता खांसी या छींकने जैसे श्वसन व्यवहार के माध्यम से कीटाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों का एक संयोजन है। सामाजिक दूरी बीमारी फैलाने से बचने के लिए लोगों के बीच जानबूझकर वास्तविक दूरी को बढ़ा रही है। अन्य लोगों से कम से कम दो मीटर की दूरी पर रहने से कोविड-19 से संक्रमित होने की आपकी संभावना कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो सामाजिक दूरी आपके और संक्रमित व्यक्ति के बीच एक दूरी बनाये रखता है ताकि आप उनके संक्रमित बूंदों के संपर्क में न आएं। सामाजिक दूरी का मतलब यह भी है कि आप भीड़ भरे स्थानों से दूर रहें, आप ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन न करें जहाँ लोगों को एकत्रित होना पड़े।

लॉकडाउन के बाद से नेयुकेस का प्रमुख फोकस लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस संबंध में, नेयुकेस सार्वजनिक समारोहों में युवा

स्वयंसेवकों की तैनाती से लेकर सामाजिक समरसता मानदंडों को स्वीकार करने की उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर सकता है। यह सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए लोगों के बीच सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाया गया। इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नेयुकेस स्वयंसेवकों को राज्य और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए और स्वयंसेवकों को विभिन्न क्षमताओं में तैनात किया जा सकता है, जिसमें बाजार, बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैनिंग जैसे सार्वजनिक समारोहों, नियंत्रण कक्ष, ग्राहक सेवा बिंदु जैसे स्थानों में सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखना शामिल है।

v. सार्वजनिक स्थानों, गलियों, भवनों का सेनिटाइजेशन:

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयंसेवक लोगों को अपने घर और इलाके की स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों, गलियों और इमारतों के सेनिटाइजेशन में सक्रिय भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों को स्वच्छता कार्यकर्ताओं पर छोड़ना उचित नहीं होगा। नेयुकेस स्वयंसेवक सवास्थ्य एवं एम.सी. कार्यकर्ताओं को क्षेत्रों का सेनिटाइजेशन का कार्य करते समय उनकी सहायता कर सकते हैं।

vi. साबुन और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना:

स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करना और इसके संक्रमण को रोकना प्रमुख चिंता का विषय है। साबुन और सैनिटाइज़र लोगों के हाथों को साफ और स्वच्छ रखते हैं और इसलिए, नेयुकेस स्वयंसेवक उन लोगों के लिए जो साबुन और सैनिटाइज़र खरीद नहीं सकते हैं उनके लिए स्थानीय संसाधनों को जुटाकर साबुन और सैनिटाइज़र प्रदान कर सकते हैं।

vii. बुजुर्ग लोगों की देखभाल:

बुजुर्ग लोगों में कम प्रतिरक्षा क्षमता के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्रोनिक किडनी रोग और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी कई संबंधित कोमोर्बिडिटी के कारण कोविड-19 संक्रमण का अधिक खतरा होता है। इसके अलावा, बीमारी का समय बुजुर्गों के मामले में अधिक गंभीर हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उच्च मृत्यु दर होती है। हालांकि, बुजुर्गों की

आबादी के बीच कोविड-19 संक्रमण को विशेष देखभाल, सावधानी बरतने और उन तक पहुंचने से कम किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, स्वास्थ्य संबंधी असामान्यताओं के कारण बुजुर्ग आबादी में प्रतिरोधक क्षमता कम होने और निर्भरता अधिक होने के कारण उन्हें सबसे कमजोर समूह माना जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा विशेष पहल की गई है। इस कार्यक्रम के तहत, नेयुकेस युवा स्वयंसेवकों और युवा मंडलों के सदस्यों को वर्तमान में कोविड 19 स्थिति में इसकी प्रासंगिकता, जराचिकित्सा देखभाल जैसे विभिन्न पहलुओं पर वर्चुअल वेबिनार प्लेटफार्मों के माध्यम से संवेदनशील किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद, कोविड-19 स्वयंसेवक देश भर में उन परिवारों के सदस्यों के बीच ज्ञान और जानकारी साझा कर सकते हैं, जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं और कोविड-19 से उनकी सुरक्षा और देखभाल करते हैं।

ख) जिला प्रशासन के साथ समन्वय और सहयोग

i) जिला प्रशासन को सहयोग

नेयुकेस और एन एस एस के स्वयंसेवक और अधिकारी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सेवाओं की सुविधा के लिए और बैंक, अस्पताल, अनाज मंडियां संचालन, सब्जी बाजार, प्रवासी श्रमिकों के शिविर और अन्य सार्वजनिक सेवा स्थानों पर जहां भीड़ को उचित तरीके से नियंत्रित किया गया था, वहाँ पर भीड़ को संभालने के लिए लगे हुए हैं।

ii) सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना

जनता के बीच सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और उन लोगों तक पहुंचना जिनकी जानकारी की पहुंच सीमित थी। इसके अलावा, उनमें से अधिकांश को शुरू में एहसास नहीं हुआ और इस तथ्य को स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करना उनके अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक था। अपने स्वयंसेवकों की मदद से नेयुकेस को व्यक्तिगत संपर्क, संवाद स्थापित करने और क्षेत्रीय भाषाओं में आई ई सी सामग्री के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और दिल को छूने वाले जागरूकता के संदेश को प्रसारित करना चाहिए।

सी) राहत अभियान

i) खाद्य तैयारी और वितरण

लॉकडाउन के दौरान खाद्य तैयारी और वितरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। हजारों गरीब, जरूरतमंद, वंचित तबके और प्रवासी कामगार जिनके लिए उचित और सुव्यवस्थित तरीके से इन बुनियादी जरूरतों को प्रदान करना आवश्यक है। आवश्यकताओं के अनुसार नेयुकेस के स्वयंसेवकों को इन कल्याणकारी उपायों को ठीक से करने के लिए प्रशासन का सहयोग करने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

ii) गरीब और जरूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और वितरण:

जिला प्रशासन को नेयुकेस और एन एस एस के युवा स्वयंसेवकों द्वारा पैकेजिंग और गरीब और जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ पहुंचाने में सहायता प्रदान की गई। लॉकडाउन के दौरान, तारतम्यता को बनाए रखना और पात्र लोगों तक भोजन का वितरण सुनिश्चित करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। यदि आवश्यकता हो तो नेयुकेस स्वयंसेवकों (जो अपने इलाकों का विस्तृत ज्ञान रखते थे) को खाद्य पदार्थों और वितरण की पैकेजिंग में मदद करनी चाहिए।

iii) कोविड-19 से प्रभावित लोगों के परिवारों की मदद करना:

जो लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं, उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है और इस तरह के कठिन समय में भी उनको कोविड से जुड़े स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। नेयुकेस स्वयंसेवक अपनी आवश्यकता के संदर्भ में इन लोगों के परिवारों की मदद कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें अवसाद और एकरसता के बीच परामर्श दिया गया।

iv) रक्त दान:

कोविड-19 संकट के दौरान जीवन बचाने के लिए रक्तदान महत्वपूर्ण है। एक बार लॉकडाउन शुरू होने के बाद, इसने स्वैच्छिक रक्तदाताओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो गई थी। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, नेयुकेस को अपने स्वयंसेवकों और युवा मंडलों के सदस्यों की मदद से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

डी) कोविड-19 के स्टिग्मा से डरें नहीं, बल्कि मुकाबला करें

कोविड-19 से जुड़ा स्टिग्मा तीन मुख्य कारकों पर आधारित है। कोविड-19 एक नई बीमारी है जिसके बारे में अभी भी बहुत सी चीजें खोजी जा रही हैं, जब कुछ अज्ञात होता है तो लोग चिंतित होते हैं जिससे डर लगता है और अफवाहें या फर्जी खबरें, गलत जानकारी डर फैलाती हैं।

नेयुकेस के कोविड वारियर्स लोगों को संवेदनशील बना सकते हैं और उन्हें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि यह एक साधारण संक्रमण है और 80% मामले हल्के मामले हैं इसलिए कोविड -19 से डरें नहीं, बल्कि इससे लड़ें। युवा स्वयंसेवक लोगों को टीवी पर नकारात्मक चीजों और नकली समाचार को देखने से दूर रहने के लिए कह सकते हैं; निर्देशित व्हाट्सएप समूह लोगों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए आशा और सकारात्मक समाचार देने में मदद कर सकते हैं; लोगों को इनडोर खेल खेलने, पढ़ने, बागवानी, घर की सफाई आदि जैसी आरामदायक गतिविधियों में संलग्न रहने की सलाह दी और जोर दिया कि ज्यादातर लोग कोविड -19 से उबरते हैं, स्थानीय लोगों के बारे में अच्छी खबर को बताते हैं; जो कोविड -19 से उबर गए हैं या उन्होंने रिकवरी के जरिए किसी प्रियजन का सहयोग किया है।

i) कोविड वारियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान एवं सत्कार करना

कोविड -19 के मद्देनजर लॉकडाउन के संकट काल के दौरान, कोविड वारियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयास और समर्पण अनुकरणीय हैं। उन्हें अपने परिवार और प्रियजनों से दूर, बड़े जोखिम और तनाव में काम करना पड़ता है। इसके अलावा, उन पर हमलों के मामले भी हैं। इसके अलावा, वे भी स्टिग्मा और भेदभाव के शिकार हैं। नेयुकेस के स्वयंसेवक इन फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड वारियर्स को सम्मानित करने के लिए गतिविधियाँ आयोजित कर सकते हैं। इस तरह की पहल से इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में गर्व की भावना के साथ-साथ यह महसूस होगा कि उनका योगदान एक बड़े राष्ट्रीय कारण के लिए है और उन्हें समाज द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

ii) स्टिग्मा और भेदभाव का मुकाबला:

कोविड -19 महामारी का मुकाबला करते समय हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स दुर्भाग्यवश स्टिग्मा, भेदभाव, बहिष्कृत और कभी-कभी सबसे गैर-कानूनी उत्पीड़न के शिकार हो गए हैं। इस तरह की स्थिति ने चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा समुदाय को अपने कर्तव्यों का पालन

करने के लिए उनके इष्टतम सर्वोत्तम प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न की है। इसके अलावा, कोविड -19 से प्रभावित लोगों के साथ भी लोगों द्वारा बहुत अधिक भेदभाव किया जा रहा है।

इसे ध्यान में रखते हुए, युवा कार्यक्रम विभाग ने स्टिग्मा और भेदभाव का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लोगों की आशंकाओं को दूर करना और सकारात्मकता के आधार पर प्यार, देखभाल, सम्मान और एकजुटता को बढ़ावा देना है। इस तरह के स्टिग्मा और भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए, नेयुकेस ने अपने स्वयंसेवकों के बड़े नेटवर्क के साथ सक्रिय रूप से चार प्रचलित संचार रणनीति यानी वकालत, क्षमता निर्माण, सामुदायिक व्यस्तता और जवाबदेही और मीडिया के साथ विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं।

(ii) “बदल कर अपना व्यवहार करें, कोरोना पर वार ”अभियान

नेयुकेस द्वारा 1 जून, 2020 को व्यवहार परिवर्तन अभियान "बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार" शुरू किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री और विभिन्न हस्तियों जैसे श्री अमिताभ बच्चन, श्री सचिन तेंदुलकर और श्री अक्षय कुमार के कई ऑडियो और वीडियो शामिल थे और पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 9 स्टैंसिल/पोस्टर का उपयोग करने के लिए तैयार कर उपलब्ध कराए गए। अभियान के एक भाग के रूप में, युवाओं की भागीदारी के साथ कार्यक्रम की जानकारी संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जबकि युवा मंडलों के सदस्यों को वेबिनार, वर्चुअल मोड और सोशल मीडिया के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों का आयोजन करके संवेदनशील बनाया गया और व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से नेयुकेस के क्षेत्र के अधिकारियों, एनवाईवी, पदाधिकारियों और युवा मंडलों के सदस्यों, कोविड स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों जोड़ा गया। सामुदायिक जुड़ाव और जवाबदेही के एक भाग के रूप में, संदेश / सामग्री को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वॉल राइटिंग / वॉल पेंटिंग के माध्यम से युवा मण्डल के सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और साथ ही नागरिकों को 09 स्टैंसिल / पोस्टर और 05 ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए गए।

समय-समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और जिला प्रशासन के सुरक्षा दिशानिर्देशों, सावधानियों और सलाह का पालन करते हुए युवा स्वयंसेवकों को खुद का ख्याल रखना चाहिए।

बजट

रुपये 16,000 / - प्रति जिला बजट का उपयोग शैक्षिक सामग्री, जागरूकता अभियान, पर्यावरण निर्माण, प्रचार, वेबिनार आयोजित करने, संदर्भ व्यक्तियों के लिए मानदेय और अन्य विविध खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।

प्रचार: मीडिया और प्रेस कवरेज: कोविड 19 गतिविधियों की दृश्यता के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे

- ✓ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त कवरेज
- ✓ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग
- ✓ ईपोस्टर-
- ✓ लोक मीडिया का उपयोग
- ✓ बैनर और अन्य प्रचार सामग्री तैयार करना
- ✓ प्रमुख स्थानों पर पोस्टर और नारों का प्रदर्शन

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमों स्थापित करना

युवा कार्यक्रम विभाग (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय) ने नेयुके के युवा स्वयं सेवकों की एक टीम बनाने की पहल की है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी आर आर) की दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की दिशा में "प्रथम प्रतिक्रिया" के रूप में काम करने के लिए नेयुकेस के युवा स्वयं सेवकों के बल को ब्लॉक स्तरीय डिजास्टर रिस्पांस टीम (डीआरटी) के रूप में तैयार करना है।

प्रारंभ में, परियोजना को 295 ब्लॉकों में एनडीआरएफ के सहयोग से ब्लॉक स्तरीय डिजास्टर रिस्पांस टीम (डीआरटी) बनाने के लिए 2019-2020 के दौरान पायलट आधार पर निष्पादित किया गया था। एनडीआरएफ द्वारा पहचान किए गए 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 32 बहुल खतरों वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से 30-स्वयंसेवकों को 6-दिवसीय स्वनिर्धारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एनडीएमए / एसडीएमए / एनडीआरएफ के माध्यम से 10,000 नेयुकेस युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 4.95 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, क्योंकि यह मामला वार्षिक कार्य योजना में बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के विस्तृत दिशानिर्देशों को नेयुकेस, आपदा प्रबंधन सेल द्वारा नियत समय में सूचित किया जाएगा।

1. युवा नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान, युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली

परिचय

फिट इंडिया कैंपेन एक युवा नेतृत्व वाला आंदोलन है जो देश को स्वास्थ्य और कल्याण के रास्ते पर ले जा सकता है। यह एक स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करता है। अभियान के भागीदार के रूप में, नेयुके ने युवा मंडलों, उनके सदस्यों, व्यक्तियों और सभी आयु वर्ग के ग्रामीणों को स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और साथ ही साथ सभी भारतीयों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा सकते हैं।

यह अपेक्षा की गई है कि जिला नेयुके युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से खेल गतिविधियों को करने के लिए युवा मंडलों के सदस्यों में जागरूकता, लोकप्रिय और प्रोत्साहित करे। युवा मंडलों को अपने गाँवों में कोविड दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए स्वयं ही खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ए) युवा नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान

फिट इंडिया युवा मंडलों का शुभारंभ श्री किरें रीजीजू, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2020 को वेबकास्ट के माध्यम से किया गया था। सचिव (युवा कार्यक्रम) द्वारा नेयुकेस के क्षेत्र के अधिकारियों और स्वयंसेवकों को एक मिशन मोड दृष्टिकोण में कार्यक्रम शुरू करने और लोगों को फिटनेस को जीवन के तरीके के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संबोधित किया। संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम) और महानिदेशक, नेयुकेस द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया युवा मण्डल पंजीकरण और कार्य योजना पर पीपीटी प्रस्तुत की गई।

i) फिट इंडिया फ्रीडम दौड़

इसका उद्देश्य फिटनेस को लोकप्रिय बनाना और देशभक्ति की भावना को विकसित करना है। नेयुकेस के क्षेत्र के अधिकारियों, कोविड स्वयंसेवकों, नेयुकेस से संबद्ध युवा मंडलों के सदस्यों, गंगा दूतों और एनडीआरएफ प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

समय सीमा - 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, 2020 और आगे

कवरेज - नेयुके से संबद्ध सभी युवा मण्डल

लक्ष्य - प्रत्येक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक (एनवाईवी) 15 गांवों को कवर करेगा

प्रतिभागिता - सभी युवा मण्डल के सदस्यों को प्रत्येक दिन 60 मिनट तक दौड़ने के लिए प्रेरित करें और प्रत्येक युवा मण्डल के सदस्य 25-30 युवाओं को 30 दिनों तक दौड़ने के लिए प्रेरित करें

प्रचार-प्रचार - हैश टैग: #रन4इंडिया और #न्यू इंडिया फिट इंडिया

रिपोर्टिंग परिणाम - दौड़ में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या और दौड़ द्वारा कवर किए गए संचयी किलोमीटर (दूरी कि.मी में)

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

i) फिट इंडिया युवा मण्डल पंजीकरण

लक्ष्य: 1 लाख फिट इंडिया युवा मंडलों का पंजीकरण।

- ✓ प्रत्येक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक (NRYV) को फिट इंडिया युवा मण्डल के रूप में नेयुके से संबद्ध न्यूनतम 10 युवा मंडलों को पंजीकृत करने का लक्ष्य दिया गया है।
- ✓ यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन फिट इंडिया युवा मंडलों को केवल फिट इंडिया की वेबसाइट www.fitindia.gov.in पर पंजीकृत होना है।
- ✓ ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल है। फिट इंडिया युवा मण्डलों को पंजीकृत करने के लिए चरण (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) चरण प्रक्रिया-दर-इस वेबसाइट पर दी गई है। सफल पंजीकरण के बाद, युवा मण्डल प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकता है।

फिट इंडिया युवा मंडलों के लिए प्रमाणन मानदंड

- ✓ युवा मंडलों को संबंधित जिला नेयुके से संबद्ध किया जाना चाहिए।
- ✓ युवा मंडल के प्रत्येक सदस्य को शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और समूह की शारीरिक गतिविधियों के लिए हर हफ्ते कम से कम दिनों 5 मिनट का समय बिताना चाहिए। 60 के लिए प्रतिदिन
- ✓ युवा मण्डल के प्रत्येक सदस्य को अपनी दिनचर्या में मिनट की शारीरिक गतिविधि 60 को शामिल करने के लिए हर महीने एक अतिरिक्त व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए।
- ✓ यूथ क्लब को प्रत्येक तिमाही में एक सामुदायिक फिटनेस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थानीय निकाय और स्कूल को व्यवस्थित या राजी करना चाहिए।

समय सीमा: 31 मार्च 2021 तक।

ii) फिट इंडिया अभियान कार्य योजना

विषय: स्वस्थ जीवन के लिए आलस्य से मुक्ति

समय सीमा: 15 अगस्त 2020 से आगे

कवरेज: सभी राज्यों के 623 जिलों के एक लाख गाँव और भारत के संघ शासित प्रदेश
लक्षित श्रोता: नेयुकेस के समस्त अधिकारी, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, युवा मण्डल के नेता,
सदस्य और कोविड-19 स्वयंसेवक

पहुंच के लिए माध्यम / उपकरण:

- ✓ वेबिनार, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म
- ✓ स्वास्थ्य @ गृह, परिवार के साथ स्वास्थ्य
- ✓ कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आउटडोर चयनित गतिविधियाँ

गतिविधियाँ भाग 1 - स्वास्थ्य @ गृह, परिवार के साथ स्वास्थ्य

नेयुकेस का प्रत्येक एनवाईवी न्यूनतम 10 गांवों की निगरानी करेंगे

युवा मण्डल के प्रत्येक सदस्य को अपने घर पर शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए अपने गाँव में कम से कम 5 परिवारों को प्रेरित और निगरानी करनी चाहिए।

गतिविधियाँ: योग, नृत्य, स्ट्रेच, रस्सी कूदना, व्यायाम, एरोबिक्स, पतंग उड़ाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, सफाई और अन्य घरेलू गतिविधियाँ जो फिटनेस को बढ़ावा देती हैं

गतिविधियाँ भाग 2- कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए चयनित आउटडोर फिटनेस कार्यक्रम

प्रशिक्षित प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा अपनाए गए 5 परिवारों से युवाओं को प्रेरित करेगा, ताकि वे अन्य 05 व्यक्तियों को फिटनेस गतिविधियों के लिए प्रेरित कर सकें।

अपने दैनिक कार्यक्रम पर नजर रखेंगे और दैनिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेंगे।

कार्यक्रम / गतिविधियाँ : जॉगिंग, एकल दौड़, सैर, प्लौगिंग, साइकिलिंग, तैराकी, नृत्य, कलाबाजी, पारंपरिक खेल, सुरक्षा मानकों का पालन करके सीमित समूह गतिविधियों का आयोजन

अनुमानित परिणाम

- ✓ स्वास्थ्य संदेश और गतिविधियाँ भारत के सभी राज्यों के 623 जिलों के एक लाख गाँवों की आबादी तक पहुँचें
- ✓ युवा स्वयंसेवकों को फिटनेस अभियान गतिविधियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया
- ✓ इंडोर फिटनेस व्यवस्था में शामिल परिवार
- ✓ फिटनेस के लिए चुनिंदा आउटडोर इवेंट्स में भाग लेने वाले नागरिक
- ✓ पूरे भारत में एक जीवन शैली के रूप में स्वास्थ्य आंदोलन की स्थापना

ख) युवा कार्यक्रम विभाग के ब्लॉक अनुदान की बजटीय सहायता के साथ गतिविधियाँ

i) युवा स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवन शैली और फिट इंडिया पर युवाओं को प्रशिक्षण

उद्देश्य:

- ✓ युवाओं में उनके प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शैली से बीमारियों के बारे में समझ विकसित करना
- ✓ एचआईवी-एड्स, एस टी आई, कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के तरीकों पर युवाओं को जागरूक और शिक्षित करना
- ✓ युवाओं को नशे के दुष्परिणाम से बचने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता के प्रति शिक्षित करना
- ✓ युवाओं को मौलिक कर्तव्यों का पालन करने और भारतीय होने पर गर्व करने के लिए जागरूक और प्रेरित करना
- ✓ भारतीय युवाओं को स्वस्थ और उत्पादक मानव संसाधन के रूप में बदलना

कार्यक्रम की अवधि: एक दिन

स्तर: ब्लॉक

प्रतिभागियों की संख्या: न्यूनतम 50 (पुरुष और महिला)

समय सीमा: अक्टूबर - नवंबर

कार्यान्वयन रणनीति

- जिला युवा समन्वयकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ “ युवा स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवन शैली एवं फिट इंडिया पर प्रशिक्षण” का सफल आयोजन किया जा सके। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहाँ चर्चा, व्याख्यान, शिक्षण सहायता और उपकरणों के लिए जगह, बिजली के साथ बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- युवा मंडल, प्रशिक्षित पदाधिकारी और नामित एनवाईसी स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।
- जिला युवा समन्वयकों को उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों की पहचान करनी चाहिए जैसे युवा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वच्छता, प्रतिरक्षा और जीवन शैली रोगों के विषयों की पहचान करनी चाहिए एचआईवी-एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के तरीके, एसटीआई, कोविड -19 नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचनाय मौलिक कर्तव्यों और कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय होने पर गर्व है।
- तदनुसार, विकास विभागों और एजेंसियों के संबंधित प्रमुखों को उनके विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा जो व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम और सीमित चर्चा के तहत कवर किए जाने वाले चयनित विषयों और विषयों पर आईसीसी सामग्री प्रदान कर सकते हैं।
- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें और कार्यक्रम के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करें।
- प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों को – “ युवा स्वास्थ्य, सकारात्मक जीवन शैली एवं फिट इंडिया पर प्रशिक्षण” की तारीखों, स्थानों और अन्य विवरणों को अच्छी तरह से सूचित करना होगा ताकि वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकें।
- शिक्षित युवा अपने सहकर्मी और ग्राम समुदायों को अपने संबंधित युवा मंडल गांवों में उनकी रुचि के कम से कम दो चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
- जिला नेहरु युवा केन्द्र कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अनुसूची, कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों, वक्ताओं, कार्यक्रमों के स्थल आदि को अंतिम रूप देगा।
- कार्यक्रमों में शामिल विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी।

- पूरी योजना पर विकास विभागों/एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी के साथ-साथ विकास विभागों के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

- कार्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी और परस्पर संवादात्मक प्रकृति का होगा।

बजट प्रति कार्यक्रम और उपयोग पैटर्न

Head	Budget (in Rs.)
प्रतिभागियों को चाय, नाश्ता / दोपहर का भोजन	8,000
संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय और प्रतिभागियों को संदर्भ सामग्री	2,000
प्रतिभागियों को स्टेशनरी (पेन, पैड, आदि)	4,000
संगठनात्मक और अन्य विविध खर्च (बैनर, फोटो, आदि)	1,000
कुल	15,000

नोट: असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक / राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है।

जिले में कार्यक्रमों की संख्या : जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	रु.15,000 / – दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रु. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @ 50 प्रति कार्यक्रम
--------	---	----------------	---

जिला जिसमें 0-3 ब्लॉक हैं।	1	15,000	50
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	3	45,000	150
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	3	45,000	150
जिला जिसमें 16 से अधिक ब्लॉक हैं।	4	60,000	200

ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता

खेल प्रोत्साहन के अंतर्गत जिला एवं युवा मंडलों (ब्लॉक) के समूह स्तर पर खेल प्रतियोगिता के आयोजन का प्रावधान किया गया है। खेल सामग्री की खरीद के प्रावधान के बारे में अलग से ऊपर बताया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल भावनाओं को दर्शाता है। इस संबंध में मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और उत्कृष्ट खेल व्यक्तित्वों को सामने लाना और ग्रामीण खेलों के क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करना जिन्हें अन्य प्रतिष्ठित विभागों द्वारा और आगे विकसित किया जा सके।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को खेलों में भाग लेने के सुअवसर दिलाना और उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना।
- ग्रामीण युवाओं के बीच खेल संस्कृति और खेल भावना को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना जिनके लिए न्यूनतम वित्त, ढांचा तथा उपकरणों की आवश्यकता हो।
- युवाओं के बीच स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ दिमाग के संदेश को प्रचारित करना।
- युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करना जिसे अन्य विभाग प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे विकसित करने के लिए चयनित कर सके।

टूर्नामेंट का स्तर

- ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता

- जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता

बजट: उपयोगिता नमूना

शीर्ष	ब्लॉक स्तरीय	जिला स्तरीय
	राशि (रु में)	राशि (रु में)
खेल उपकरण, ट्रैक एवं फील्ड प्रबंधन और विजेताओं के लिए पुरस्कार (वास्तविक आवश्यकता के अनुसार)	10,000.00	15,000.00
आयोजन और आकस्मिक व्यय जिसमें चाय, नाश्ता, प्रतिभागियों, प्रतियोगिता के अधिकारियों के लिए अल्पाहार फोटोग्राफी, पी ए सिस्टम, प्रमाण पत्र आदि के लिए	8,000.00	15,000.00
कुल	18,000.00	30,000.00

नोट: असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक / राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है।

कार्यक्रमों की संख्या

जिला युवा समन्वयक जिले में संख्या के आधार पर वरीयता निम्नानुसार है :-

श्रेणी	ब्लॉक स्तरीय		जिला स्तर	
	खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	राशि (रु. में) @ रु. 18000 प्रति ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता	खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	राशि (रु. में) @ रु. 30000 प्रति जिला स्तरीय प्रतियोगिता
जिला जिसमें 0 –3 ब्लॉक हैं।	2	18,000	1	30,000
जिला जिसमें 4–5 ब्लॉक हैं।	3	54,000	1	30,000
जिला जिसमें 6–10 ब्लॉक हैं।	5	90,000	1	30,000
जिला जिसमें 11–15 ब्लॉक हैं।	8	1,44,000	1	30,000
जिला जिसमें 16 एवं अधिक ब्लॉक हैं।	9	1,62,000	1	30,000

समय अवधि : (इसे कोविड 19,पर्यावर्णीय स्थितियों एवं कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है)।

अक्तूबर से नवम्बर (ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता)

नवम्बर से दिसम्बर फरवरी (जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता)

विभिन्न स्तरों पर खेलों की पहचान

:

प्रतियोगिता समूह			
फुटबाल	कबड्डी	टग ऑफ वार	
हैंड बॉल	बास्केट बॉल	बॉलीवॉल	खो-खो
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगितायें			
एथलैटिक	कुश्ती (भारतीय तरीके से)	तीरांदाजी (भारतीय तरीके से)	तैराकी
जिमनास्टिक	बैडमिंटन	टेबल टेनिस	साईकिलिंग
भारोत्तोलन	वुशु	ताईकवांडो	मुक्के बाजी
जुडो			
स्थानीय परम्परागत खेल			
ऊँट दौड	भैंसा गाडी दौड	मार्शल आर्ट जैसे गट्टका, मलखम, अत्या-पत्या, कलराईपट्टू, सीलामबम, थंग टा आदि	

स्वास्थ्य / गृह, परिवार के साथ स्वास्थ्य

गतिविधियाँ योगा, डांस, स्ट्रेच, स्किपिंग, व्यायाम, एरोबिक्स, काइट फ्लाईंग, सीढ़ी चढ़ना, सफाई और अन्य घरेलू बाध्य गतिविधियाँ जो फिटनेस को बढ़ावा देती हैं

कोविड -19 सेप्टी नॉर्मस का पालन करते हुए बाहर के फिटनेस इवेंट्स चुने गए

घटनाएँ ६ गतिविधियाँ जॉगिंग, सोलो रन, वॉक, प्लॉगिंग, साइकिलिंग, तैराकी, नृत्य, कलाबाजी, पारंपरिक खेल, सुरक्षा मानदंडों का पालन करके सीमित शारीरिक गतिविधियाँ

- जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा ब्लॉक विशेष में आयोजित की जाने वाली खेल गतिविधियों का निर्णय युवा मंडल द्वारा नियमित रूप से खेले जाने वाले खेलों की लोकप्रियता के आधार पर किया जाये।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर न्यूनतम 5-6 खेलों के चयन में व्यक्तिगत एवं टीम के साथ खेलों की वरीयता के आधार पर किया जाये और इसमें क्रमशः 60:40 का अनुपात रखा जाये।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर एक ही प्रकार के खेलों का चयन किया जाये।

नोट:

- क्षेत्र में लोक प्रिय अन्य खेलों के साथ-साथ फुटबाल टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए प्रयास किए जायें।
- प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केट बॉल, हैंड बॉल, हॉकी, कबड्डी और खो-खो में से 03 से अधिक खेल न रखे जायें।
- व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एथलेटिक, कुश्ती, तीरांदाजी आदि में से 02 से अधिक खेलों का चयन न किया जाये और यह चयन स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं पर निर्भर होगा।
- इसके अतिरिक्त स्थानीय रुचि को बढ़ाने के लिए एक या दो प्रतियोगितायें जैसे कुश्ती, टग ऑफ वार, मार्शल आर्ट, मलखम, अत्या-पत्या, ऊँट दौड़ और भैंसा गाड़ी दौड़ स्थानीय परंपराओं के अनुसार आयोजित किये जा सकते हैं।

अवधि:

- टूर्नामेंट 02 दिन का होगा
- बजट समान रहेगा चाहे दिवसों की संख्या तीन दिन से अधिक ही क्यों न हो

युवा मंडलों एवं प्रतिभागियों की संख्या

- ✓ प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम 150 खिलाड़ी होंगे।
- ✓ दोनों प्रकार के प्रतियोगिताओं में महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा।

कार्यान्वयन रणनीति:

ब्लॉक स्तर का विजेता उसी खेल में जिला स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेगा।

- अपेक्षित सुविधायें, खेल उपकरण, खेल सामग्री प्रतिभागी दलों के बीच आवंटित की जायेगी।
- पुरस्कार में केवल स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र के साथ दिये जायेंगे।

- परस्पर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता नॉक आउट के आधार पर युवा मंडल के समूह स्तर (ब्लॉक) और जिला स्तर पर आयोजित किये जायेंगे।
- प्रतिभागी अपने आने जाने का किराया स्वयं वहन करेंगे।
- विभिन्न खेल जो ब्लॉक विशेष में आयोजित किये जाने हैं के लिए रैंफरी, कोच, जज आदि को पहले ही चिन्हित किया जाये।
- उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा और अपेक्षित सुरक्षा इंतजाम स्थानीय पुलिस एवं युवा मंडल स्वयंसेवकों की सहायता से सुनिश्चित करें।
- संबंधित एनवाईवी स्वयंसेवक अपने क्षेत्र में समस्त युवा मंडलों के बीच प्रस्तावित युवा मंडल (ब्लॉक) और जिला स्तरीय परस्पर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की सूचना का प्रचार-प्रसार पहले से ही करेंगे और वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे।
- • नेयुकेस के लोगो के साथ, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री पर फिट इंडिया लोगो को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

बजट: उपयोगिता नमूना

शीर्ष	ब्लॉक स्तरीय	जिला स्तरीय
	राशि (रु में)	राशि (रु में)
खेल उपकरण, ट्रैक एवं फील्ड प्रबंधन और विजेताओं के लिए पुरस्कार (वास्तविक आवश्यकता के अनुसार)	10,000.00	15,000.00
आयोजन और आकस्मिक व्यय जिसमें चाय, नाश्ता, प्रतिभागियों, प्रतियोगिता के अधिकारियों के लिए अल्पाहार फोटोग्राफी, पी ए सिस्टम, प्रमाण पत्र आदि के लिए	8,000.00	15,000.00
कुल	18,000.00	30,000.00

नोट .. असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक ६ राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है

कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

युवाओं को अपनी कला और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने और सराहना करने तथा एक दूसरे के साथ भातृत्व जुड़ाव को समझने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को अपनी कला सांस्कृतिक प्रतिभा दर्शाने तथा उसका संरक्षण तथा प्रोत्साहन सुकर बनाने का अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण कलाकारों को अपने उत्पादकों का प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना और कौशल उन्नयन के लिए प्रोत्साहित करना।

रणनीतियां तथा गतिविधियां

- युवाओं की आंतरिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा पारम्परिक और ग्रामीण हस्त शिल्पों को लोकप्रिय बनाना।
- कला और सांस्कृतिक का भाग बनने के लिए युवा शिल्पियों को प्रोत्साहित करना।
- जिला स्तरीय कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला युवा समन्वयक द्वारा एक समिति गठित की जाएगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा :

पदनाम	स्थिति
जिला युवा समन्वयक	अध्यक्ष
02 एनवाईवी स्वयंसेवक	सदस्य
लेखा लिपिक सह टंकक	सदस्य सचिव

- समिति आवश्यकता के अनुसार एक बजट तैयार करेगी। बजट तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राशि का उपयोग भोजन-आवास, टीए/डीए, हॉल किराया, स्टाल संस्थापन, आयोजन संबंधी खर्चों इत्यादि के लिए किया जाएगा।

कार्यक्रम की संख्या : 01

कार्यक्रम की अवधि एवं स्तर : 01 दिन तथा जिला स्तर

प्रतिभागियों की संख्या: न्यूनतम 120 प्रतिभागी

- ✓ जिला स्तरीय कार्यक्रम में न्यूनतम 15 टीमों भाग लेंगी।
- ✓ युवा अतिथि कलाकारों द्वारा विशेष प्रदर्शन की भी व्यवस्था की जा सकती है।

समय सीमा : दिसंबर और जनवरी

प्रति कार्यक्रम बजट उपयोगिता नमूना Budget

शीर्ष	जिला स्तर
	राशि (रु में)
विजेताओं के लिए पुरस्कारों और संगीत उपकरणकिराया, स्टेज	10,000.00
प्रतिभागियों और न्यायाधीशों के लिए चाय और नाश्ता , फोटोग्राफी, पीए सिस्टम, प्रमाण पत्र, आदि के लिए जलपान सहित संगठनात्मक और आकस्मिक खर्च।	10,000.00
कुल	20,000.00

नोट: असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक / राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है।

सहयोगी एजेंसियां

- जिला प्रशासन, सांस्कृतिक केंद्र, जिला भाषा और सांस्कृतिक विभाग, जिला जनसंपर्क कार्यालय, क्षेत्र प्रचार कार्यालय, गैर सरकारी संगठन और अन्य

5. स्वच्छ गाँव – हरित गाँव Clean Village – Green Village

i.) स्वच्छ गाँव – हरित गाँव पर युवाओं को प्रशिक्षण

Objectives:

- ✓ लोगों को जागरूक करने और स्वच्छता, हरियाली और प्लास्टिक सामग्री के गैर-उपयोग की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए प्रेरित करना
- ✓ गाँवों को स्वच्छ, प्लास्टिक मुक्त और हरा-भरा बनाने के लिए चुनौतियों और बाधाओं को दूर करना
- ✓ युवाओं को अपने गांवों को संवारने के लिए शामिल करना
- ✓ आसपास के स्मारकों और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करना
- ✓ गाँवों को गंदगी और प्लास्टिक मुक्त और हरा-भरा बनाना

प्रशिक्षण के दौरान कवर करने के लिए विषयों की सुझावशील सूची

- खुले में शौच से संबंधित गांवों में चुनौतियाँ
- गाँव में स्वच्छता का महत्व
- गाँवों को प्लास्टिक मुक्त और कैसे बनाना है
- स्वच्छता
- अपशिष्ट जल की हैंडलिंग
- जलवायु परिवर्तन - अक्षय ऊर्जा का उपयोग, कैसे रोका जाए
- हरे नवाचारों के लिए सामाजिक और सामुदायिक क्रियाएं और
- औषधीय और स्थानीय प्रजातियाँ पौधारोपण

कार्यक्रम की अवधि	: एक दिन
स्तर	: ब्लॉक
प्रतिभागियों की संख्या	: न्यूनतम 50 (पुरुष और महिला)
समय सीमा	: अक्टूबर-नवम्बर

- जिला युवा समन्वयकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ “ स्वच्छ गाँव— हरित गाँव पर युवाओं को प्रशिक्षण ” का सफल आयोजन किया जा सके। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहाँ चर्चा, व्याख्यान, शिक्षण सहायता और उपकरणों के लिए जगह, बिजली के साथ बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- युवा मंडल, प्रशिक्षित पदाधिकारी और नामित एनवाईसी स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।
- जिला युवा समन्वयकों को उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों की पहचान करनी चाहिए तदनुसार, विकास विभागों और एजेंसियों के संबंधित प्रमुखों को उनके विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा जो व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम और सीमित चर्चा के तहत कवर किए जाने वाले चयनित विषयों और विषयों पर आईईसी सामग्री प्रदान कर सकते हैं।
- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें और कार्यक्रम के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करें।
- प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों को – “ स्वच्छ गाँव— हरित गाँव पर युवाओं को प्रशिक्षण ” की तारीखों, स्थानों और अन्य विवरणों को अच्छी तरह से सूचित करना होगा ताकि वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकें।
- शिक्षित युवा अपने सहकर्मी और ग्राम समुदायों को अपने संबंधित युवा मंडल गांवों में उनकी रुचि के कम से कम दो चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
- जिला नेहरु युवा केन्द्र कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अनुसूची, कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों, वक्ताओं, कार्यक्रमों के स्थल आदि को अंतिम रूप देगा।
- कार्यक्रमों में शामिल विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी।
- पूरी योजना पर विकास विभागों/एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी के साथ-साथ विकास विभागों के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी और परस्पर संवादात्मक प्रकृति का होगा।

बजट प्रति कार्यक्रम और उपयोग पैटर्न

शीर्ष	बजट (रु में)
प्रतिभागियों को चाय, नाश्ता / दोपहर का भोजन	8,000
संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय और प्रतिभागियों को संदर्भ सामग्री	2,000
प्रतिभागियों को स्टेशनरी (पेन, पैड, आदि)	4,000
संगठनात्मक और अन्य विविध खर्च (बैनर, फोटो, आदि)	1,000
कुल	15,000

नोट: असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक / राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है।

जिले में कार्यक्रमों की संख्या : जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	रु.15,000/- दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रु. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @ 50 प्रति कार्यक्रम
--------	--	----------------	---

जिला जिसमें 0–3 ब्लॉक हैं।	1	15,000	50
जिला जिसमें 4–5 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 6–10 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 11–15 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 16 से अधिक ब्लॉक हैं।	4	60,000	200

अनुमानित परिणाम

- स्वच्छ गाँव और हरित गाँव के मुद्दों पर 67,750 युवाओं को प्रशिक्षित करना
- स्वच्छ ग्राम और हरित ग्राम के मुद्दों पर अपने साथियों और अन्य लोगों को जागरूक करना

26. ii.) महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती का आयोजन (वर्ष भर)

पृष्ठ भूमि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के अपने पहले संबोधन के दौरान लोगों से अपने आस-पास को साफ और हरा रखने के लिए आग्रह किया था। स्वच्छता एवं सफाई महात्मा गांधी जी के दिल के करीब थी और उनके लिए ईश्वर के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का था। देशभर में स्वयं सेवा एवं स्वैच्छिकता की भावना के साथ देश को गंदगी से मुक्त कराने के लिए युवा नेतृत्व में आन्दोलन करना बापू की 150वीं जयंती पर एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 18.04.2016 में आयोजित बैठक के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे कि युवाओं को एकत्रित किया जाये और उन्हें स्वच्छता गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाये जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई और गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि युवाओं के बीच गांधीजी की नैतिकता, आदर्श और स्वैच्छिक कार्य की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

ताकि उन्हें वे अपने जीवन में अपना सकें। इसके अलावा, युवा भारत और हिंद स्वराज के लिए गांधी जी द्वारा अपनाये गए सिद्धांतों को युवाओं के बीच प्रचारित किया जा सकता है।

इसी प्रकार, गांधी जी और उनके महत्व से जुड़े स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और इन स्थानों पर गांधीजी के जीवन में होने वाली घटनाओं को फिर से जीवित किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता शिविर या अन्य बड़े आयोजन के दौरान, गांधी के जीवन और कार्य और गांधीवादी नैतिकता और संदेश, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आदि पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए।

उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- युवाओं के बीच महात्मा गांधी जी के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी प्रसारित करना।
- युवाओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना, मैनुअल स्कवैजिंग को समाप्त करना और ओडीएफ को प्रचारित करना।
- सर्व धर्म सम्भाव, सामाजिक सदभाव, सामुदायिक सेवा और इसके ऊपर अनेकता में एकता के प्रति अभिमुख करना।
- युवाओं को विघटनकारी ताकतों द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूक करना और देश की आम विरासत (सांझी विरासत) के लिए तैयार करना।
- समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए युवाओं को संवेदनशील बनाना।

कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाने के लिए युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) की बैठक में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन पर चर्चा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों को कार्यक्रमों और गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए हर संभव तरीके से शामिल किया जाना चाहिए।

गांधी जयंती समारोह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियाँ जैसे – प्रभात फेरी, सर्व धर्म प्रार्थना और बापू के भजन, परस्पर संवाद, प्रदर्शनी, पदयात्रा और रैलीयां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और गांधी जी पर लघु फिल्म और व्याख्यान, प्रतियोगितायें – निबंध, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, स्वच्छता और स्वच्छता अभियान में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान अधिकतम संख्या में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए।

कार्यक्रम को पुनः तैयार किया गया है और इसमें निम्नलिखित 2 घटक हैं:—

ए) स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान (स्वच्छता कार्य योजना)

लक्ष्य

- स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और स्वच्छता का माहौल बनाने के लिए।
- लोगों को स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना।
- सेवा भाव, निष्कम सेवा के साथ श्रमदान (स्वैच्छिक श्रम) की भावना पैदा करने के लिए।
- जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, छोटे बांधों (बोरी बांध) का निर्माण, तालाबों, जल जलाशयों, चेक बांधों और जल संचयन गतिविधियों को बनाए रखना।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) – 2020-21

युवा : सेवा भाव और निष्कम सेवा के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवीवाद और स्वैच्छिक कार्रवाई

	कार्यक्रम/योजनायें/गतिविधियां
पूरे वर्ष के दौरान युवा मंडलों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों द्वारा स्वच्छता गतिविधियां	
1	स्वच्छता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जागरूकता और स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वच्छता का राजदूत बनाना।
2	भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को 100 घंटे का श्रमदान (सप्ताह में 2 घंटे) अपने समय में से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।
3	मिशन पर आईईसी सामग्री का वितरण जिसमें भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अपील एवं लोगो शामिल हैं।
4	सार्वजनिक मूर्ति सफाई
5	स्कूलों/कॉलेजों की सफाई
6	अस्पतालों/पीएचसी की सफाई
7	जिला और मंडल कार्यालयों के कार्यालय परिसर, शौचालय और कचरा स्थानों की सफाई
8	सड़कों और आम जगहों को साफ करने के लिए स्वच्छता अभियान
9	जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण की सुरक्षा में सुविधा के लिए पॉलिथिन बैग और प्लास्टिक सामग्री का संग्रह
10	खरपतवार का उन्मूलन (गाजर घास, लांटाना, जल कुंभी), आदि
11	स्वच्छता और सफाई पर आईईसी सामग्री का वितरण
12	गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराना (ओडीएफ): लोगों को शौचालयों के निर्माण और वास्तविक उपयोग के लिए प्रेरित करना
13	श्मशान घाटों का रखरखाव और मरम्मत, खेल के मैदानों का रखरखाव

	कार्यक्रम / योजनायें / गतिविधियां
जल संरक्षण	
14	मौजूदा जल निकायों का रखरखाव / मरम्मत / सुधार
15	तलाबों, प्राकृतिक पेयजल संसाधन, छोटे सिंचाई चैनल, जल टैंक इत्यादि। की सफाई, खुदाई, रखरखाव, गाद निकालना और मरम्मत करना।
16	जल संचयन के लिए गतिविधियां
17	पौधा रोपण
18	महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन
ए	स्वच्छ भारत अभियान (25 सितंबर) के शुभारंभ की चौथी सालगिरह
बी	गांधी जयंती का आयोजन (2 अक्टूबर)
सी	वैश्विक हस्त प्रक्षालन (15 अक्टूबर)
डी	विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर)
	स्वच्छता एवं सफाई के बारे में व्यवहार परिवर्तन के लिए जन जागरूकता गतिविधियां
ए	रैलिया (साइकिल, मोटरसाइकिल, आदि)
बी	प्रभात फेरी
सी	सफाई, एवं स्वच्छता के लिए दौड़
डी	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
ई	चित्रकारी, पोस्टर बनाना
एफ	निबंध और नारा लेखन
जी	दीवार लेखन
एच	नुक्कड़ नाटक
आई	स्वच्छता एवं सफाई पर प्रतिष्ठित संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान
जे	संगोष्ठियाँ और चर्चा
के	वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता
एल	स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार अन्य कार्यक्रम

शामिल युवा मंडल की संख्या : जिला नेहरू युवा केन्द्र के सभी युवा मंडल

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 6,000 प्रति जिला

बजट : रुपये 30000 / – प्रति जिला रु। 30,000 / – प्रति जिला नेयुके

(प्रतिभागियों को जलपान, पुरस्कार और संगठनात्मक और विविध की ओर खर्च को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए)

अवधि : पूरे साल

स्वच्छता पखवाड़ा 01 से 15 अगस्त, 2020 तक आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश और कार्य योजना

पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 68 वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के अपने पहले संबोधन के दौरान लोगों से अपने आस-पास को साफ और हरा रखने के लिए आग्रह किया था। स्वच्छता एवं सफाई महात्मा गांधी जी दिल के करीब थी और उनके लिए ईश्वर के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का था। देशभर में स्वयं सेवा एवं स्वैच्छिकता की भावना के साथ देश को गंदगी से मुक्त कराने के लिए युवा नेतृत्व में आन्दोलन करना बापू की 150वीं जयंती पर एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकांश विभागों द्वारा आयोजित की गई हैं और स्वच्छता पखवाड़ा पर एक वास्तविक कार्यक्रम के रूप में उभरा है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सभी युवा संगठनों को स्वच्छता पखवाड़ा को 1 से 15 अगस्त, 2019 तक उचित तरीके से आयोजित करने हेतु आह्वान किया गया है। इस संदर्भ में, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक राष्ट्रव्यापी गहन सफाई एवं स्वच्छता अभियान जिला नेहरू युवा केंद्रों द्वारा एनवाई स्वयंसेवकों, संबद्ध युवा मंडलों, स्थानीय युवाओं और जिलों में अन्य प्रमुख पणधारियों को शामिल करके और उन्हें प्रेरित करके दिनांक 1 से 15 अगस्त, 2019 तक पूरी तरह से व्यवस्थित कर आयोजित किया जायेगा।

कम से कम दो महीने पहले, जिला नेहरू युवा केन्द्रों को पखवाड़े के दौरान अभिनवी पहल करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का उपयोग करके पखवाड़ा गतिविधियों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए कदम उठाने चाहिए।

स्वच्छता पखवाड़ा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

- जिला नेहरू युवा केंद्रों को प्रतीकवाद से परे जाना चाहिए।
- पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता अभियान के अलावा स्वच्छता की स्थिरता के लिए नए कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से स्थायी तंत्र स्थापित करें।
- स्वच्छता पखवाड़ा कार्य योजना को अपने पखवाड़ा के शुरू होने से दो महीने पहले राज्य कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
- पखवाड़ा योजनाओं में दिनांकानुसार विस्तृत गतिविधियां होनी चाहिए।
- पखवाड़ा गतिविधियों में सार्वजनिक प्रतिनिधि जैसे केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार मंत्री, विधायक इत्यादि को शामिल किया जाये।
- स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन को संपर्क किया जाना चाहिए।
- पखवाड़ा के दौरान अभिनव पहल की जानी चाहिए ताकि दैनिक रूप से सफलताएं की कहानियां सृजित हो सके।

सुझाई गई गतिविधियां

गतिविधियों को निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है।

ए. पर्यावरण निर्माण गतिविधियां

बी. स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियां

ए) पर्यावरण निर्माण गतिविधियां

1. **प्रेरणा** — युवा मंडलों के सदस्यों और युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

2. **स्वच्छ भारत अभियान का लोगो** – स्वच्छ भारत अभियान के लोगो सभी स्तरों पर अपनाया जाना चाहिए और लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

3. सफाई एवं स्वच्छता के **मुख्य मुद्दों को उजागर करने के लिए बैनर** प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

4. स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन के लिए **प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बैठकें** आयोजित की जानी चाहिए।

5. स्वच्छता शपथ (प्रतिज्ञा)

1 अगस्त, 2019 को नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सभी कार्यालय, अर्थात् राष्ट्रीय कार्यालय, राज्य कार्यालयों और जिला नेहरू युवा केन्द्रों के सभी कार्यालयों सभी अधिकारियों के साथ-साथ एनवाई स्वयंसेवकों को 'स्वच्छता शपथ' (प्रतिज्ञा) दिलाई जानी चाहिए। जिला नेहरू युवा केन्द्रों से संबद्ध युवा मंडलों को भी उनके गांवों में आयोजित सार्वजनिक कार्यों में स्वच्छता शपथ (प्रतिज्ञा) लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में इसकी एक प्रति संलग्न है।

6. इस अभियान पर सार्वजनिक रूप से ध्यान केंद्रित करने एवं सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता पर गतिविधियां

ए) इस अभियान पर सार्वजनिक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए और सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे रैलियां, प्रभात फेरी, स्वच्छता के लिए छोटी दौड़, सम्मेलन, संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान, नुक्कड़ नाटकों, पुस्तिकाओं का वितरण और अन्य आईईसी सामग्री, दीवार लेखन और अन्य सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।

बी) स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां

निम्नलिखित गतिविधियों को आयोजित किया जा सकता है। यह सुझाई गई गतिविधियां हैं। जिला नेहरू युवा केन्द्र और युवा मंडल अपनी स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अभिनव गतिविधियों को आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।

कार्यक्रम/योजनायें/गतिविधियां	
पखवाड़े के दौरान युवा मंडलों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 623 जिला नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा स्वच्छता गतिविधियां का आयोजन	
स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां	
1	स्वच्छता पर शपथ ग्रहण समारोह (1 अगस्त)
2	भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के संदेश/अपील को

	कार्यक्रम / योजनायें / गतिविधियां
	पढ़ना। (1 अगस्त)
3	गोष्ठी, सेमिनार और चर्चा (1 अगस्त)
4	अपने गांव की सफाई (2 अगस्त एवं 3 अगस्त)
5	स्वच्छता पर गांव में घर-घर जाकर प्रचार करने का अभियान (ओडीएफ, सामान्य स्वच्छता एवं सफाई (4 अगस्त –6 अगस्त)
6	जिले में संबंधित विभागों से एकत्रित साहित्य का वितरण (4 अगस्त से 6 अगस्त)
7	गांव की सफाई जिसमें स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, सार्वजनिक मूर्तियां शामिल हैं और जागरूकता गतिविधियां आयोजित करना (7 अगस्त से 11 अगस्त)
8	पड़ोसी गांवों में सार्वजनिक संस्थानों, स्वास्थ्य उप केंद्रों, पीएचसी की सफाई और जागरूकता गतिविधियां आयोजित करना। कुछ युवा मंडल एक साथ आ सकते हैं और संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं (12 अगस्त –15 अगस्त)
9	गांव में रैली (15 अगस्त)
10	जागरूकता गतिविधियां
ए	रैलियों (साइकिल, मोटरसाइकिल, आदि)
बी	प्रभात फेरी
सी	सफाई, एवं स्वच्छता के लिए दौड़
डी	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
ई	चित्रकारी, पोस्टर बनाना
एफ	निबंध और नारा लेखन
जी	दीवार लेखन
एच	नुक्कड़ नाटक
आई	स्वच्छता एवं सफाई पर प्रतिष्ठित संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान
जे	संगोष्ठियां और चर्चा
के	वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता
एल	स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार अन्य कार्यक्रम

शामिल युवा मंडलों की संख्या : नेयुकेस के सभी युवा मंडल

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 4000 प्रति जिला

बजट : रुपये 25,000 / – प्रति जिला

जिला नेहरु युवा केन्द्र का पालन करने के लिए बिन्दु –

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों, युवा मंडलों, युवाओं और हितधारकों के परामर्श से सभी जिला नेहरु युवा केन्द्रों को अपनी रुचि की गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्र को चिह्नित करना चाहिए, जो उपर्युक्त सुझाई गई गतिविधियों से लिए जाएंगे।
- उन्हें अपनी पसंद की स्वच्छता गतिविधियों की पहचान करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की जा सकती है जो उल्लिखित गतिविधियों के अलावा अन्य हो सकती हैं। तदनुसार, संबंधित युवा मंडलों और युवाओं द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों का तिथिवार आवंटन सूची तैयार की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि जिला नेहरु युवा केन्द्र और युवा मंडल प्रत्येक गतिविधि के पहले और बाद में कम से कम 04 तस्वीरें लेंगे।
- सभी गतिविधियां युवा मंडलों के स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से जायेगी और ये पूरे दिन की गतिविधियां नहीं होंगी।
- फिर भी, अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा कि इसे जन आंदोलन बनाया जा सके।

मीडिया और प्रचार

राज्य निदेशकों/जिला युवा समन्वयक कार्यक्रमों के व्यापक कवरेज के लिए दूरदर्शन, एआईआर और अग्रणी टीवी चैनलों को पत्र लिखना चाहिए।

- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्लेटफार्मों में पखवाड़ा गतिविधियों की बेहतर ब्रांडिंग और प्रचार सुनिश्चित करें। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि जैसे सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आवश्यकता है।
- स्वच्छता पखवाड़ा के प्रमुख परिणामों को उजागर करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए।
- गतिविधियों और पहलों को उजागर करने के लिए अपने पखवाड़ा की समाप्ति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाना चाहिए।
- इस संबंध में रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र, डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल नेटवर्क साइट्स और मोबाइल इत्यादि जैसे बड़े पैमाने पर मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

प्रगति रिपोर्ट

स्वच्छता पखवाड़ा के समापन पर, राज्य निदेशकों द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय को नवीनतम दिनांक 18 अगस्त, 2018 तक निम्नलिखित जमा करना होगा। जिससे कि इसे युवा मामले विभाग को आगे प्रस्तुत किया जा सके।

• अंतिम रिपोर्ट:

- ✓ अंतिम संचयी गतिविधियां निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट।
- ✓ पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट।
- ✓ संबंधित कार्रवाई तस्वीरें, समाचार पत्र कतरनों और ऑडियो-विजुअल क्लिप।
- ✓ पखवाड़ा के दौरान क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा जारी विशेष दस्तावेज जारी हो सकता है।

बजट रु 30,000/- प्रति जिला नेयुके (प्रतिभागियों को जलपान, पुरस्कार और संगठनात्मक और विविध की ओर खर्च को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए)

SWACHHATA PLEDGE

Mahatma Gandhi dreamt of an India which was not only free but also clean and developed.

Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India.

Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean.

I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this.

I will devote 100 hours per year that is two hours per week to voluntary work for cleanliness.

I will neither litter nor let others litter.

I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village and my work place.

I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering nor do they allow it to happen.

With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission in villages and towns.

I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today.

I will endeavour to make them devote their 100 hours for cleanliness.

I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean.

स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और उसके लिए समय दूँगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा।

मैं न गंदगी करूँगा न किसी और को करने दूँगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगा।

मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊँगा।

वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूँगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

Water is an important issue across the globe. **The importance of water as a vital resource to the life system and an essential component of societal development cannot be overemphasized.** Recognizing the importance of water resource development many ancient civilizations emphasized on various mechanisms of water appropriation, collection and distribution. In earlier times, the state took care of the water supply side by developing and maintaining several ingenious and indigenous ways of **storing rain and floodwaters**. The maintenance of water quality and the means of regenerating the natural resource are crucial factors for sustainability, especially in the dry areas.

6. जल जागरण अभियान पर युवाओं को प्रशिक्षण

दुनिया भर में पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जीवन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण संसाधन और सामाजिक विकास के एक आवश्यक घटक के रूप में पानी का महत्व अधिक नहीं हो सकता है। जल संसाधन विकास के महत्व को समझते हुए कई प्राचीन सभ्यताओं ने जल विनियोग, संग्रह और वितरण के विभिन्न तंत्रों पर जोर दिया। पहले के समय में, राज्य ने बारिश और बाढ़ के पानी के भंडारण के कई सरल और स्वदेशी तरीकों को विकसित करने और बनाए रखने के द्वारा जल आपूर्ति पक्ष का ध्यान रखा। पानी की गुणवत्ता का रखरखाव और प्राकृतिक संसाधन को पुनर्जीवित करने के साधन स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, खासकर शुष्क क्षेत्रों में।

पानी जीवन-निर्वाह का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जिसे बनाया नहीं जा सकता है। भारत में दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन केवल 4% स्वच्छ जल संसाधन हैं। पानी की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भारी कमी आई है। यद्यपि असमान रूप से अस्थायी और स्थानिक रूप से फैलता है, भारत में अधिकांश क्षेत्रों को कवर करने के लिए पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। हालाँकि, वर्तमान में भारत इस पानी का लगभग 8% भंडारित करता है। बढ़ती आबादी और मांग के साथ, यह साल दर साल जल संकट की ओर अग्रसर है। तेजी से घटते जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन का भी सामरिक महत्व है। प्रधान मंत्री द्वारा कई मंचों हैं और कई बार नागरिकों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पानी के संरक्षण के लिए मिल कर काम करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम की अवधि	:	एक दिन
स्तर	:	ब्लॉक
प्रतिभागियों की संख्या	:	न्यूनतम 50 (पुरुष और महिला)
समय सीमा	:	अक्टूबर-नवम्बर

उद्देश्य

- नेयुकेस के युवा मंडलों के युवा नेताओं और स्वयंसेवकों को और जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पानी की बर्बादी को कम करने और पुनः उपयोग के कई मुद्दों पर जागरूक और शिक्षित करना

- युवाओं को शिक्षित करना कि कैसे छतों से वर्षा का पानी या गांवों में इसी तरह की कठोर सतहों से किस प्रकार एकत्रित किया जाये
- लोगों को वर्षा जल “संरक्षण” के लिए शिक्षित करने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने और उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करने के लिए युवाओं को सशक्त बनाना और टैगलाइन “बारिश को पकड़ो, जहां यह गिरती है, जब यह गिरती है” को लोकप्रिय बनाना
- सिंचाई के लिए नई तकनीकों के बारे में युवाओं को जागरूक करना और स्थानीय स्तर पर बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

प्रशिक्षण में शामिल करने के लिए सुझाव के तौर पर विषय

- ✓ जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल की बर्बादी को कम करना और जल का पुनः उपयोग सुनिश्चित करना
- ✓ गांवों में छतों या इसी तरह की कठोर सतहों से वर्षा के पानी को एकत्रित करने के तरीके
- ✓ सिंचाई के लिए नई तकनीक
- ✓ स्थानीय स्तर पर बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ।
- ✓ जल समस्याओं का समाधान
- ✓ वाटर-एक्स्ट्रैक्टिंग मेथड्स एंड लो-टेक वाटर टेक्नोलॉजी
- ✓ गांवों में स्वच्छ जल लाने के प्रयास
- ✓ जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार जो उपयोग को कम करते हैं या पानी के लाभकारी उपयोग को बढ़ाते हैं।
- ✓ बेहतर क्षेत्रों में बाढ़ के खतरों को कम करें

कार्यान्वयन रणनीति

- जिला युवा समन्वयकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ “ जल जागरण अभियान पर पर युवाओं को प्रशिक्षण ” का सफल आयोजन किया जा सके। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहां चर्चा, व्याख्यान, शिक्षण सहायता और उपकरणों के लिए जगह, बिजली के साथ बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- युवा मंडल, प्रशिक्षित पदाधिकारी और नामित एनवाईसी स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

- जिला युवा समन्वयकों को उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों की पहचान करनी चाहिए तदनुसार, विकास विभागों और एजेंसियों के संबंधित प्रमुखों को उनके विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा जो व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम और सीमित चर्चा के तहत कवर किए जाने वाले चयनित विषयों और विषयों पर आईईसी सामग्री प्रदान कर सकते हैं।
- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें और कार्यक्रम के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करें।
- प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों को – “ जल जागरण अभियान पर युवाओं को प्रशिक्षण ” की तारीखों, स्थानों और अन्य विवरणों को अच्छी तरह से सूचित करना होगा ताकि वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकें।
- शिक्षित युवा अपने सहकर्मी और ग्राम समुदायों को अपने संबंधित युवा मंडल गांवों में उनकी रुचि के कम से कम दो चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
- जिला नेहरु युवा केन्द्र कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अनुसूची, कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों, वक्ताओं, कार्यक्रमों के स्थल आदि को अंतिम रूप देगा।
- कार्यक्रमों में शामिल विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी।
- पूरी योजना पर विकास विभागों/एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी के साथ-साथ विकास विभागों के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी और परस्पर संवादात्मक प्रकृति का होगा।

बजट प्रति कार्यक्रम और उपयोग पैटर्न

शीर्ष	बजट (रु में)
प्रतिभागियों को चाय, नाश्ता / दोपहर का भोजन	8,000
संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय और प्रतिभागियों को संदर्भ सामग्री	2,000
प्रतिभागियों को स्टेशनरी (पेन, पैड, आदि)	4,000
संगठनात्मक और अन्य विविध खर्च (बैनर, फोटो, आदि)	1,000
कुल	15,000

नोट: असाधारण उचित कारणों के तहत आवश्यक होने पर अंतर शीर्ष समायोजन और कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित उप निदेशक / राज्य निदेशक के अनुमोदन के साथ बनाया जा सकता है।

जिले में कार्यक्रमों की संख्या : जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	रु.15,000/- दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रु. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @ 50 प्रति कार्यक्रम
जिला जिसमें 0-3 ब्लॉक हैं।	1	15,000	50
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 11-15	2	30,000	100

ब्लॉक हैं।			
जिला जिसमें 16 से अधिक ब्लॉक हैं।	4	60,000	200

अनुमानित परिणाम

- 67,750 युवाओं को जल संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षित करना
- जल संरक्षण के मुद्दों पर अपने साथियों और अन्य लोगों को जागरूक करना

6. युवा मण्डल विकास अभियान - कार्य योजना का गठन

उद्देश्य

- नयुकेस के युवा मंडलों के नेटवर्क का विस्तार करना और भारत में युवा मंडलों की सदस्यता बढ़ाना
- नए मंडलों का गठन करना और ऐसे युवा मंडलों में सदस्यों का नामांकन करना
- निष्क्रिय युवा मंडलों और उनके सदस्यों को सक्रिय करना
- समाज के सभी वर्गों के युवाओं के प्रतिनिधित्व के साथ सभी युवा मंडलों की सदस्यता बढ़ाना
- युवा मंडलों और सदस्यों के मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करना
- नेयुकेस वेबसाइट पर युवा मंडलों के प्रामाणिक और सत्यापित डेटा अपलोड करना
- नेयुकेस वार्षिक कार्य योजना फोकस क्षेत्रों, कोर कार्यक्रमों और सरकार के अन्य प्राथमिकता कार्यक्रमों पर युवाओं का अभिमुखीकरण।
- फोकस क्षेत्रों पर अपने वार्षिक कार्य योजना, समन्वय, संसाधन जुटाना, निर्धारित प्रारूपों में समन्वय स्थापित करने के लिए सभी नेयुके से संबद्ध युवा मंडलों को शिक्षित, मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करना।

अभियान की अवधि : 5 दिन

कार्यक्रमों की संख्या : निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	रु.15,000/— दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रु. में)	शामिल किए जाने वाले युवा मंडलों की संख्या न्यूनतम @ 50 प्रति कार्यक्रम
--------	--	----------------	--

जिला जिसमें 0-3 ब्लॉक हैं।	2	30,000	100
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	3	45,000	150
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	4	60,000	200
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	5	75,000	250
जिला जिसमें 16 से अधिक ब्लॉक हैं।	7	1,05,000	350

प्रति कार्यक्रम व्यक्तियों / सदस्यों की संख्या: 10 सदस्य (एनवाईवी स्वयंसेवक, सक्रिय युवा मण्डल नेता, सदस्य, पूर्व एनवाईवी और एनएसवी)

कार्यान्वयन रणनीति

वाई सी डी अभियान संचालित करने से पहले प्रचारकों और एनवाईवी का अभिमुखीकरण

- वाईसीडी अभियान और युवा मण्डल कार्य योजना तैयार करने से पहले प्रचारकों और एनवाईवी का अभिमुखीकरण
- दस सदस्यों को 5 टीमों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य शामिल होंगे।
- प्रत्येक टीम प्रति दिन कम से कम दो गाँवों को कवर करेगी, जिसमें नेयुके के युवा मंडल और वे गाँव होंगे जहाँ वे नए युवा मंडल बनाने और निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करने का इरादा रखते हैं। एक या एक से अधिक ब्लॉक में 50 गाँवों को 5 दिनों में पांच टीमों द्वारा कवर किया जाएगा।
- उन्हें गाँवों में युवा नेताओं, ग्राम पंचायत प्रधानों और सदस्यों और अन्य विचारक नेताओं के साथ मिलना और बातचीत करना चाहिए। वे नेयुकेसं और इसके कार्यक्रमों और गतिविधियों, उनके विकास के अवसरों के बारे में भी जानकारी का प्रसार करेंगे जिन्हें जिला नेयुके अन्य विभागों और एजेंसियों के समन्वय से प्राप्त करेगा।
 - अभियान के दौरान, युवा मंडलों के समूहों और व्यक्तिगत बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।

- बैठकों का उद्देश्य विशेष रूप से फोकस क्षेत्रों पर अपने वार्षिक कार्य योजना के निर्माण में युवा मंडलों की मदद करना है।

भाग-1 युवा मंडलों का गठन, और निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करना, सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, प्रोफाइल अद्यतन करना और युवा मंडलों के डाटा को ने.यु.के.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करना।

- नए युवा मंडल उन गांवों में बनाए जाएंगे जहां युवा मंडल मौजूद नहीं है अथवा काफी पहले बनाए गए थे परंतु अब क्रियाशील नहीं हैं। इसी प्रकार विद्यमान निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय बनाया जाएगा।
- उपरोक्त के अलावा युवा नेता एनवाईवी की वर्तमान स्थिति की जांच भी करने में युवा मंडलों की सहायता करेंगे और युवा मंडलों प्रोफाइल, सदस्यता विवरण को निर्धारित संशोधित प्रारूप अनुलग्नक -6 में विवरण भी अद्यतन करेंगे।
- तदुपरांत, प्रत्येक जिला ने.यु.के. प्रत्येक कार्यक्रम पूरा होने के बाद युवा मंडलों की प्रोफाइल ने.यु.के.सं वेबसाइट www.nyks.nic.in पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन करेगा। यह ने.यु.के.सं वेबसाइट पर स्वतः प्रदर्शित होगा।
- युवा मंडल बनाने के लिए आगे आने वाले युवा समूहों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध हैं। आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के. संबद्धता क्रमांक ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। ने.यु.के. द्वारा नवगठित युवा मंडलों को संबद्धता क्रमांक **अभियान** के अंतिम दिन प्रदान किया जाएगा।
- देश भर में 1.00 करोड़ युवा मंडलों के सदस्यों के साथ 3 लाख सक्रिय युवा मंडलों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय युवा मंडलों और उनके सदस्यों को सक्रिय किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग सहित समाज के सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ अधिकाधिक संख्या में नए सदस्य बनाए जाएंगे। युवा मंडलों में महिलाओं को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

Part-2 Sharing and discussion on NYKS Annual Action Plan 2020-2, Focus Areas and Development of Village Youth Clubs Annual Action Plans

- ✓ During the Campaign the Youth Clubs should be oriented about NYKS Annual Action Plan and Six Focus Areas
- ✓ Need and importance of focus areas in the development of the villages
- ✓ Role of Youth Clubs and Youth Volunteers in implementing activities

भाग -2 नेयुकेस वार्षिक कार्य योजना 2020-21 पर ध्यान केंद्रित करना और ग्रामीण युवा मंडल वार्षिक कार्य योजना के फोकस क्षेत्र और विकास

- ✓ अभियान के दौरान युवा मंडलों को नेयुकेस की वार्षिक कार्य योजना और 6 फोकस क्षेत्रों के प्रति अभिमुख करना चाहिए
- ✓ गांवों के विकास में फोकस क्षेत्रों की आवश्यकता और महत्व
- ✓ गतिविधियों को लागू करने में युवा मंडलों और युवा स्वयंसेवकों की भूमिका
- ✓ युवा मंडलों का मार्गदर्शन करें कि वे फोकस क्षेत्रों पर अपनी कार्य योजना कैसे तैयार करें
- ✓ नेयुकेस दिशानिर्देशों में दिए गए छह फोकस क्षेत्रों का विवरण और ग्राम कार्य योजना की तैयारी के लिए उनके प्रारूप युवा मंडलों के साथ साझा करें
- ✓ नियत समय में कार्य योजना तैयार करने में युवा मंडलों की मदद करने के लिए टीम के सदस्यों को युवा मंडलों के साथ अपने संपर्क विवरणों को साझा करना चाहिए

भाग -3 युवा मंडल प्रतिनिधियों की बैठक

- ✓ अभियान के तहत कवर किए गए गांवों के युवा मंडलों के सभी अध्यक्षों / सचिवों की एक बैठक अभियान के 6 वें दिन आयोजित की जानी चाहिए।
- ✓ बैठक के लिए आमंत्रण को कम से कम 10 दिन पहले ब्लॉक के प्रभारी एनवाईवी के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
- ✓ अभियान ब्लॉक और आसपास के ब्लॉक के एन वाई वी को भी अभियान में भाग लेना चाहिए।
- ✓ अधिक जानकारी और सहयोग के लिए, जिले की विभिन्न एजेंसियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- ✓ बैठक के दौरान संबंधित युवा मंडल, 06 फोकस क्षेत्रों पर वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे और एकत्र करेंगे

बजट प्रति कार्यक्रम और उपयोग पैटर्न

विवरण	दर (रु में)	बजट (रु में)
दल के सदस्यों को डी ए और यात्रा व्यय सहित मानदेय	250/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति (250x10x5)	12,500
पेपर, फोटोकोपी आदि	--	500
बैठक एवं अन्य व्यय	--	2,000
कुल		15,000

6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन

उद्देश्य

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस विशेष के उद्देश्य, विषय तथा महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।

प्रत्येक जिला कार्यालय न्यूनतम 25 महत्वपूर्ण कार्यालयों का आयोजन करेगा

क्र.सं.	राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन
1	विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल)
2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल)
3	पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल)
4	विनायक दामोदर सावरकर जन्म दिवस (28 मई)
5	विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)
6	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून)
7	श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म दिवस (6 जुलाई)
8	विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई)

9	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
10	सद्भावना दिवस (20 अगस्त)
11	राष्ट्रीय क्रीडा दिवस (29 अगस्त)
12	हिन्दी दिवस (14 सितम्बर)
13	विकास दिवस (17 सितम्बर)
14	पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस (25 सितम्बर)
15	वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (1 अक्टूबर)
16	गांधी जयंती (विश्व अहिंसा एवं स्वच्छता दिवस) (2 अक्टूबर)
17	सतर्कता दिवस (26 अक्टूबर)
18	राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म दिवस (31 अक्टूबर)
19	नेहरू युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस (14 नवम्बर)
20	कौमी एकता दिवस (19 नवम्बर)
21	राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) एवं सप्ताह (13 से 19 जनवरी)
22	नेताजी का जन्म दिवस (23 जनवरी)
23	संविधान दिवस – 26 जनवरी
24	महात्मा गांधी बलिदान दिवस (30 जनवरी)
25	शहीदी दिवस (23 मार्च)

अवधि ; एक दिन प्रत्येक

प्रतिभागी प्रति कार्यक्रम : न्यूनतम 100 (प्रत्येक गतिविधि में युवा, भिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेताओं, विकास विभागों के प्रमुखों तथा समाज के गणमान्य नागरिकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए)।

कार्यक्रम का नाम	स्तर	बजट (रु. में)
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन। इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का आयोजन भी शामिल है।	ब्लॉक, जिला	55,000
राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह		25,000
कुल		80,000

कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में दिनांक 18.04.2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त युवाओं को युवा के महत्व को उजागर करने की गतिविधियों से संबंधित राष्ट्रीय कारणों और इसके साथ-साथ आत्म सम्मान की भावना को एकत्रित किया जाये और विशाल राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल किया जाये जिससे कि वे इस यादगार समय का अभिन्न हिस्सा बन सके इस उद्देश्य के लिए एक छोटी सी टीम का गठन किया गया है।

इसलिए, केन्द्रित गतिविधि का समाज के सभी वर्गों के युवाओं की सहभागिता का आयोजन किया जाये और जोकि इसमें भविष्य में प्रत्येक स्तर पर होने वाली गतिविधि में भाग ले सकें और अपना योगदान दे सकें और इस संदेश का प्रचार-प्रसार कर सकें। इस दिन पर आयोजित कार्यक्रमों को समस्त मीडिया और प्रेस के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए।

12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस)

- रक्तदान शिविर के आयोजन की सुविधा एवं सहभागिता
- स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षाओं और दर्शन पर चर्चा/सम्भाषण
- राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन, एकता, समग्र विकास और व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में युवाओं की भूमिका पर वाद विवाद

- स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षाओं और दर्शन पर युवाओं के बीच भाषण प्रतियोगिता
- युवा समाज के लिए क्या कर सकते हैं और समाज से उनकी क्या अपेक्षा है विषय पर बैठक/सम्मेलन (भूमिका एवं उत्तरदायित्व)
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका

13 जनवरी (सांस्कृतिक दिवस)

- राष्ट्रीय और समाज से संबंधित विषय पर युवाओं पर समूह गान
- हमारे स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा किये गए बलिदान विषय पर युवाओं की सहभागिता से स्थानीय लोकगीत, कटपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा आदि का आयोजन।
- गाँव की विभिन्न कलाओं और हस्तकला आदि पर कार्यक्रम

14 जनवरी (प्रतिभागिता दिवस)

- युवाओं के बीच "युवा और पंचायती राज" "स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका" "राष्ट्र विकास में युवाओं की भूमिका" "आपदा प्रबंधन, सुखा और बाढ़ में युवाओं की भूमिका" "भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में युवा" "सामाजिक बुराईयों, दहेज, बाल मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, नशे के दुष्परिणाम, एड्स जुआ और छूआछूत को दूर करने, में युवाओं की भूमिका" "राष्ट्रीय एकता के लिए युवा" साम्प्रदायिक एकता के लिए युवा जैसे विषयों पर निबंध, वाद विवाद, चित्रकला प्रतियोगिता।
- महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर युवाओं द्वारा एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन।

15 जनवरी (सामाजिक सेवा दिवस)

- युवा मण्डल सदस्यों/स्वयंसेवकों की सहभागिता से गांवों से संबंधित विशेष कार्यक्रम जैसे पर्यावरण संरक्षण और सुझाव सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा को छोड़ने पर जांच, प्राथमिक शिक्षा छोड़कर जाने वालों का नामांकन, बाल मजदूरी पर चेक महिलाओं पर अत्याचार, बालिका शिशु की देखभाल आदि पर जांच।
- सफाई अभियान जैसे गांवों के साझा क्षेत्र की सफाई : "गांवों में सफाई रखने के लिए अभियान"
- गांवों में जंगली घास उन्मूलन पर कार्य शिविर जैसे (गाजर घास, लान्टाना, जल कुम्भी) आदि
- युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर
- सड़कों की मरम्मत, गड्ढों का भराव, तलाबों से गाद निकालना आदि कार्य परियोजना में युवाओं की सहभागिता

16 जनवरी (शारीरिक फिटनेस दिवस)

- खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
- साहसिक प्रोत्साहन से संबंधित कार्यक्रम
- परम्परागत और ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन

17 जनवरी (शान्ति दिवस के लिए युवा)

- सद्भावना यात्रा और रैली
- देश में शान्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रभात फेरी, वाद-विवाद, भाषण एवं सम्मेलन
- इस दिवस पर नाटक और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन
- धर्म निरपेक्षता, शान्ति और राष्ट्रीय एकता के सन्देश का प्रचार करने के लिए युवाओं द्वारा मानव कड़ी का गठन

18 जनवरी (कौशल विकास दिवस)

- व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से युवाओं द्वारा तैयार किये गये सामान की प्रदर्शनी
- प्रदर्शन के प्रावधान के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी
- युवाओं को वेतन एवं स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपलब्ध योजनाओं एवं अवसरों के बारे में जागरूक करना

19 जनवरी (जागरूकता दिवस)

- युवाओं से सम्बन्धित विषयों विशेषकर नशे से बचाव, एच आई वी/एड्स, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन और सामाजिक विकास के उद्देश्यों से संबंधित विषयों पर क्षेत्र प्रचार इकाईयों की सलाह से फिल्म शो।
- सरकार द्वारा आधुनिक कृषि अभ्यास, कौशल विकास, आर टी आई, मनरेगा सरकार के अन्य कार्यक्रम आदि पर आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम की सूचना का प्रचार करना।
- राज्य/जिले के किसी विशेष व्यक्ति द्वारा युवाओं को सम्बोधन
- युवा दिवस का समापन, एवं पुरस्कार वितरण आदि

7. जिला युवा सम्मेलन

इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के उन मुद्दों को सामने लाना तथा जोर शोर से उठाना है जिनको संयुक्त रूप से स्वयंसेवा की भावना के साथ समयबद्ध ढंग से हल किए जाने की जरूरत है। इस प्लेटफार्म का उपयोग ने.यु.के.सं तथा अन्य विभागों की विद्यमान तथा नए प्रारंभ

किए गए कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में सूचना प्रसार तथा उन्मुखीकरण और विकास प्रक्रिया में युवाओं की प्रभावोत्पादक भागीदारी के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए भी किया जाएगा।

उद्देश्य

- युवा नेताओं को अपनी बात कहने, अनुभव साझा करने तथा युवा सशक्तीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां सुझाने के लिए अवसर और मंच प्रदान करना

रणनीतियां तथा गतिविधियां

- युवाओं को अभिमुख करें, अनुभव साझा करें और सामाजिक और राष्ट्रीय चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करें।
- सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से युवाओं के बीच अर्जित ज्ञान का प्रसार करने के लिए युवाओं को तैयार करें।
- 300 युवाओं की एक न्यूनतम की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
- निम्नलिखित क्षेत्रों और विषयों पर भी जिला युवा सम्मेलन के भाग के रूप में चर्चा की जानी चाहिए और उनके परिणाम को प्रलेखित किया जाना चाहिए।

1. योग – सद्भाव और शांति के लिए योग और शारीरिक और आगे के लिए योग

☐ योग न केवल एक व्यक्ति के शरीर विकसित करता है बल्कि दिमाग को भी विकसित करता है और इसके साथ-साथ यह समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण है।

☐ योग और इसके महत्व और बीमारियों के इलाज में उपयोगिता पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा

2. माननीय प्रधानमंत्री की वित्तीय और सामाजिक समावेशन योजनाएं – जन धन योजना, बेटा बचाओ – बेटा पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अन्य योजनाओं।

3. स्टार्ट अप इंडिया – स्किल इंडिया

I. युवा मान चित्रण , कौशल और हैंडहोल्डिंग – आत्मनिर्भर भारत

II. कोविड-19: गतिविधियां, अभियान और हस्तक्षेप

- III. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी टीमें स्थापित करने में युवाओं की भूमिका
- IV. युवा नेतृत्व में फिट इंडिया अभियान, युवा कल्याण और सकारात्मक जीवन शैली
- V. स्वच्छ ग्राम – हरित ग्राम अभियान के लिए युवा मंडलों की पहल
- VI. जल जागरण अभियान में युवा सहभागिता एवं नेतृत्व
- VII. नई सरकार की कौन-सी योजनायें और कार्यक्रम युवाओं तक पहुँच गई क्या वे युवा के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं?
- VIII. स्वच्छ भारत अभियान
- IX. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- X. योग के लाभ के बीच रुचि विकसित करने पर सुझाव।
- XI. कौशल विकास – युवाओं की राय है कि कौन-सा कौशल महत्वपूर्ण है और किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण वे लेना चाहते हैं।

- अन्य कोई विषय जिस पर युवा बात करना चाहते हों।
- उपर्युक्त विषयों में से प्रत्येक में, युवाओं के सुझावों के आधार पर इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि उपर्युक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक में युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं?

सम्मेलन की अवधि : 01 दिन

प्रतिभागियों की संख्या : जिले के सभी भागों से युवा मंडलों से
न्यूनतम 100 (पुरुष तथा महिला)

कार्यक्रमों की संख्या : एक

समय सीमा : तीसरी तिमाही

बजट : रुपये 30000 / – प्रति जिला रु। 30,000 / – प्रति जिला नेयुके
(प्रतिभागियों को जलपान, पुरस्कार और संगठनात्मक और विविध की ओर खर्च को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए)

जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा मंडलों को पुरस्कार (एओवाईसी)

परिचय

उत्कृष्ट युवा मंडल को पुरस्कारों की योजना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी और नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। युवा मंडल बुनियादी तौर पर युवाओं का एक संघ होते हैं जो क्षेत्र में स्वैच्छा से साक्षरता, पर्यावरण समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, दहेज, अस्पृश्यता उन्मूलन, वनीकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे होते हैं।

इसके अतिरिक्त, युवा मंडल स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सामाजिक अभियान, जागरूकता अभियान चलाते हैं। वे समुदाय विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में भी भिन्न स्तरों पर विभिन्न विकास विभागों तथा अभिकरणों के साथ समन्वय में अग्रणी रहते हैं। युवा मंडल ने ग्रामों में सहयोगपूर्ण तथा स्वैच्छिक ढंग से **परिसम्पत्तियों** के सृजन तथा सांगठनिक कौशल निर्माण में ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान की है।

उद्देश्य

“योजना का मूल उद्देश्य” युवा मंडलों के विकास को प्रोत्साहन देना है, जो सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक माने जाते हैं। यह महसूस किया गया है कि युवा मंडल राष्ट्र के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसेकि साक्षरता, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक समरसता, खेल, गांवों में टिकाऊ समुदाय **परिसम्पत्तियों** का सृजन इत्यादि।

योजना में युवा मंडलों का विकास तथा उनकी विकासात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडलों को समुदाय कल्याण तथा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के प्रारंभ से सरकार को आशा है कि न केवल मौजूदा युवा मंडल एक अधिक सार्थक भूमिका निभाएंगे अपितु भविष्य में युवा मंडलों की संख्या में वृद्धि भी होगी।

यह योजना तीन स्तरों पर चलाई जाती है जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर हैं। प्रारंभिक चयन जिला स्तर पर किया जाता है तथा राज्य स्तर से होते हुए अंत में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। जिला स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वाले विजेता स्वतः राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हो जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वाले विजेता स्वतः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हो जाते हैं।

पुरस्कार

जिला स्तर पर विजेता को **रु. 25,000** तथा राज्य स्तर पर **रु. 75,000** और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः **रु. 3,00,000**, **रु. 1,00,000** तथा **रु. 50,000** के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र/प्रमाणपत्र दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए असाधारण युवा मंडलों को पुरस्कारों की योजना की एक प्रति **परिशिष्ट-11** पर दी गई है।

नोट :

- जिन युवा मण्डल/महिला मंडल को विगत दो वर्षों में उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- केवल वही युवा मंडल एओवाईसी योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जो पंजीकृत हैं और जिला नेहरू युवा केन्द्र के साथ संबद्ध हैं।
- आवेदक युवा मंडलों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
- जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडल **जिला और राज्य स्तरों** पर उत्कृष्ट युवा मंडलों को चुनने और पुरस्कार देने के लिए समय **सीमा** का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन केवल **नामित चयन समितियों** द्वारा किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर “देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण” पर भाषण प्रतियोगिता (वर्ष 2020-21)

(गणतंत्र दिवस उत्सव 2020-21 के एक भाग के रूप में)

विषय – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास (सबका हम साथ मिलकर समृद्ध होते हैं, हम एक साथ मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण करते हैं)।

गणतंत्र दिवस के समारोह में युवाओं की जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (नेयुकेस) 2015-16 से लगातार राष्ट्रीय स्तरीय भाषण का प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2020-21 से, वार्षिक कार्य योजना के तहत कोर कार्यक्रम की सूची में भाषण प्रतियोगिता को जोड़ा गया है।

भाषण प्रतियोगिता 18-29 वर्ष के युवाओं को एक ओर अपनी प्रस्तुति कौशल और जनता के सम्मुख बोलने की कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ भारत में युवाओं के बीच स्वस्थ एवं सकारात्मक संरक्षण के द्वारा संपूर्ण युवा समुदाय के बीच अपेक्षित वातावरण का सृजन करता है और सोशल मीडिया को सक्रिय करने, जागरूकता निर्माण, लोकप्रियता और सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संभावित युवा नेता सृजित करते हैं और राष्ट्रवाद औद

देशभक्ति की भावना को जाग्रत करते हैं। इससे उन्हें उनके नेतृत्व के गुणों को विकसित और परिष्कृत करने में भी मदद मिलेगी।

उद्देश्य

- 1) राष्ट्र निर्माण में बढ़ती भागीदारी के लिए युवाओं और जनता के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना।
- 2) सरकार के प्रमुख योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में नेतृत्व करने के लिए उनके आगे के विकास और सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व गुणों और अच्छे संचार कौशल के साथ युवाओं की पहचान करना।

लक्ष्य समूह और योग्यता

- 18–29 साल के आयु वर्ग के युवा।
- केवल वही युवा पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष 2016–17, 2017–18 2018–19 और 2019–20 के दौरान जिला नेहरु युवा केन्द्र द्वारा आयोजित देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया हो।

भौगोलिक विस्तार

लगभग 5898 ब्लॉक, 623 जिला 31राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर।

प्रतियोगिता और पुरस्कार का स्तर

- ब्लॉक स्तर – पुरस्कार के बिना स्क्रीनिंग प्रतियोगिताएं
- जिला स्तर—प्रथम पुरस्कार: रुपये 5,000/—, द्वितीय पुरस्कार: रुपये 2,000/—, तृतीय पुरस्कार: — 1,000/—
- राज्य स्तर— प्रथम पुरस्कार: रुपये 25,000/—, द्वितीय पुरस्कार: रुपये 10,000/—, तृतीय पुरस्कार: रुपये 5,000/—
- राष्ट्रीय स्तर – प्रथम पुरस्कार: रुपये 2,00,000/—, द्वितीय पुरस्कार: रुपये 1,00,000/— तृतीय पुरस्कार: रुपये 50,000/—

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार विजेताओं के अलावा समस्त प्रतिभागियों को रु 10,000/— प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी।

समय सीमा

राज्य स्तर तक मध्य नवंबर 2020 से दिसंबर, 2020 के अंत तक और राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी 2021 से पहले।

आगे के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और रणनीतियों के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश तय समय में साझा किए जाएंगे।

अन्य कार्यक्रम

1. युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक (डीएसीवाईपी)

जैसाकि आप अवगत हैं कि जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) के गठन की सूचना सभी राज्य निदेशकों को पत्र क्रमांक नेयुकेसं/कार्य : डीएसीवाईपी एंड एसएसीवाईपी/2016/51 दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा परिचालित की गई है।

बजट

प्रति जिला ने.यु.के. बैठकों की संख्या	राशि प्रति जिला रु. 1,000/- प्रति बैठक (रु. में)
न्यूनतम 02 बैठक पहली बैठक – दूसरी तिमाही दूसरी बैठक – चौथी तिमाही	रुपये 2,000. राशि का उपयोग जलपान तथा अन्य सांगठनिक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए।
हर तिमाही में बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।	

राज्य स्तरीय के कार्यक्रम

युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक (एसएसीवाईपी)

जैसाकि आप अवगत हैं कि राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) के गठन की सूचना सभी राज्य निदेशकों को पत्र क्रमांक नेयुकेसं/कार्य : डीएसीवाईपी एंड एसएसीवाईपी/2016/52 दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा परिचालित की गई है।

बजट

बैठकों की संख्या प्रति राज्य	राशि प्रति बैठक रु. 3,000/- प्रति बैठक (रु. में)
न्यूनतम 02 बैठक पहली बैठक – दूसरी तिमाही दूसरी बैठक – चौथी तिमाही	6,000 राशि का उपयोग हाई टी तथा अन्य सांगठनिक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए, जिनमें फाइल फोल्डर, राइटिंग पैड, पेन, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ इत्यादि शामिल हैं।
हर तिमाही में बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास करें।	

2. योजना, समीक्षा और अनुवर्तन बैठक

उद्देश्य

- ने.यु.के.सं के चालू कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना तथा रचनात्मक हस्तक्षेपों के सुझाव देना।

कार्यक्रम की विषयवस्तु

- आकस्मिकता योजना और जरूरत के समय कार्यान्वयन हेतु रणनीति
- सूक्ष्म-योजना का अभिसूत्रण
- प्रस्तावित गतिविधियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण
- युवा मंडलों की वार्षिक गतिविधियों की सूची तैयार करना
- गहन अनुवीक्षण तथा समीक्षा

गतिविधियां

- ने.यु.के. के निर्धारित लक्ष्यों तथा अर्जित लक्ष्यों और चालू तथा भावी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति, अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करना
- युवा विकास हेतु नवोन्मेषी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर विचार करना तथा योजना बनाना और युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु सुझाव देना।
- युवा विकास के लिए सरकार (राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों) की चालू स्कीमों तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना, समन्वय को गति देना और संसाधन जुटाना।

कार्य-विवरण

- इन बैठकों का आवश्यकता तथा जब और जहां इनका आयोजन अपेक्षित है, के अनुसार आयोजन का निर्णय राज्य निदेशक का विशेषाधिकार होगा।

बैठक की अवधि	: 01 दिन
प्रति बैठक प्रतिभागियों की संख्या	: सभी उप निदेशक तथा जि.यु.स.
राज्य में बैठकों की संख्या	: 04
समय रेखा	: दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही
चार बैठकों हेतु बजट	: रुपये 300 प्रति बैठक तथा प्रति उप निदेशक एवं मंडल का जिला युवा समन्वयक
